


RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

SIXTEENTH
ANNUAL REPORT
1987-88



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

BLOCK DD-34, SECTOR-1
SALT LAKE
CALCUTTA-700 064

NOVEMBER 1988

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
DD-34, SECTOR-1, SALT LAKE,
CALCUTTA 700 064
Phone : 37 3463-65
Gram : RAMMOLIBRY. CALCUTTA

Published by Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy Library
Foundation, Block DD-34, Sector-1, Salt Lake, Calcutta-700 064 and
printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700064
Phone : 46-4541.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
Annual Report 1987-88

C O N T E N T S

Chapter		Pages
I	Introduction	1
II	Book Assistance	5
III	Financial Assistance	10
IV	Promotional Activities	15
V	Administration	18
VI	Conclusion	24

A P P E N D I C E S

1	Members of the Foundation	29
2	Members of the Administrative committee	33
3	List of Conveners of State Library planning Committees/State Library Committees	35
4	Organisation Chart	41
5	Statement showing Position of Assistance during 1987-88	42
6	State-wise Statement of Grants released to Mobile Libraries during 1987-88	44

C O N T E N T S

	Pages
7 State-wise Statement of Grants released towards Storage of Books during 1987-88	45
8 Statement of Assistance to Voluntary Organisations during 1987-88	46
9 State-wise Statement of Grants released to Children's Libraries during 1987-88	54
10 RRRLF Zonal Offices	55
11 Statement of Libraries inspected during 1987-88	56
12 Statement of Audited Accounts for 1987-88 with Audit Report and Comments	58
13 Statement of Number of Libraries assisted during 1987-88	98
14 Statement of Number of Libraries assisted during 1972-73 to 1987-88	100
15 Diagram showing Year-wise Growth Rate in Expenditure & Manpower during 1972-73 to 1987-88	102
16 Pie-Chart showing Quantum of Expenditure under different Heads during 1987-88	103

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Sixteenth Annual Report

1987-88

Chapter I

INTRODUCTION

This is the 16th annual report of Raja Rammohun Roy Library Foundation. The Foundation came into being in 1972 on the auspicious occasion of the bicentennial birth anniversary of Raja Rammohun Roy. Coincidentally, it was also the International Book Year and the Silver Jubilee Year of our Independence. The Foundation is an autonomous organisation, established and fully financed by the Department of Culture, Government of India. It is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. The basic idea behind establishing the Foundation is to take the library movement to the far corners of our country, to the doorsteps of the teeming millions of rural India. With the help and active co-operation of the State Governments, Union Territory Administrations and other organisations, the Foundation has made great strides in this direction.

As library service comes under the jurisdiction of State Governments, the Foundation has to function within the limited parameters of constitutional provisions. Moreover, different States have different infrastructure of library services. Naturally, the extent and quality of assistance rendered by the Foundation to the States vary accordingly. Some States which have adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960),

Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) have gone far ahead of the others, and have given a new dimension to the library movement. It is pertinent to mention that Assam, Gujarat, Kerala and Pondicherry have made considerable progress in their endeavour to promote library services. It is a matter of great concern that even today public library service does not enjoy the official patronage it deserves. However, in some parts of our country State Governments have taken initiative to establish and sponsor libraries. The Foundation extends full support to such state initiatives. With its limited resources the Foundation has taken steps to promote all types of public libraries under certain schemes of matching and non-matching assistance.

Besides being a funding body, the Foundation also functions as a national agency for co-ordinating, monitoring and developing the public library services in the country. The Foundation is vested with the responsibility of promoting library movement in the country. Promotion of library movement essentially means establishment of more and more libraries for the benefit of the reading public. In order to improve library facilities in the country, the Foundation has adopted certain schemes of matching and non-matching assistance. To avail assistance under the matching schemes a State has to participate in the programmes of the Foundation by paying contributions on a pre-determined basis. The amount varies from Rs. 50,000 to 5,00,000 depending on the size, population, library infrastructure and past utilisation of funds. Non-matching assistance is usually given to the State Central Libraries and District Libraries of all the States and Union Territories partly to augment the stock of their reading materials and partly to develop children's section in the libraries. Assistance is available to all categories of public libraries—government,

semi-government, statutory and even libraries run by voluntary organisations. Promotion of reading habit being the primary concern, the major share of assistance is allocated for increasing the book-stock of libraries. Assistance is also rendered under different schemes for library building, furniture, equipment and audio-visual materials. In order to extend library facilities to the disadvantaged sections of the people, a scheme of assistance towards the development of mobile library service and rural book deposit centres was introduced few years back. Steps have also been taken to improve the quality of library service by introducing the scheme of assistance towards organisation of seminars, workshops, short-term training courses and book exhibitions. During 1987-88 three new schemes have been adopted for (1) increasing accommodation in public libraries below district level, (2) acquiring TV-cum-VCR sets for educational purposes by State Central Libraries and District Libraries and (3) developing children's libraries or children's section in public libraries. In short, the Foundation has diversified its assistance programme for total development of public libraries in the country with the ultimate aim of sustaining and developing reading habit among the people for a nobler and fuller life.

In view of expanding activities, the Foundation has decided to strengthen its field and monitoring unit during the 7th Plan period. The establishment of a Zonal Office-cum-Guest House in New Delhi was reported during the previous year. Three more zonal offices have since been set up in Bombay, Madras and Calcutta for the western, southern and eastern zone respectively.

The most significant development of the year is the strengthening of the Office of the Foundation. The staff strength increased from 27 to 52 including some posts of officers viz. Research Officer, Assistant Field Officers (4),

Statistical Officer and Section Officers (2). Almost all the existing staff have been benefitted by this expansion. This has enabled the Foundation to reorganise its administrative machinery. A new Research Cell has been set up. Recognising the higher responsibility the post of Director has also been upgraded. (For *Diagram showing Year-wise Expenditure and Manpower during 1972-73 to 1987-88* see Appendix-15).

As in the previous year, the Chairman and the Director were called upon to make their contributions towards the formulation of national policy on library and information system. An Empowered Committee was set up by the Department of Culture, Government of India under the chairmanship of Professor D.P. Chattopadhyaya. The Committee has since completed its task. Prof. Chattopadhyaya is also the Chairman of the Review Committee on Library Staff under the purview of the Central Government. The Director of the Foundation has also been associated with the work of these committees. He has also served in a sub committee on library statistics as part of cultural statistics being developed by the Department of Culture.

In addition to the Newsletter, a new publication, **Raja Rammohun Roy and the New Learning**, has been brought out. The system of central selection of books has been improved with the help of book reviews compiled and prepared internally. A project of compilation of library statistics of State Central Libraries and District Libraries has been taken up.

The year 1987-88, thus, witnessed significant expansion and diversification of the activities of the Foundation.

BOOK ASSISTANCE

Books and readers constitute the two basic elements of library service. The Foundation, therefore, considered the programme of book assistance to the public libraries to be its main programme during the 7th Plan period. This programme is called **Assistance towards building-up of Adequate Stock of Books and Other Reading and Visual Materials.**

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it augments its stock from time to time. But as availability of funds is not keeping up with the increasing price of books, the libraries find it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, funds available from different sources are spent primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, continued this major scheme of augmenting the bookstock of libraries.

Assistance under the scheme is given from two sources: (1) matching source and (2) central (non-matching) source. When assistance is rendered from the matching source, the responsibility for selection, purchase and distribution of books is vested in the State authority; and when assistance is rendered from the Central source, the Foundation is responsible for selection and supply of books.

Matching Book Assistance

The State Library Planning Committee or the State Library Committee (SLPC/SLC) set up at the instance of the Foundation in each State and Union Territory prepares proposals for assistance under this major scheme. It prepares the list of books and the list of libraries to which the books are to be sent. For this purpose the Foundation has issued detailed guidelines.

Once lists of books and beneficiary libraries are approved by the SLPC/SLC, steps are taken to purchase and distribute the books. Some States & UTs viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Arunachal Pradesh, (3) Assam, (4) Bihar, (5) Chandigarh, (6) Gujarat, (7) Goa, Daman & Diu, (8) Himachal Pradesh, (9) Karnataka, (10) Kerala, (11) Madhya Pradesh, (12) Maharashtra, (13) Manipur, (14) Mizoram, (15) Orissa, (16) Pondicherry, (17) Punjab, (18) Tamil Nadu, (19) Tripura, (20) Uttar Pradesh and (21) West Bengal continued to assume the responsibility for the purchase and distribution of books. The Foundation, however, has been doing this job for Nagaland, Rajasthan and Andaman & Nicobar Islands on the plea that they do not have adequate infrastructure. Payment is released by the Foundation on receipt of copies of orders, approved list of books and certified bills from the Conveners of the SLPCs/SLCs in respect of the former group of States. When the Foundation places order, 75% payment is made to the publishers/suppliers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgement from the recipient libraries/Conveners. During the year most of the States and U.T. Administrations could not utilise fully the available matching fund. As a result the total amount of committed liability rose to Rs. 82.26 lakhs as on 31.3.88. (For the *Statement showing Position of Assistance during 1987-88* see Appendix-5).

The selection of libraries under the matching programme rests with the respective SLPCs/SLCs. Assistance under the book assistance scheme is available for all categories of public libraries viz. State Central Libraries, Regional/Divisional Libraries, District Central Libraries, Sub-Divisional Libraries, Tehsil Libraries, Municipal Libraries, Town Libraries, Rural Libraries etc. which are maintained or aided or recognised/sponsored by the respective State Governments/U.T. Administrations.

Almost all the States and Union Territories have set up State Central Libraries. Delhi is served by the Delhi Public Library. The State Central Library of Tamil Nadu i.e., Connemara Public Library and M.S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries or Divisional Libraries in some States viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra and (5) Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually government libraries. However, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are government libraries and some are only government aided.

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the South they are called Branch Libraries, in the West and North, Taluka or Tehsil Libraries and in the East, Sub-Divisional Libraries. Further below there are Block, Municipal, Town and Rural Libraries. As per provision of the library legislation, where such legislation

has been passed, libraries are controlled by the authority stipulated in the Act, while in the rest of the States and in the State of Maharashtra a large number of public libraries are run by voluntary organisations. During the year under report the Foundation rendered assistance to the tune of Rs. 119.99 lakhs to about 5847 libraries under this scheme.

2. Non-matching (Direct) Book Assistance

In addition to matching assistance the Foundation also gives direct book assistance out of its own resources to certain categories of libraries in a limited scale. The beneficiary libraries under this programme are (a) Centrally sponsored libraries like Nehru Yuvak Kendras and mobile units under Palli Sangathana Vibhaga of Visva Bharati and (b) State Central Libraries and District Libraries.

(a) Assistance to Centrally Sponsored Libraries

The Ministry of Human Resource Development under its Youth Services Programme has established Nehru Yuvak Kendras in various district headquarters of the country for the welfare of non-student youth between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programmes and to run circulating library services through rural youth clubs. The Foundation supports the library services organised by the Kendras. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance amounting to Rs. 0.76 lakhs to 23 Nehru Yuvak Kendras and 25 mobile library units of Visva Bharati.

(b) Assistance to State Central Libraries and District Libraries

Apart from the books, mainly in Indian languages, selected by the respective SLPC/SLC for State Central Libraries, District Libraries, and libraries below district level, the Foundation centrally selects a limited number of books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries in the country.

The Administrative Committee of the Foundation has prepared detailed guidelines for selection of titles submitted by various publishers under this scheme. The Book Selection Committee constituted for the purpose selects books, from those submitted by various publishers all over the country, after physical verification. The Committee met thrice during the year and selected 111 titles for State Central Libraries, 89 titles for both State Central and District Libraries and 135 titles for State Central and 100 selected District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. 20.98 lakhs. Besides this, during the year under report, the Foundation rendered multilingual book assistance worth Rs. 0.15 lakhs to the library in the Office of High Commission, Mauritius. The purpose of the scheme was to provide books in Indian languages to the citizens of Indian origin in Mauritius.

FINANCIAL ASSISTANCE

There are seven schemes under which financial assistance is rendered to libraries. The first four schemes are on-going and the rest are additions during the year.

1. Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses (Orientation/Refresher) and Book Exhibition

The object of this scheme is to give reorientation training to librarians and to promote the use of books and reading habit among the public. Assistance under the scheme is available to the Library Department/Directorate of the State, State Central Libraries, library associations and institutions imparting training in Library Science. Assistance under the scheme is given from two sources viz. (1) matching fund and (2) Foundation's own fund (non-matching). The grant out of matching fund is given only to organisations as are recommended by the respective State Governments/U.T. Administrations. All India library associations like Indian Library Association (ILA) are granted financial assistance from the non-matching fund.

During the year the beneficiaries under the matching scheme were (the amount of assistance in brackets) :

(a) H. K. Mahatab State Library, Orissa (Rs. 5,000),
 (b) Govind Ballabh Pant Samajik Vigyan Samsthan, Allahabad (Rs. 5,000),
 (c) Subhas Institute, 24-Parganas, West Bengal (Rs. 3,500),
 (d) State Council of Educational Research and Training, Solan, H. P. (Rs. 10,000),
 (e) W.B.

Book Fair, 1986-87 (Rs. 50,000), (f) Dist. Book Fair, 1986-87 in 5 districts of West Bengal i. e. Bankura, Birbhum, Hooghly, Murshidabad and Jalpaiguri (@ Rs. 5,000 each) and (g) Madras Library Association (Rs. 10,000). From the Central source, assistance was rendered to Indian Library Association amounting to Rs. 10,000 for holding XXXIII All India Library Conference at Tiruchirapally, Tamil Nadu.

2. Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services

If the benefits of public library service are to reach the vast number of the less educated and neo-literates, in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books written in simple language on subjects of popular interest at their doorsteps.

All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one book deposit centre to another with the help of cheap modes of transport or by free service through volunteers. In cases where library service has not reached a village, a book depository centre is to be set up there, and where library coverage has already been extended to a village, door-to-door service is to be organised in co-operation with the voluntary agencies and paid workers engaged in implementing adult education programmes. During the year the Foundation rendered assistance amounting to Rs. 1.00 lakh to 10 libraries in Karnataka and one library in Maharashtra from the matching fund. (For State-wise Statement of Grants released to Mobile Libraries during 1987-88 see Appendix-6).

3. Assistance towards Storage of Books

This is a comparatively new scheme, adopted in 1979-80, to enable small libraries below district level to store and display increasing number of books received from the Foundation.

Under this scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than 2 almirahs/racks in a year on the recommendation of the respective State Government. During the year the Foundation sanctioned assistance to the tune of Rs. 1.38 lakhs to 157 libraries in the States of Maharashtra, West Bengal and Orissa. (For State-wise Statement of Grants released towards Storage of Books during 1987-88 see Appendix-7)

4. Assistance to Voluntary Organisations providing Public Library Services

This is a scheme extended to voluntary organisations on matching basis. The scheme was operated by the Department of Culture, Government of India till 1985-86. The objective of the scheme is to render financial assistance to voluntary institutions/organisations working in the field of public libraries for purchase of books, furniture and equipment and also for construction, including additions/alterations, of building of the library wing of the organisation.

The grant is released on the recommendation of a Grants Committee, constituted for the purpose by the Foundation, normally to such organisations as are recommended by the State Governments/U.T. Administrations. During the year under report Grants Committee met 5 times and grants worth Rs. 22 lakhs were released to 85 organisations all over the country. (For Statement of Assistance to Voluntary Organisations during 1987-88 see Appendix-8)

5 Assistance to Public Libraries below District Level for increasing Accommodation

This is a matching scheme. The scheme was adopted for implementation for the first time during the year under report. The object of the scheme is to render financial assistance to Government-run or—aided public libraries below district level for the purpose of construction/addition/alteration of library building. The grant is sanctioned on the recommendation of the respective SLPC/SLC. Due to the absence of approved proposal from any State or Union Territory Administration no grant was released during the year under this scheme.

6. Assistance to State Central Libraries and District Libraries to purchase TV-cum-VCR Sets for Educational Purposes

This is a scheme under the matching programme of the Foundation. This is also a new scheme adopted for implementation during the year under report. The scheme is intended to diversify the services, through audio-visual materials, of public libraries at State and District levels recommended by the respective SLPC/SLC. The grant is released for purchase of a TV-cum-VCR set per library with accessories including installation charges, and for purchase of educational cassettes—not more than 5 cassettes per year per library. During the year under report only Maharashtra has taken advantage of the scheme. A grant of Rs. 3 38 lakhs was released in favour of 10 libraries in Maharashtra.

7. Assistance to Children's Libraries & Children's Section of General Public Libraries

This is a non-matching scheme to support and promote

Children's Libraries all over the country in order to develop reading habit among the children.

Assistance under the scheme is available to the Children's Libraries or to those public libraries which have or intend to open children's section. Assistance is available for purchase of reading materials, audio materials, racks, almirahs, and reading tables and chairs.

During the year under report it was decided to render assistance only to State Central Libraries, District Libraries and Jawahar Bal Bhawans (JBBs) all over the country. Ninety two State Central Libraries and District Libraries and 13 JBBs were assisted to the tune of Rs. 257 lakhs during the year. (For State-wise *Statement of Grants released to Children's Libraries during 1987-88* see Appendix-9).

The scheme under which financial assistance was given for binding and preservation of rare books, journals and manuscripts was dropped during the 7th Plan period in view of the fact that the Department of Culture adopted an identical scheme (since transferred to the National Archives). But it continued to release some funds under the scheme to honour the previous commitments. During the year the Foundation rendered financial assistance of Rs. 0.23 lakhs to 3 libraries in the States of Karnataka and Maharashtra.

PROMOTIONAL ACTIVITIES

1. **Celebration of the 215th Birth Anniversary of Raja Rammohun Roy and the 15th Foundation Day of RRRLF**

The Foundation celebrated the 215th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 15th anniversary of the Foundation at the Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta on August 10, 1987. On this occasion Professor A.D. Pant, Director, Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad delivered the first **Raja Rammohun Roy Memorial Lecture**. The theme of the lecture was **Rammohun Roy and Indian Liberalism**. Professor D.P. Chattopadhyaya presided.

2. **Collection of Statistics**

The Foundation has taken up a programme for collection, compilation, storage and dissemination of information on public library services on a regular basis. This is being done for effective planning and promotion of such services and also for updating the Foundation's **Directory of Indian Public Libraries**. In view of this the Foundation has already sent questionnaires to different libraries at state and district levels for collecting relevant data.

3. **Publication Programme**

The Foundation brings out a quarterly, viz., **RRRLF Newsletter** to give publicity to its activities, and to

disseminate information on library services in different parts of the country.

Under the auspices of the Foundation, M/s. Orient Longman Limited, Calcutta published a book entitled, **Raja Rammohun Roy and the New Learning**, edited by Dr. B.P. Barua, Director. The book is a compilation of annual lectures on Raja Rammohun Roy hosted by the Foundation and delivered by renowned scholars in the course of several years since 1972.

The Foundation has decided to bring out a half-yearly journal in English. The first issue of the journal is expected to come out by the end of 1988. The journal will focus on library studies.

The fourth edition of the Foundation's Information Manual **Books for the Millions at their Doorsteps** has been published. Besides being a handy manual for the use of the officials, it disseminates information on the plans and programmes of the Foundation to the general public.

4. Institutional Membership

The Foundation continued to be institutional member of (1) Indian Library Association (ILA), (2) Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) and (3) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), the Hague.

5. Foundation's Library

The special library in Library and Information Science that started functioning in 1981-82 in the office of the Foundation had a collection of 659 books at the end of the year. It subscribed to 16 journals and received complimentary copies of 4 journals.

6. Research & Advisory Functions

The Chairman and Director took part in a seminar on **Public Library Services and Information Networks** held in Madras during January 4-6, 1988 organised by the Madras Library Association with the Foundation as one of the collaborators. The Chairman delivered the presidential speech and the Director presented a paper on **Public Library Systems in India**.

The Director with the Statistical Officer attended two meetings of the Sub-Group on Development of Library Statistics on September 24, 1987 and December 3, 1987. The Sub-Group is constituted by the Department of Culture as a part of building up of the national cultural statistical system.

The Director and Research Officer attended a conference on **Scientific Communication : Bibliometrics/ Informetrics** organised by Society for Information Science at IICB, Calcutta during January 18-20, 1988. The Director co-chaired some technical sessions. The Research Officer presented a paper.

The Director has also to render advisory or consultancy service to the Department of Culture, Government of India and different State Governments whenever necessary.

It was also decided to constitute a Research Committee for advising the Foundation in matters of research projects.

ADMINISTRATION

1. The Foundation

The Foundation is composed of 22 members headed by the Minister-in-charge of the Department of Culture, Government of India or his/her nominee as its Chairman. During the year under report, the General Body of the Foundation held three meetings on viz. May 23, 1987 (Special General Meeting) in New Delhi, June 26, 1987 (Ordinary General Meeting) in Calcutta and October 24, 1987 (Annual General Meeting) in New Delhi. (See Appendix-1 for Members of the Foundation).

2. Administrative Committee

The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It consists of 11 members including the ex-officio members viz., Chairman, Financial Adviser (representative of the Department of Culture) and the Member-Secretary. It held three meetings during the year on June 26, 1987, October 24, 1987 and February 7, 1988. (For Members of the Administrative Committee see Appendix-2).

3. State Library Planning Committees / State Library Committees

State Library Planning Committees (SLPCs) / State Library

Committees (SLCs) are the principal agencies through which the Foundation collaborates with State Governments and Union Territory Administrations. These Committees are expected not only to plan the expansion and development of library service in their respective States/UTs but also to supervise the implementation of various programmes of assistance adopted by the Foundation. These are also expected to serve as co-ordinating bodies of several State Departments engaged in the promotion of library services at various levels. The SLPCs/SLCs are supposed to meet at least twice a year. Functions of the SLPCs/SLCs are :

- (a) to prepare a perspective and annual plan of library services, particularly in the non-metropolitan areas of the state with particular reference to the assistance programmes of the Foundation ;
- (b) to ensure payment of State Government contribution to and drawal of matching grant from the Foundation ;
- (c) to scrutinise and recommend proposals for assistance to the Foundation ;
- (d) to select books according to the felt-need of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation ;
- (e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation ;
- (f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and other activities ;

- (g) to perform any other activity conducive to the development of library movement in the State/Union Territory.

During 1987-88 the SLPC of West Bengal met five times followed by Mizoram which met thrice. The SLPCs of Orissa and Maharashtra held two meetings each. SLPC meetings were held only once in most of the other States viz. Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Manipur, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. (For the list of Conveners of State Library Planning Committees/ State Library Committees see Appendix-3)

4. **Chairman**

Professor D. P. Chattopadhyaya continued to be the Chairman of the Foundation during the year.

5. **Director**

Dr. B. P. Barua continued to be the Director and ex-officio Member-Secretary during the year.

6. **Other Officers and Staff**

Shri R. Bhattacharjee, Field Officer continued in the post. Shri P. Palit, Executive Officer (on deputation) returned to his parent organisation on 29.4.1987. Shri K. K. Banerjee, Assistant Secretary (on deputation at the Foundation) assumed charge of Executive Officer on 29.2.1988. Shri V. K. Thomas joined as Research Officer on 15.10.1987.

A few posts like Statistical Officer, Section Officer (Admn.), Section Officer (Implementation) and Assistant Field Officer have been created and filled up, some by promotion and some by direct recruitment.

The total strength of the staff at the end of the year stood at 52 excluding 3 part-time employees. (For Organisation Chart see Appendix-4).

7. Training Programmes

The Foundation has taken steps to implement the Official Language Implementation Programme and train the staff in the use of Hindi under the Hindi Teaching Scheme, Government of India. The Foundation celebrated Hindi Day on September 25, 1987 with a view to accelerating the use of Hindi as official language. An elocution contest in Hindi was organised for the non-Hindispeaking employees as a part of the celebration. The topic was **National Integration and Hindi.**

Shri S. K. Dutta, Library Assistant was deputed to participate in a workshop on **Application of Computers to Library and Information Activities** organised by Computer Society of India and Indian Library Association in Ranchi during September 15-19, 1987.

Shri R. K. Tiwari, Hindi Translator was deputed to attend **Hindi Training Course** conducted by Central Translation Bureau, under the Department of Official Language, in Calcutta during January to March 1988.

Shri Soumen Sarkar, Statistical Assistant was deputed to attend an intensive course on **Programming and Application of Electronic Computers** conducted by Indian Statistical Institute, Calcutta during January 25 to March 31, 1988.

8. Zonal Offices

The four zonal offices of the Foundation started functioning from June 1987 with the posting of Assistant Field Officers (AFOs). The Eastern Zonal Office is located at the headquarters of the Foundation. (See Appendix-10 for address of the Zonal Offices).

9. Inspection

With a view to keeping an eye on the effective implementation and proper utilisation of the Foundation's assistance the Inspection Unit has been, as a sequel to the Audit Report, strengthened during the year by the posting of Assistant Field Officers at the zonal offices. Libraries of various categories numbering 451 have been inspected by them. Besides this, the Field Officer inspected 9 libraries. This exercise is expected to help evaluate the quality of service the libraries are rendering. (For a Statewise Statement of Libraries inspected see Appendix-11).

10. Finance

The Foundation is fully financed by the Government of India. During the year the Foundation received grant of Rs. 149.86 lakhs (Rs. 10.13 lakhs under Non-plan and Rs. 139.73 lakhs under Plan allocations) from the Government of India. In addition, the Foundation also receives contribution from the State Governments and Union Territory Administrations. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution received during the year was Rs. 59.31 lakhs. (For Statement showing Position of Assistance of Various States and Union Territories see Appendix-5).

11. Accounts

The accounts of the Foundation for 1987-88 have been audited by the Director of Audit (Central), Calcutta and approved by the Foundation in its Annual General Meeting held on October 8, 1988. (For Statement of Audited Accounts for 1987-88 and Pie-chart showing Quantum of Expenditure under Different Heads see Appendix-12 and 16 respectively).

CONCLUSION

1. Problems and Bottlenecks

The problems and bottlenecks faced by the Foundation in the execution of its programmes are mainly threefold: (a) late submission and non-submission of proposals for assistance by some States, (b) shortage of staff compared to need and (c) late receipt of sanction for the extension of the Foundation's building.

In the existing scheme of things the Foundation has to depend on the State Government machinery for the implementation of its programmes. Its performance reflects the total performance of the participating States and Union Territories. Sometimes it fails to achieve the target owing to circumstances beyond its control. During the year under report proposals for assistance were received very late from many States, and some States have failed to draw their share of assistance viz. Andhra Pradesh and Bihar.

The Foundation's work-load has been increasing over the years. A new Scheme of Assistance to Voluntary Organisations working in the Field of Public Libraries was transferred to the Foundation by the Department of Culture for operation during 1986-87. Though some new hands have joined the Foundation during the year, additional staff were needed to cope with the increasing volume of work. Steps have, however, been taken to create some more posts.

The proposed extension of the Foundation's office building could not be undertaken during the year due to late receipt of sanction from the Salt Lake authorities and some other circumstances beyond our control.

We are also finding it difficult to obtain timely information from some States regarding libraries receiving book assistance under the matching programme of the Foundation due to decentralisation of the distribution channel through District Library Authorities. Mention may be made of Andhra Pradesh and West Bengal.

2. Achievements

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1988 the Foundation received total grants and contributions of Rs. 928.33 lakhs out of which Rs. 580.87 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 347.46 lakhs from the States and Union Territories.

The volume of assistance rendered during the year 1987-88 amount to Rs. 189.00 lakhs and the grand total of assistance during the last sixteen years is Rs. 794.99 lakhs.*

During the year Foundation assisted 6066 libraries excluding the figures of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh and West Bengal.

Over the last sixteen years the Foundation has covered

*The figures are rounded up

libraries at various levels :

State Libraries	28
District Libraries	456
Sub-Division/Taluka/Tehsil Libraries	500
Nehru Yuvak Kendras	176
Town and Rural Libraries	17,979
Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres	774
N.S.S. Centres and others	173
Total :	<u>20,086</u>

(For number of libraries covered at different levels during 1987-88 and from 1972-73 to 1987-88 see Appendix-13 and 14 respectively).

To sum up, the 16th year of the Foundation has been a year of diverse activities and of consolidation. The total amount of grants and contributions received by the Foundation has gone up steadily. At the same time, the volume of assistance rendered by the Foundation has increased substantially despite non-receipt of proposals from some States. Stress has been laid on proper utilisation of assistance by developing an Inspection and Monitoring Cell. With the introduction of three new schemes, the Foundation has taken firm steps towards modernisation of public library services in the country.

অডিটোরি



Prof. Bhabatosh Datta releasing "Raja Rammohun Roy and the New Learning"
at a function presided over by Prof. D. P Chattopadhyaya, Chairman,
Raja Rammohun Roy Library Foundation




The Chairman and Director participating in the Review Committee on
Library Staff under the purview of the Central Government

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(पुस्तक सारकारके संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित)
हिन्दी दिवस समारोह

हिन्दी ह
अभिव्यक्ति

A view of the Hindi Day Celebrations held at the Foundation on September 25, 1987



Extension Hall, KRVK Library, Kakinada, Andhra Pradesh
constructed with the Foundation's Assistance



APPENDICES



Members of the Foundation

1. Professor D. P. Chattopadhyaya
Chairman, RRRLF
25 Park Mansions
Park Street
Calcutta 700 016
2. Shri M. Varadarajan
Secretary to the Govt. of India
Ministry of Human Resource Development,
Department of Culture,
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
3. Professor Ashin Das Gupta
Director, National Library
Belvedere
Calcutta
4. Dr. Nemai Sadhan Bose
Vice-Chancellor
Visva Bharati
Santiniketan
(West Bengal)
5. Professor R. C. Das
217 Kedar Gouri Road
Bhubaneswar 751 002
6. Dr. S. R. K. Chopra
Vice-Chancellor
Kurukshetra University
Kurukshetra 132 119

7. Dr. Surajit C. Sinha
Director, Centre for Studies in Social Sciences
10 Lake Terrace
Calcutta 700 029
8. Dr. Suresh Dalal
Director
SNDT Women's University
Deptt. of Post Graduate Studies & Research
Patkar Hall Bldg.
6th Floor
1 Nathibai Thackersey Road
Bombay 400 020
9. Shri Biren Bhattacharyya
President
Sahitya Akademi
Kharghuli
Guwahati 781 004
10. Professor A. K. Jalaluddin
Joint Director
NCERT
Shri Aurobindo Marg
New Delhi 110 016
11. Professor K. A. Isaac
TC. 17-24 Jagathy
Trivandrum 695 014
12. Prof. Rajanikant Pancholi
B-1 Neel Terrace
Near St. James Church
Fatehganj
Baroda 390 002

13. Shri J. D. Gupta
Joint Secretary
(Book Promotion)
Ministry of Human Resource Development,
Deptt. of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
14. Mrs. C. P. Sujaya
Joint Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Social & Women's Welfare
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
15. (i) Shri Jai Lal
Controller of Accounts
Ministry of Human Resource Development,
Deptt. of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
(Till Jan. '88)
- (ii) Shri R. C. Batra
Deputy Controller of Accounts
Ministry of Human Resource Development,
Deptt. of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
(From Feb. '88)
16. Prof. I. N. Choudhuri
Secretary
Sahitya Akademi
Rabindra Bhawan
35 Ferozshah Road
New Delhi 110 001

17. Dr. Syed Asad Ali
Joint Director
National Book Trust, India
A-5 Green Park
New Delhi 110 016
18. Shri T. S. Rajagopalan
Flat No. 115, Block BE
DDA Self Financing Scheme
Janakpuri
New Delhi 110 058
19. Shri Subhas C. Biswas
Director
Central Secretariat Library
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
20. Dr. R. S P. Singh
Librarian
Sinha Library
Patna
21. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF
Calcutta

Members of the Administrative Committee

1. Professor D. P. Chattopadhyaya
Chairman, RRRLF
25 Park Mansions, Park Street
Calcutta 700 016
2. Shri R. C. Tripathi
Joint Secretary to the Govt. of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Culture, Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
3. Professor Ashin Das Gupta
Director, National Library
Belvedere, Calcutta
4. (i) Shri Jai Lal
Controller of Accounts
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
(Till Jan. '88)
- (ii) Shri R. C. Batra
Deputy Controller of Accounts
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
Shastri Bhawan, New Delhi 110 001
(From Feb. '88)
5. Professor R. C. Das
217 Kedar Gouri Road
Bhubaneswar 751 002

6. Dr. S. R. K. Chopra
Vice-Chancellor
Kurukshetra University
Kurukshetra 132 119
7. Shri Biren Bhattacharyya
President
Sahitya Akademi
Kharghuli
Guwahati 781 004
8. Shri T. S. Rajagopalan
Flat No. 115, Block BE
DDA Self Financing Scheme
Janakpuri
New Delhi 110 058
9. Professor K. A. Isaac
TC. 17-24 Jagathy
Trivandrum 695 014
10. Dr. Suresh Dalal
Director, SNDT Women's University
Deptt. of Post Graduate Studies & Research
Patkar Hall Building, 6th floor
1 Nathibai Thackersey Road
Bombay 400 020
11. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF
Calcutta

List of Coveners of State Library Planning Committee/
State Library Committee

1. Andhra Pradesh
Director of Public Libraries
Andhra Pradesh
Afzalgunj
Hyderabad 500 012
2. Arunachal Pradesh
Deputy Chief Librarian
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar 791 111
3. Assam
Director of Library Services
Assam
Guwahati 781 001
4. Bihar
Superintendent of Libraries
Bihar
Sinha Library Road
Patna 800 001
5. Goa
Curator
Govt. of Goa
Central Library
Panaji
Goa 403 001

6. Gujarat
Director of Libraries
Govt. of Gujarat State
Old Assembly Buildings, 2nd floor
Sector 9, No. 17
Gandhinagar
7. Haryana
Director of Higher Education
Haryana
Chandigarh 160 001
8. Himachal Pradesh
Assistant Director of Education (c)
Directorate of Education
Simla 1
9. Jammu & Kashmir
Director of Libraries
Directorate of Libraries
Deptt. of Education
J & K Government
New Mini Secretariat
Jammu/Srinagar
10. Karnataka
Director
Department of Public Libraries
Government of Karnataka
Visveswariah Centre, 4th Floor
Dr. Ambedkar Veedhi
Bangalore
11. Kerala
State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum 659 001

12. Madhya Pradesh
Commissioner
Tribal Welfare Department
Govt. of Madhya Pradesh
Satpura Bhawan
Bhopal
13. Maharashtra
Director of Libraries
Town Hall
Sahid Bhagat Singh Marg
Bombay 400 023
14. Manipur
Chief Librarian
State Central Library
Imphal
Manipur
15. Meghalaya
Director of Public Instruction
Meghalaya
Secretariat Building
Shillong
Meghalaya 793 001
16. Mizoram
Deputy Director of Education
Directorate of Education
Govt. of Mizoram
Aizawl
Mizoram
17. Nagaland
Director, Art & Culture
Kohima
Nagaland


18. Orissa
Deputy Secretary
Govt. of Orissa
Department of Tourism
Sports & Culture
Bhubaneswar 751 001
19. Punjab
Assistant Director (Cultural Affairs)
Director of Public Instruction (Colleges)
Punjab
S. C. O. No. 66-67
Sector 17B
Chandigarh 160 017
20. Rajasthan
Deputy Director
Social Education
Bikaner
Rajasthan
21. Sikkim
Joint Secretary to Govt. of Sikkim
Department of Education
Gangtok
Sikkim 737 101
22. Tamil Nadu
Director of Public Libraries
Egmore
Madras 600 008
23. Tripura
Head Librarian
Birchandra State Central Library
Agartala
Tripura 799 001

24. Uttar Pradesh
Officer on Special Duty (Libraries)
Govt. of Uttar Pradesh
38 Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annexe
Vidhan Bhavan
Lucknow 226 001
25. West Bengal
Director of Library Services
Govt. of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700 001
26. Andaman & Nicobar Islands
Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair
Andaman
27. Chandigarh
Librarian
T.S. Central State Library
Chandigarh
Sector-17
Chandigarh
28. Dadra & Nagar Haveli
Director of Education
Dadra & Nagar Haveli
Silvasa
29. Delhi
Director of Education
Delhi Administration
Old Secretariat
Delhi

30. Lakshadweep
Social Welfare Officer
Union Territory of Lakshadweep
Department of Social Welfare & Culture
Kavaratti
Via H.P.O. Cochin 682 555

31. Pondicherry
Director of Education
Pondicherry Administration
Pondicherry 605 001

ORGANISATION CHART



*In the absence of Executive Officer, Asst. Secretary looked after the works of Administration for a greater part of the year, and Field Officer supervised the works of Research Section till Research Officer joined in October, 1987.

Statement showing Position of Assistance during 1987-88

(Figures in thousand)

Name of the State/U.T.	Opening Balance	Contribution received	Matching Assistance	Total Fund available	Assistance rendered	Balance, if any
Andhra Pradesh	1,834	—	—	1,834	651	1,183
Arunachal Pradesh	30	50	50	130	22	108
Assam	110	100	100	310	102	208
Bihar	421	500	500	1,421	288	1,133
Goa*	10	—	(—) 10	—	12	(—) 12
Gujarat	478	375	375	1,228	813	415
Haryana	—	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	631	400	400	1,431	867	564
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—	—
Karnataka	796	400	400	1,596	636	960
Kerala	694	—	—	694	655	39
Madhya Pradesh	273	516	516	1,305	745	560
Maharashtra	1,025	1,000	1,000	3,025	2,008	1,017
Manipur	(—) 1	40	40	79	30	49

Meghalaya	50	70	70	190	—	190
Mizoram	5	100	100	205	200	5
Nagaland	152	50	50	252	88	164
Orissa	(—) 552	550	550	548	943	(—) 395
Punjab	129	200	200	529	459	70
Rajasthan	(—) 358	785	785	1,212	756	456
Sikkim	14	—	—	14	—	14
Tamil Nadu	1,083	—	—	1,083	901	182
Tripura	201	70	70	341	144	197
Uttar Pradesh	1,186	650	650	2,486	1,212	1,274
West Bengal	867	—	—	867	1,200	(—) 333
Andaman & Nicobar	8	—	—	8	—	8
Chandigarh	13	50	50	113	2	111
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—
Delhi	—	—	—	—	—	—
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—
Pondicherry	59	25	25	109	50	59
Total	9,158	5,931	5,921	21,010	12,784	8,226

*Goa, Daman & Diu have been treated as one unit for the year 1987-88

**Statewise Statement of Grants released to Mobile
Libraries during 1987-88**

Sl. No.	Name of the State	No. of Libraries	Amount (Rs)
1.	Karnataka	10	94,484.00
2.	Maharashtra	1	5,500.00
	<i>Non-matching</i>		
3.	West Bengal	25	31,812.60*
Grand Total :			1,31,796.60

* A sum of Rs. 31,812.60 was paid to Pally Sangathan Bibhag, Santiniketan, West Bengal against purchase of books and library materials.

Appendix—7

Statewise Statement of Grants released towards
Storage of Books during 1987-88

Sl. No.	Name of the State	No. of Libraries	Amount (Rs)
1.	Maharashtra	70	94,425.00
2.	Orissa	29	14,300.00
3.	West Bengal	58	29,000.00
		<u>157</u>	<u>1,37,725.00</u>

Statement of Assistance to Voluntary Organisations during 1987-88

Sl. No.	Name and Address of the Organisation	Purpose (purchase/ construction) for which the Grant-in-Aid was sanctioned	Amount (Rs.)	State-wise Total (Rs.)
1		2	3	4
Andhra Pradesh				
1.	Ananda Grandhalayam Ananda Nagar, Hyderabad	Books & Furniture	18,000	
2.	Marathi Granth Sangrahalaya 4-6-458, Esamia Bazar Hyderabad	Books & Furniture	24,000	42,000
Bihar				
3.	R. K. Mission Ashram Swami Vishudanada Road Morabadi, Ranchi 834 008	Books & Furniture	15,000	
4.	Inqalab Library at & P.O. Rohika Dist. Madhubani	Books & Furniture	21,600	
5.	Shree Deo Kumar Jain Oriental Library Sri Jain Didhant Bhawan Arrah.	Books & Furniture Building	12,000 38,000	
6.	The Srimati Radhika Sinha Institute & Sachchidananda Sinha Library Patna-1.	Building	50,000	
7.	Kamla Devi Pustakalaya & Wachanalaya Ravehi Road, Harnaut Nalanda	Books & Furniture	12,000	1,48,600
Gujarat				
8.	Shri Takhtasinhji Public Library Botad, Below Tower Botad 364 710.	Books, Furniture & Equipment.	10,000	
9.	J. B. Petit Free Reading Room Library & Public Hall Hilimora, Dist. Bulsar	Books & Furniture	5,000	
		C/F.	15,000	1,90,600

1	2	3	4
10. Kanjibhai Desai Samajahikshan Bhavan Trust Surat.	B/F.	15,000	1,90,600
11. Shri Harnarayan Bhudarji Raval Sarvajanik Library Mandal, Unava 384 160.	Books & Furniture Equipment	14,000 15,000	
12. Sarvajanik Pustakalaya Station Road Anand 388 001.	Books, Furniture & Equipment	12,000	86,000
Kerala	Books and Furniture	<u>30,000</u>	
13. P. K. Memorial Grandhasala Ambalapuzha 688 561	Building	36,500	
14. Rohini Arts Club & Library Kidangoor South Dist. Kottayam 686 583.	Books & Furniture	20,000	
15. Desabandhu Vayanasala Mangattidom, Via Kuthuparamba Dist. Cannanore 670 643.	Books & Furniture	10,000	
16. Y.M.A. Library, Ooramana Muvattupuzha.	Books & Furniture	28,000	
17. Ernakulam Public Library Library Building, Convent Road, Cochin 682 035.	Books & Furniture	40,000	
18. Mahatma Rural Library & Reading Room P. O. Ayamkudy, Dist. Kottayam 686 613.	Books, Furniture & Equipment	40,000	
19. Kunchan Smaraka Vayanasala Killikkurussi Mangalam P.O. Lakkidi, Dist. Palghat 579 301	Building	40,000	
20. Desasevini Library & Reading Room Vadasserikonam P.O. Varkala Dist. Trivandrum 695 143.	Building	40,000	
21. Parrappur Yuvajana Sangham Library & Reading Room P.O. Parappur Via-Kottakkal, 676 503.	Books	20,000	
22. Tagore Library Sports & Arts Club P.O. Kurakkada Via-Kizhuvilam Dist. Trivandrum 695 104	Books & Furniture	8,000	
		<u>2,82,500</u>	<u>2,76,600</u>
	C/F.		

1	2	3	4
	B/F.	2,82,500	2,76,600
23. Young Men's Progressive Arts Club P.O. Muncompu, Dist. Alleppey 688 502	Books & Furniture	10,000	
24. 1125, Service Co-operative Society Grandhasala Vayalar West, P.O. Shertallay 688 529	Books & Furniture	40,000	
25. Bapuji Reading Room & Youth Centre, Bapuji Junction P.O. Athirampuzha Dist. Kottayam	Building	40,000	
26. Tagore Library & Reading Room Tagore Road Cochin 682 005	Books & Furniture	6,000	
27. Yuvajana Library & Reading Room Theru, Laxminagar P.O. Kanhangad Dist. Kanhangad 670 315	Books & Furniture	15,000	
28. Shri Avittam Thirunal Memorial Library P.O. Poonjar 686 581	Books & Furniture	8,000	
29. Ernakulam Women's Association & Club, Dewan's Road, Ernakulam, Cochin 682 016	Building	50,000	
30. Friends Association Library Kollampuzha, P.O. Attingal, Dist. Trivandrum	Building	50,000	
31. Saraswathi Vilasam Vayanasala P.O. Edakkoly, Chakkampuzha, Palai Dist. Kottayam 686 574	Books, Furniture & Building	84,000	5,85,500
Maharashtra		50,000	
32. Apte Wachan Mandir Tal. Vachanalaya, Ichal Karanji Dist. Kolhapur 416 115	Books & Furniture	40,000	
33. Lokmanya Wachanalaya, Arvi P.O. Arvi, Dist. Wardha 442 201	Books & Furniture	12,000	
34. R.G. Khatkhate Granthalaya Shiroda, P.O. Shiroda Dist. Sindhudurga	Books & Furniture	1,02,000	8,62,100
	C/F.		

1	2	3	4
	B/F.	1,02,000	8,62,100
35. Tarun Mitra Mandal (Taluka) Vachanalaya, Shirala Tal-Shirala, Dist. Sangli 415 408	Books and Furniture	40,000	
36. Saraswati Wachanalaya, Paturda Tq. Sangrampur, Dist. Buldana 444 201	Books and Furniture	30,000	
37. Shri Saibaba Sarvajanik Vachanalaya, Pimpalgaon, Kale, Tal Jalgaon, Dist. Buldana	Books and Furniture	7,500	
38. Shri Sai Sarvajanik Wachanalaya Parseoni, Tq. Parseoni Dist. Nagpur 441 105	Furniture	8,000	
39. Jeevan Vikas Granthalaya 9, Radhamohan Colony Aurangabad 431 001	Furniture	8,500	
40. Nagar Wachanalaya, Yavatmal T. D. Yavatmal	Building	40,000	
41. Ganganagar Sarvajanik Vachanalaya Ganganagar, Ichalkaranji, Kolhapur 416 116	Books & Furniture	50,000	
42. Hutatma Bhaugir Wachanalaya Chandur Rly., Dist. Amravati	Building	50,000	
43. Lokamanya Tilak Wchan Mandir, Chiplun, Dist. Ratnagiri	Building	50,000	
44. Lok Wachanalaya, Lohara, Tq. Omerga, Dist. Osmanabad 431 608	Books, Furniture & Building	27,500	
45. Sane Guruji Wachanalaya Gandhi Chawak, Hadapsar Poona 411 028	Building	50,000	
46. Dadar Sarvajanik Wacha- nalaya 3, Chhabildas Marg, Dadar Bombay	Furniture	15,000	
47. Sahid Bhagat Singh Sarvajanik Building Vachanalaya, Kurah Tq. Teosa, Dist. Amravati 444 909	Building	50,000	
48. Sangli Nagar Wachanalaya Rajwada Chowk, Sangli	Building	50,000	
	C/F.	<u>5,78,500</u>	<u>8,62,100</u>

1	2	3	4
	B/F.	5,78,500	8,62,100
49.	Shivlal Ramchand Wachanalaya Taluk Library, Madha Dist. Solapur 413 209	Building 50,000	
50.	Shri Shahu Wachanalaya Gargoti Tal. Bhudargad, Dist. Kolhapur 416 209	Books 25,000	
51.	Rajarshi Shahu Nagar Wachan Mandir, Shirol, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur	Books 37,500	
52.	Saraswati Sabha Library Chhoti Dhantoli, Nagpur 440 012	Building 50,000	
53.	Gramin Vikas Wachanalaya Manegoan (Bazar) Tal & Dist. Bhandara	Building 39,750	
54.	Shri Ganapatrao Krishnarao Mane Vidyarthi Boarding General Mofat Vachanalaya Khanapur, Dist. Sangli	Building 50,000	8,30,750
Nagaland			
55.	Noksen Students Union Library B.P.O. Noksen Dist. Tuensang	Books & Furniture 4,500	
56.	Kongsang Students Union Library B.P.O. Noksen, Dist. Tuensang	Books & Furniture 3,500	8,000
Orissa			
57.	Chakradharee Village Welfare Club, Vill. Shiarimalla P.O. Munduribeda, Via-Khamar Dist. Dhenkanal, 759 118	Books & Furniture 10,000	
58.	Jageswary Pathagar At-Jangal Bori, P.O. Nayahat Dist. Puri	Building 25,000	
59.	Priyadarsini Smruti Sansad At-Mundiguda, P.O. Borigum, Dist. Koraput	Books & Furniture 12,000	
	C/F.	47,000	17,00,850

1	2	3	4
60. Sanjay Smruty Sikshya Sanskritik Parishad At-Adhang Shasan P.O. Anakhia, Dist. Cuttack	B/F.	47,000	17,00,850
	Books & Furniture	10,000	
61. Kalyan Samittee At & P.O. Mundilo, Via-Mandasahi Dist Cuttack	Books & Furniture	14,000	
62. Anchalik Bahumukhi Gramadyoga Samabaya Samittee At Rabanaguda, P.O. Haridaput Via-Ambaguda, Dist. Koraput	Books & Furniture	10,000	
63. Prantiya Utkal Seva Samittee At & P. O. Ampani Dist. Kalahandi	Books & Furniture	8,000	
64. Adivasi Unnayan Committee At & P.O. Ambaguda Dist. Koraput	Books, Furniture & Building	40,000	
65. Nilachakra Pathagar At & P.O. Purunabaripada Dist. Mayurbhanja	Books, Furniture & Building	45,000	
66. Madheswar Jubak Sangha At Dharmagatpur, P.O. Mirzapur, Via-Sungra, Dist. Cuttack 754 221	Books & Furniture	10,000	
67. Mo Club At & P.O. Kantabad Via-Baghamari, Dist. Puri 752 061.	Books & Furniture	16,000	
68. Gopinath Club P.O. Mendhasal, Via-Janla Dist. Puri	Books & Furniture	<u>12,000</u>	2,12,000
Rajasthan			
69. Shri Oswal Pustakalaya Ladnu 341 306	Books & Furniture	10,000	
70. Rajasthan Mahila Parisad Shanti Niketan, Gandhi Ground, Udaipur	Books & Furniture Building	<u>50,000</u>	60,000
Tamil Nadu			
71. Gopal Rao Public Library Town Hall Road, Kumbakanam 612 001	Books & Furniture	11,000	
	C/F.	<u>11,000</u>	<u>19,72,850</u>

1	2	3	4
	B/F.	11,000	19,72,850
	Books & Equipment	<u>18,500</u>	29,500
72. The Adyar Library & Research Centre, Adyar, Madras			
Uttar Pradesh			
73. Bharati Bhavan Library Bharati Bhavan Street Allahabad	Books, Furniture & Building	25,000	
74. Gaya Prasad Library Reading Room, Saraswati Mandir Meston Road, Kanpur	Books & Building	25,000	
75. Sheeraza Hindi Educational Society, Murki, Jaunpur	Books & Furniture	1,000	
76. Urdu Library P. O. Khairabad Dist. Azamgarh	Books & Furniture	2,500	
77. India Literacy Board Literacy House, P.O. Alam-bagh, Lucknow 226 005	Building	50,000	
78. Carmichael Library Association Gyanvapi, Varanasi 221 001	Books & Furniture	10,000	
79. Pilibhit Yuvak Sangha Pustakalaya Jhan Mandir, Near Tehsil, Pilibhit 262 001	Books & Furniture	<u>10,000</u>	1,23,500
West Bengal			
80. Santosh Nagar Sadharan Pathagar Vill. & P.O. Santosh Nagar Dist. Howrah	Books & Furniture	24,000	
81. Iran Society 12, Dr. M. Ishague Road Calcutta	Books & Furniture	10,000	
82. Duila Milan Mandir P.O. & Vill. Duila Dist. Howrah	Building	<u>37,000</u>	71,000
	C/F.		<u>21,96,850</u>

1	2	3	4
	B/F.		21,96,850
Andaman & Nicobar Islands			
83. Atul Smriti Samity Port Blair 744 101	Books, Furniture & Equipment	32,000	
84. Hindi Sahitya Kala parishad Hindi Bhavan, port Blair	Books	<u>2,500</u>	34,500
Delhi			
85. Bhai Vir Singh Sahitya Sadan Bhai Vir Singh Marg New Delhi	Furniture	<u>9,000</u>	9,000

Grand Total : 22,40,350

Statewise Statement of Grants released to Childrens' Libraries during 1987-88

Sl. No.	Name of the State/ Union Territory	No. of Libraries	Amount (Rs.)
			50,000.00
1.	Andhra Pradesh	20	22,500.00
2.	Assam	9 1*	1,800.00
3.	Gujarat	8 1*	20,000.00 2,500.00
4.	Haryana	1*	2,500.00
5.	Karnataka	12 1*	30,000.00 2,500.00
6.	Kerala	1*	2,500.00
7.	Maharashtra	13 2*	32,500.00 2,342.00
8.	Mizoram	1	2,500.00
9.	Orissa	20 1*	50,000.00 2,500.00
10.	Tamil Nadu	2*	3,319.00
11.	Tripura	4	10,000.00
12.	Uttar Pradesh	1*	2,500.00
13.	West Bengal	5 1*	12,500.00 2,500.00
14.	Chandigarh	1*	2,500.00
		<u>105</u>	<u>2,57,461.00</u>

* Jawahar Bal Bhawans

RRRLF Zonal Offices

1. Eastern Zonal Office,
Raja Rammohun Roy Library Foundation
DD-34, Sector-1, Salt Sake
Calcutta-700 064
Phone : 37-3463-65
2. Northern Zonal Office-cum-Guest House,
Raja Rammohun Roy Library Foundation
B-13, Greater Kailash, Enclave-1
New Delhi-110 048
Phone : 641 5508
3. Southern Zonal Office,
Raja Rammohun Roy Library Foundation
Connemara Public Library
Room No 6, New Building, Egmore
Madras-600 008
4. Western Zonal Office,
Raja Rammohun Roy Library Foundation
Directorate of Libraries
Town Hall, 5 Bhagat Singh Marg
Bombay-400 023

Statement of Libraries inspected during 1987-88

Name of the State/ Union Territory	SCL	DL*	BDL*	NYK	JBB	Total
Andhra Pradesh	1	11	29	—	—	41
Arunachal Pradesh	1	1	—	1	—	3
Assam	1	3	7	1	—	12
Bihar	1	1	10	2	—	14
**Goa	1	—	3	—	—	4
Gujarat	—	8	19	—	—	27
Haryana	—	4	6	1	—	11
Himachal Pradesh	1	1	6	—	—	8
Jammu & Kashmir	—	5	—	—	—	5
Karnataka	1	10	31	1	1	44
Kerala	1	3	13	—	—	17
Madhya Pradesh	1	5	4	—	—	10
Maharashtra	—	15	21	—	—	36
Manipur	1	2	8	2	—	13
Meghalaya	—	—	—	—	—	—

<i>Mizoram</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Nagaland</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Orissa</i>	1	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
<i>Punjab</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Rajasthan</i>	—	14	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
<i>Sikkim</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Tamil Nadu</i>	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
<i>Tripura</i>	1	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
<i>Uttar Pradesh</i>	—	6	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
<i>West Bengal</i>	—	10	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
<i>Andaman & Nicobar</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Chandigarh</i>	1	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
<i>Dadra & Nagar Haveli</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Delhi</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<i>Lakshadweep</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pondicherry</i>	—	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Total	13	120	308	17	2	17	2	460													

*DL—Divisional/Regional/District Libraries

*BDL—Below District Level Libraries

**Goa, Daman & Diu have been treated as one unit for the year 1987-88

Statement of Audited Accounts for 1987-88

(i) Receipts and payments Accounts

R e c e i p t s		Rs.	P.
I. Opening Balance :			
Cash in hand	1,758.05		97,303.15
Cash at Bank	95,545.10		1,000.00
Permanent Advance (Imprest)			
 II. Contribution Received from the Governments of :			
1. Assam	1,00,000.00		
2. Bihar	5,00,000.00		
3. Gujarat	3,75,000.00		
4. Himachal Pradesh	4,00,000.00		
5. Karnataka	4,00,000.00		
6. Madhya Pradesh	5,15,850.00		
7. Maharashtra	10,00,000.00		
8. Manipur	40,000.00		
9. Meghalaya	70,000.00		
10. Nagaland	50,000.00		
11. Orissa	5,50,000.00		
12. Punjab	2,00,000.00		
13. Rajasthan	7,85,000.00		
14. Tripura	70,000.00		
15. Uttar Pradesh	6,50,000.00		
16. Arunachal Pradesh	50,000.00		
17. Chandigarh	50,000.00		
18. Mizoram	1,00,000.00		
19. Pondicherry	25,000.00		
	59,30,850.00		
 III. Grants Received from Govt. of India :			
Non-Plan	10,12,819.00		1,49,86,019.00
Plan	1,39,73,200.00		2,10,15,172.15
	2,42,56,019.00		

C/F.

with Audit Report and Comments

for the period from 01.04.87 to 31.03.88

		P a y m e n t s		
		Rs.	P.	Rs. P.
I. Administration :				
1.	Pay & Allowances of Staff	9,54,496.50		
	Less : Recv. I. T.	21,157.00		
		<u>9,33,339.50</u>		9,26,138.50
	Less : Recv. P. T.	7,201.00		
				<u>1,03,067.15</u>
2.	Travelling Allowances of Staff			9,190.85
3.	Medical & other allowances of Staff			91,738.90
4.	T. A. etc. of non-official members in connection with meeting of the Foundation, Administrative Committee etc.			2,77,158.01
5.	Other Charges			22,113.00
6.	Leave Salary & Pension Contribution			48,758.26
7.	Maintenance of Staff Car			7,152.00
8.	Foundation's Contribution to CPF			3,420.71
9.	Payment of Interest on CPF			28,212.63
10.	Payment of Interest to GPF			1,000.00
11.	Staff Welfare			42,080.00
12.	Audit Fee			28,258.40
13.	Departmental Canteen	28,426.40		
	Less : P. Tax	168.00		
		<u>28,258.40</u>		16,400.00
14.	Advances :			2,000.00
	(i) Festival			30,000.00
	(ii) Bi-cycle			7,201.00
	(iii) House Building			<u>16,43,889.41</u>
15.	Deposit of Professional Tax			

C/F.

R e c e i p t s

Rs. P.

Rs. P.
2,10,15,172.15

B/F.

IV. Miscellaneous Receipts :

1. Bank Interest	3,53,467.27	
2. Refund of T.A. (Staff)	10,139.50	
3. Refund of Leave Salary	4,027.00	
4. Gratuity and Pension received from Ministry	17,663.00	
5. Sales Proceeds	300.00	
6. Private use of Staff Car	119.00	
7. Royalty	19,577.25	
8. Refund of T.A. (Members)	778.60	
9. L. S. Contribution	5,122.50	
10. C.P.F. Contribution	4,761.00	
11. Refund of Bonus	1,187.10	
12. Boarding & Lodging Charges of DGH	6,909.00	
13. Others	9,535.58	
	<u> </u>	

4,33,586.80

V. RRRLF (Employees) CPF Account :

I. Opening Balance :

Cash in hand	—	
Cash at Bank	2,43,305.00	
(including investment)	<u> </u>	

2,43,305.00

II. Contribution etc. :

(i) Employees Subscription	1,383.00	
(ii) Refund of Advance	—	
(iii) Foundation's Contribution to CPF.	7,152.00	
(iv) Foundation's Contributions towards payment of Interest	3,420.71	
(v) Interest received from Bank (Savings Account)	4,205.29	
	<u> </u>	

16,161.00

2,17,08,224.95

C/F.

Payments

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			16,43,889.41	
16. Deposit of Professional Tax of Canteen Staff		168.00		
17. Payment of Bonus		20,578.00		
18. Deposit of Income Tax		21,157.00		
19. T.A. of Delhi Guest House		604.00		
20. Pay & Allowances of Staff of Delhi Guest House		40,432.90		
21. Rent of Building for Delhi Guest House		66,605.00		
22. Deposit to Landlord for Delhi Guest House Rent		—		
23. Other charges for Delhi Guest House		7,254.55		
24. Deposit to P & T Deptt. for Delhi Guest House		—		
25. Caution money deposit for regulator & Gas Cylinder		950.00		
26. Pay & Allowances of DZO		25,100.00		
27. Other charges of DZO		1,004.10		
28. T. A. of DZO		15,829.55		
29. Pay & Allowances of BZO		23,112.00		
30. Other charges of BZO		1,456.30		
31. T.A. of BZO		13,264.50		
32. Pay & Allowances of MZO		15,508.30		
33. Other charges of MZO		456.00		
34. T.A. of MZO		11,604.50		
35. Matured Value of the NSC transferred to CP Fund		9,000.00	19,17,974.11	
II. Promotion of Library Services :				
<i>(Continuing Schemes)</i>				
1. Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials				19,17,974.11
C/F.				19,17,974.11

R e c e i p t s

Rs. P.

2,17,08,224.95

B/F.

VI. RRRLF (Employees) GPF Account :

I. *Opening Balance :*

Cash in hand	—	
Cash at Bank	1,38,490.00	1,38,490.00

II. *Subscription etc. :*

(i) Employees subscription	85,179.00	
(ii) Refund of Advance	22,877.00	
(iii) Payment of Interest	28,212.63	
(iv) Interest from Bank	7,065.37	1,43,334.00

2,19,90,048.95

C/F.

P a y m e n t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			19,17,974.11	
(i) Strengthening of District & Sub-Divisional & Rural Libraries	1,19,98,733.18			
(ii) Assistance to Centrally Sponsored Libraries	75,612.39			
(iii) Assistance to State & District Libraries through Central Selection of books	35,65,682.71			
2. Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services	1,31,796.60			
3. Assistance to old and well established libraries towards processing (cataloguing and classification) binding and preservation of out-of-print books and of rare manuscripts.	22,500.00			
4. Assistance to Libraries towards storage of books	1,36,462.00			
5. Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book-Exhibitions etc.	1,18,500.00			
6. Financial Assistance to voluntary organisations working in the Field of Public Libraries	22,40,350.00			
7. <i>New Schemes</i>				
(i) Assistance to State Central Libraries & Dist. Libraries to acquire TV-cum-VCR and Cassetts for educational purpose.	3,37,880.00			
(ii) Assistance to Library of High Commission Office, Mauritius	15,328.52			
(iii) Assistance to Children's Libraries & Children's Section of General Public Libraries	2,57,461.00		1,89,00,306.40	
			<u>2,08,18,280.51</u>	

C/F.

Receipts

Rs. P.

Rs. P.

2,19,90,048.95

B/F.

GRAND TOTAL

2,19,90,048.95

P a y m e n t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			2,08,18,280.51	
III. Other Promotional Activities :				
1. Meeting	15,848.70			
2. Special Library	41,767.31			
3. Publications	53,032.20		1,10,648.21	
IV. Capital Expenditure :				
1. Furniture & Equipment	1,81,080.73			
2. Furniture & Equipment for Delhi Guest House	24,231.34			
3. Construction of Office Building	34,380.00			
4. Advance for purchase of Visadex Cabinet	4,648.00		2,52,975.51	
5. Furniture & Equipment for BZO	8,635.44			
V. Closing Balance :				
1. Cash in Hand	80.00		2,65,854.72	
2. Cash at Bank	2,65,774.72		1,000.00	
3. Permanent Advance (Imprest)	—			
VI. RRRLF (Employees) CPF Account :				
1. Advance to Employees	—		58,889.00	
2. Payment towards final settlement	58,889.00			
3. Closing Balance :				
Cash in Hand	—			
Cash at Bank	51,877.00		2,00,577.00	
Investment	1,48,700.00			
VII. RRRLF (Employees) GPF Account :				
1. Advance to Employees	49,156.00		49,156.00	
2. Payment towards final settlement	—			
3. Closing Balance .				
Cash in Hand	—			
Cash at Bank	32,668.00		2,32,668.00	
4. Investment	2,00,000.00			
GRAND TOTAL			2,19,90,048.95	

(ii) Income and Expenditure Account

E x p e n d i t u r e		Rs.	P.
1. Administration :			
1. Pay & Allowances of Staff		9,70,347.50	
2. Travelling Allowances of Staff		92,927.65	
3. Medical and other Allowances of Staff		9,190.85	
4. T.A. etc. of the non-official members of the Foundation, Administrative Committee etc.		91,688.30	
5. Other Charges	..	2,78,791.01	
6. Leave Salary and Pension Contribution		16,990.50	
7. Maintenance of Staff Car		48,758.26	
8. Foundation's Contribution to CPF		1,032.00	
9. Payment of Interest on GPF		28,212.63	
10. Payment of Interest on CPF		3,420.71	
11. Staff Welfare		1,000.00	
12. Departmental Canteen		28,426.40	
13. Payment of Bonus		19,390.90	
14. Pay & Allowances of Staff of Delhi Guest House		41,750.90	
15. Rent of Delhi Guest House		93,500.00	
16. Other Charges for Delhi Guest House		7,254.55	
17. Matured Value of N.S.C. transferred to C.P.F.		9,000.00	
18. Audit Fee		42,080.00	
19. T.A. to Delhi Guest House		604.00	
20. Pay and Allowances of Delhi Zonal Office		25,100.00	
21. Other Charges of Delhi Zonal Office		1,004.10	
22. T.A. to Delhi Zonal Office		15,829.55	
23. T.A. to Bombay Zonal Office		13,264.50	
		<u>18,31,020.61</u>	
	C/F.		

for the Year ending on 31.03.88

I n c o m e

	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Contribution Received from the Government :						
(a) State Government			59,30,850.00			
(b) Central Govt.	1,49,86,019.00					
Less : Fund capitalised for capital expenditure		2,90,094.82				
		<u>1,46,95,924.18</u>				
Add : Fund capitalised in excess in the previous year	10,00,234.30		<u>1,56,96,158.48</u>		2,16,27,008.48	

2,16,27,008.48

E x p e n d i t u r e		Rs.	P.
	B/F.		18,29,564.31
24.	Other Charges of Bombay Zonal Office	1,456.30	
25.	Pay and Allowances of Bombay Zonal Office	23,112.00	
26.	Pay and Allowances of Madras Zonal Office	25,508.30	
27.	Other Charges of Madras Zonal Office	456.00	
28.	T.A. to Madras Zonal Office	<u>11,604.50</u>	18,91,701.41
II. Promotion of Library Services :			
<i>(Continuing Schemes)</i>			
1.	Assistance paid by way of purchase and distribution of books (Dt., Rural, Central Selection and Cent. Spon. Scheme)	1,56,39,492.70	
	<i>Less :</i> Clearance of old liabilities during the year	<u>4,81,193.44</u>	
		1,51,58,299.26	
	<i>Add :</i> Outstanding liabilities during the year	<u>7,20,825.68</u>	
		1,58,79,124.94	
2.	Assistance to old and well established libraries towards processing (cataloguing and classification) binding and preservation of out-of-print books and rare manuscripts	22,500.00	
3.	Assistance to libraries towards storage of books	1,35,962.00	
4.	Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibition	1,18,500.00	
5.	Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the field of Public Libraries	<u>22,27,350.00</u>	
	C/F.		1,83,83,436.94
			18,91,701.41

Income

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			2,16,27,008.48	
II. Miscellaneous Receipts :				
1. Interest on Cycle Advance			90.00	
2. Gratuity & Pension received from Ministry			17,663.00	
3. Sales Proceeds			300.00	
4. Private use of Staff Car			119.00	
5. Royalty				
(a) From M/s. Naya Prokash	13,496.00		19,677.25	
(b) From M/s. Orient Longman	6,181.25			
6. Matured value of N. S. C. received from Bank			9,000.00	
			3,53,467.27	
III. Interest received from Bank				
			1,318.00	
IV. Recovery of Service Charge from employees of Delhi Guest House				
			6,909.00	
V. Boarding and Lodging Charges of Delhi Guest House				

2,20,35,552.00

C/F.

E x p e n d i t u r e		Rs.	P.
	B/F.	1,83,83,436.94	18,91,701.41
6.	Assistance towards develop- ment of rural book deposit centres and Mobile Library Services	1,44,796.60	
<i>New Schemes :</i>			
1.	Assistance to State Central Libraries and District Libraries to acquire TV-cum-VCR sets & cassetts for educational pur- pose	3,37,880.00	
2.	Assistance to Library of High Commission Office Mauritius	15,328.52	
3.	Assistance to Children's Libra- ries and Children's Section of General Public Libraries	<u>2,57,461.00</u>	1,91,38,903.06
III. Other Promotional Activities :			
1.	Meeting	15,120.70	68,152.90
2.	Publication	<u>53,032.20</u>	9,36,794.63
IV. Excess of Income over Expenditure			
GRAND TOTAL		<u>2,20,35,552.00</u>	

I n c o m e

Rs. P.

Rs. P.

B/F.

2,20,35,552.00

GRAND TOTAL

2,20,35,552.00

L i a b i l i t i e s		Rs.	P.
I. Capital Fund :			
As per last Account		43,94,889.52	
<i>Add</i> : Excess of Income over Expenditure		<u>9,36,794.63</u>	
		53,31,684.15	
<i>Add</i> : Fund Capitalised		<u>2,90,094.82</u>	
		56,21,778.97	
<i>Less</i> : Fund Capitalised in excess in the previous year		<u>10,00,234.30</u>	46,21,544.67
II. Outstanding Liabilities :			
As per last Account		6,63,655.47	
<i>Less</i> : Clearance during the year		<u>4,81,193.44</u>	
		1,82,462.03	
<i>Add</i> : Outstanding liabilities during the year		<u>7,20,825.68</u>	9,03,287.71
III. C. P. F. Contribution received but not adjusted as per last Account			
		1,359.00	—
Cleared during this year		<u>1,359.00</u>	
			<u>55,24,832.38</u>

C/F.

31st March, 1988

		A s s e t s			
		Rs.	P.	Rs.	P.
I. Furniture & Equipments :					
As per last Account		7,33,490.32		9,14,571.05	
Add : during the year		<u>1,81,080.73</u>			
II. Land & Building					
Land					
As per last Account		80,768.45		80,768.45	
Add : during the year		<u>—</u>			
Building					
As per last Account		1,36,364.38		28,68,360.68	
Add : during the year		<u>27,31,996.30</u>			
III. Staff Car :					
As per last Account		1,16,886.61		1,16,886.61	
Add : during the year		<u>—</u>			
IV. Special Library :					
As per last Account		54,759.91		96,527.22	
Add : during the year		<u>41,767.31</u>			
V. Deposit (P & T Deptt.) :					
As per last Account		15,384.00		13,751.00	
Less : Clearance during the year		<u>1,633.00</u>			
				40,90,865.01	

C/F.

73.

Liabilities

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			55,24,832.38	
IV. Royalty Advance :				
As per last Account	100.00			
<i>Less</i> : Cleared during this year	100.00			
V. Security Deposit :				
As per last Account	2,300.00			
<i>Add</i> : during the year	—			
	2,300.00		1,800.00	
<i>Less</i> : Cleared during the year	500.00			
VI. RRRLF (Employees) C.P.F. Account :				
As per last Account	2,43,305.00			
<i>Add</i> : during the year	16,161.00			
	2,59,466.00		2,00,577.00	
<i>Less</i> : withdrawal during the year	58,889.00			
VIII. RRRLF (Employees) G.P.F. Account :				
As per last Account	1,38,490.00			
<i>Add</i> : during the year	1,43,334.00			
	2,81,824.00		2,32,668.00	
<i>Less</i> : withdrawal during the year	49,156.00			
C/F.			59,59,877.38	

A s s e t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			40,90,865.01	
VI. Delhi Guest House :				
(a) Furniture & Equipments				
As per last Account	69,412.57		93,643.91	
Add : during the year	24,231.34			
	<u> </u>			
(b) Land Lord (Rent of Building)				
As per last Account	36,330.00			
Add : deposit during the year	—			
	<u> </u>			
Less : Clearance during the year	36,330.00		9,435.00	
	<u>26,895.00</u>			
(c) Deposit (P & T Deptt.)				
As per last Account	8,000.00		8,000.00	
Add : deposit during the year	—			
	<u> </u>			
(d) Caution Money for Gas Cylinder				
As per last Account	—		950.00	
Add : during the year	950.00			
	<u> </u>			
VII. Bombay Zonal Office :				
Furniture & Equipments				
As per last Account	—		8,635.44	
Add : during the year	8,635.44			
	<u> </u>			

42,11,529.36

C/F.

Liabilities

Rs. P.

Rs. P.

59,59,877.38

B/F.

59,59,877.38

C/F.

A s s e t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			42,11,529.36	
VIII. Advances :				
<i>Festival :</i>				
As per last Account	4,600.00			
Add : during the year	<u>16,400.00</u>			
	21,000.00		7,680.00	
Less : refund during the year	<u>13,320.00</u>			
<i>Bi-Cycle :</i>				
As per last Account	1,376.00			
Add : during the year	<u>2,000.00</u>			
	3,376.00		1,696.00	
Less : refund during the year	<u>1,680.00</u>			
<i>Flood :</i>				
As per last Account	8,778.00			
Add : during the year	<u>—</u>			
	8,778.00		3,990.00	
Less : refund during the year	<u>4,788.00</u>			
<i>House Buildings :</i>				
As per last Account	—			
Add : during the year	<u>30,000.00</u>			
	30,000.00		30,000.00	
Less : refund during the year	<u>—</u>			
			42,54,895.36	
C/F.				77

Liabilities

Rs. P.

Rs. P.

59,59,877.38

B/F.

59,59,877.38

C/F.

A s s e t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
--	-----	----	-----	----

42,54,895.36

IX. Advances : B/F.

(a) (i) *Advance for construction of Office Building to M.D. Deptt.*

As per last Account 26,97,616.30

Less : Clearance during the year 26,97,616.30 —

(ii) *Advance for Construction of Office Building to N.B.C.C.*

As per last Account 10,00,000.00

Add : during the year 10,00,000.00

(b) *Advance for purchase of UNESCO Publication for Special Library*

As per last Account 234.30

Less : Clearance during the year 234.30

(c) *Advance for purchase of Visadex Cabinet*

As per last Account —

Add : during the year 4,648.00 4,648.00 10,04,882.30

52,59,777.66

Liabilities

B/F.

Rs. P.

Rs. P.
59,59,877.38

GRAND TOTAL :

59,59,877.38

A s s e t s

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			52,59,777.66	
X. RRRLF (Employees) CPF Account :				
Closing Balance :				
Cash in Hand	—			
Cash at Bank	51,877.00		2,00,577.00	
Investment	<u>1,48,700.00</u>			
XI. RRRLF (Employees) GPF Account :				
Closing Balance :				
Cash in hand	—			
Cash at Bank	32,668.00		2,32,668.00	
Investment	<u>2,00,000.00</u>			
XII. Closing Balance :				
Cash in hand	80.00		2,65,854.72	
Cash at Bank	<u>2,65,774.72</u>		1,000.00	
Permanent Advance (Imprest)				

GRAND TOTAL :

59,59,877.38

Sd/- A. K. BANERJEE
Accounts Officer

Sd/- B. P. BARUA
Director

Audit Report on the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for the year 1987-88

1. Introductory :

The Raja Rammohun Roy Library Foundation was set up by the Government of India in May 1972 as an autonomous body and registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. It aims at promoting and supporting the public library movement in the country by providing adequate library services and popularising the reading habit particularly in rural areas. It is mainly financed by the Government of India and it renders financial aid and technical assistance to libraries all over the country.

2. Utilisation of grants and contributions :

2.1. The details of utilisation of grants and contributions received during the year 1987-88 were as follows :

		<i>Amount (Rs. in lakhs)</i>
A. Opening balance as on 1st April, 1987		0.97
B. Grants received from the Government of India during the year 1987-88		
(i) Non-Plan	10.13	} <u>149.86</u> 150.83
(ii) Plan	139.73	
C. Contributions received during the year 1987-88		
(i) 17 States	58.56	} <u>59.31</u> 210.14
(ii) 2 Union Territories	0.75	

	<i>Amount</i> <i>(Rs. in lakhs)</i>
B/F.	210.14
D. Miscellaneous receipts	<u>3.90</u>
Total : (A+B+C+D)	214.04
Less : Expenditure during the year 1987-88	<u>211.38</u>
Closing balance	2.66

2.2. The non-plan grant of Rs. 10.13 lakhs was released by the Government of India for the year 1987-88 after adjustment of Rs. 0.07 lakh representing the unspent balance of the previous year. The sum of Rs. 139.73 lakhs available for expenditure under plan head during the year 1987-88 included Rs. 63.17 lakhs sanctioned for 1986-87 but released by the Ministry and received by the Foundation during 1987-88.

2.3. There were outstanding liabilities to the tune of Rs. 9.03 lakhs as on 31st March, 1988 against which the unspent balance was only Rs. 2.66 lakhs. The Foundation, however, stated (July, 1988) that the unspent balance of Rs. 2.66 lakhs entirely represented the unspent State Government contributions and as such would not be available to meet outstanding liabilities under the assistance schemes which were to be met from next plan budget.

2.4. Out of the total State Government/Union Territories contributions of Rs. 42.27 lakhs (being 50% of the total matching grant of Rs. 84.54 lakhs) the Foundation had an unspent balance of Rs. 2.66 lakhs only whereby it was clear that a sum of Rs. 39.61 lakhs

pertaining to State/Union Territories share were utilised by the Foundation. The position of outstanding liabilities (Rs. 9.03 lakhs) as on 31st March, 1988 indicated that the Foundation incurred expenditure by diversion of State contribution.

- 2.5. The quantum of financial assistance rendered by the Foundation for each State and Union Territory was generally given on a matching basis in equal ratio and the maximum amount to be matched in a year was enhanced from Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs during the 7th plan period depending on size, population and past utilisation and availability of resources of the States. Though the State Governments and Union Territories did not pay contribution every year, the arrears were subsequently paid in order to obtain benefits of the scheme for the respective years.

The States continued the practice of sending proposals for purchase of books for several years together as before. The accounts, however, did not indicate and distinguish contributions received as for the current year and the past years.

3. Comments on Accounts.

3.1. Balance Sheet.

The Foundation had outstanding liabilities of Rs. 9.03 lakhs as on 31st March, 1988. The year-wise break-up of which is as follows :

Year	Amount (Rs. in lakhs)
Prior to 1985-86	1.02
1985-86	0.12
1986-87	0.68
1987-88	7.21
	9.03

The detailed breakup of the outstanding liabilities prior to 1985-86 could not, however, be produced to audit. The Foundation stated (October, 1988) that outstanding liabilities prior to 1985-86 could not be cleared due to non-receipt of acknowledgement from the concerned libraries. It further stated that special steps were being taken to clear the outstanding liabilities.

3.2. The liabilities of the Foundation on account of General Provident Fund and Contributory Provident Fund as exhibited in the accounts for the year 1987-88 differed from those reflected in the relevant ledgers/Broad Sheets for that year as per details below :

	<i>As per accounts</i>	<i>As per Broad Sheet/Ledger</i>	<i>Difference</i>
General Provident Fund	2,32,668.00	3,45,253.00	1,12,585.00
Contributory Provident Fund	2,00,577.00	12,491.00	1,88,086.00

The difference was due to the fact that while the transfer of balances from Contributory Provident Fund to General Provident Fund in respect of those who opted for pension scheme, was effected in the respective individual ledger accounts, the same could not be effected in the general accounts of the Foundation. As a result, in the annual accounts for 1987-88 the General Provident Fund was understated by Rs. 1,12,585.00 and the Contributory Provident Fund was overstated by Rs. 1,88,086.00. The excess amount of Rs. 1,88,086.00 shown in the Balance

Sheet against Contributory Provident Fund included Rs. 75,501.00 representing employer's share of contribution and interest thereon accumulated over years which should have been credited to revenue. Had this amount been so credited, the surplus in the revenue account would have been Rs. 10.12 lakhs instead of Rs. 9.37 lakhs. The Foundation, however, stated (September, 1988) that the transfer of balances between the two funds would be effected during 1988-89.

The employer's share of Rs. 75,501.00 (inclusive of interest) was contributed out of Government of India grants received from time to time. Consequent upon implementation of General Provident Fund-cum-Pension Scheme, the Government of India, Department of Culture agreed (July, 1985) that expenditure on account of Pension and other retirement benefits would be met from Government grants as and when necessary. The amount of Rs. 75,501.00 should, therefore, be adjusted against future grants.

Separate Receipts and Payments accounts, Income and Expenditure accounts and Balance Sheet for General Provident Fund and Contributory Provident Fund were not prepared though suggested in Paragraph 3.5 of Audit Report for 1986-87. The Foundation stated (September, 1988) that steps were being taken to prepare separate accounts for General Provident Fund and Contributory Provident Fund from the year 1988-89.

4. **Guest House in Delhi.**

The General Body of the Foundation in its 23rd

meeting held on 3rd September, 1985 had accepted a proposal for setting up of a Zonal Office in Delhi with small staff component in a building sharing with some other autonomous bodies sponsored by the Ministry of Education like Indian Council of Philosophical Research and Indian Institute of Advanced Study. The Administrative Committee, however, decided to set up Zonal Office-cum-Guest House in Delhi (May, 1986) and accordingly the Foundation hired (1st November, 1986) an accommodation measuring 2200 sq. ft. in New Delhi at a monthly rent of Rs. 8,500 (as demanded initially by the landlord). The decision of the Administrative Committee was not ratified by the Foundation in any of its meetings nor was it got approved by the Government of India as yet (July, 1988). The management however, stated (September, 1988) that this matter would be put up to next meeting of the Foundation for ratification.

Two separate deeds were executed (26th November, 1986), one between the Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation and the landlord in respect of accommodation for which monthly rent of Rs. 7000/- was fixed and the other between the Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation and a lady for a monthly rent of Rs. 1500/- towards hire charges of fixtures and fittings provided in the accommodation. The lady did not have any onus on the building. As per the above agreements or deeds, the Foundation paid Rs. 51,000/- as advance payment of rent for six months. The Foundation stated (September, 1988) that the necessity for executing two separate agreements and splitting the amount of rent into two parts (Rs. 7000/- and Rs. 1500/-) was as per demand of the landlord.

The Foundation appointed one Caretaker-cum-Clerk, one Farash-cum-Chowkidar, one Cook-cum-Attendant on regular basis and one Sweeper on part-time basis for this Zonal Office-cum-Guest House and incurred a total expenditure of Rs. 3.55 lakhs on rent (Rs. 1.70 lakhs), pay & allowances of staff (Rs. 0.65 lakh) and other charges including capital expenditure (Rs. 1.20 lakhs) to the end of June, 1988.

One Assistant Field Officer was employed solely for the Zonal Office on 2nd June, 1987. Of the total rented accommodation of 2200 square feet, an area of about 450 square feet was being utilised for the Zonal Office. The Caretaker-cum-Clerk and Farash-cum-Chowkidar also worked as clerk and farash of the office. The Foundation stated (October, 1988) that although 50% of pay and allowances of these two officials should have been booked under zonal office, actually their entire pay and allowances had been allocated under Guest House.

The Guest House was opened in December, 1986. Till June, 1988 accommodation in the Guest House could be used to the extent of 10 per cent only (of which 6 per cent being non-official) and the Foundation received Rs. 6,909.00 as the boarding and lodging charges so far (July, 1988). The charges were realised in accordance with the rates fixed by the Administrative Committee (February, 1987) on the basis of rates of the Guest House of Indian Institute of Advanced Studies at Simla and also keeping in view the prevailing market rate. The original documents in support of the receipts of boarding and lodging charges realised having

been retained at Delhi, could not be shown to audit. It was calculated by audit that even if all the beds in the Guest House would remain occupied throughout the year, the Foundation would earn Rs. 0.43 lakh from Guest House charges against an annual expenditure of Rs. 1.06 lakhs on account of proportionate rent of the building and pay and allowances of existing staff in the Guest House (excluding 50 per cent of pay and allowances of staff engaged in the zonal office). The utilisation of the Guest House for official purposes (only 4 per cent occupancy) would hardly justify its maintenance by a small organisation like the Foundation at a net annual expenditure of over Rs. 0.63 lakh. The Foundation itself admitted (September, 1988) that the total unjustified expenditure towards Guest House would be about Rs. 0.60 lakh per annum.

5. Inspection of Library.

In paragraph 7 of the Audit Report for the year 1986-87 the need for inspection of libraries receiving assistance from the Foundation was emphasised. In Annual Report of the Foundation for the year 1986-87 it was stated that the Foundation covered 19,436 libraries at various levels and rendered total assistance of Rs. 605.99 lakhs upto 1986-87. During 1987-88 the Foundation covered 6086 libraries and rendered financial assistance of Rs. 189 lakhs. Thus, total number of libraries covered and financial assistance rendered during last 16 years were 25,522 and Rs. 794.99 lakhs respectively. Details relating to the period prior to 1977-78 were not made available to audit.

The details for the period 1977-78 to 1987-88 were as follows :—

Year	No. of libraries covered	Amount of financial assistance (Rs. in lakhs)	No. of libraries actually inspected
1977-78	3090	31.43	Not available
1978-79	6113	37.97	- do -
1979-80	5747	31.98	- do -
1980-81	4998	37.12	10
1981-82	6676	32.98	9
1982-83	1957	49.12	10
1983-84	3369	39.70	18
1984-85	2961	51.28	26
1985-86	2224	55.54	20
1986-87	4387	133.35	12
1987-88	6086	189.00	460

Although the number of Libraries inspected during 1987-88 had increased to 460 from 12 during 1986-87, the inspection work needed further intensification.

6. Committed Liability :

The committed liability of the Foundation during the last three years on different assistance schemes was as follows :—

1985-86	1986-87 (Rs. in lakhs)	1987-88
45.21	91.58	82.28

The committed liability represented the amount of assistance due against contributions received from States and Union Territories but remained unspent due to various reasons like non-submission of proposals by the beneficiary States and Union Territories and non-submission of adjustment bills by the suppliers of books and also due to expenditure incurred for some States by diversion of contributions received from other States to be adjusted against the future contributions of the defaulting States. The extent of unspent contributions of States and Union Territories amounted to Rs. 42.27 lakhs as on 31st March, 1988, of which Rs. 39.61 lakhs were diverted by the Foundation for expenditure on defaulting States/ Union Territories. Although the excess expenditure of Rs. 5.52 lakhs incurred for Orissa, Rs. 3.58 lakhs for Rajasthan and Rs. 1000.00 for Manipur during the year 1986-87 were adjusted during 1987-88, similar excess expenditure of Rs. 3.95 lakhs, Rs. 0.12 lakh and Rs. 3.33 lakhs incurred for Orissa, Goa, Daman, Diu and West Bengal respectively remained unadjusted till the end of 1987-88. Out of the total committed liabilities of Rs. 82.28 lakhs, the liability

in respect of the following States was above Rs. 4 lakhs :

	<i>(Rs. in lakhs)</i>
Andhra Pradesh	11.83
Bihar	11.33
Gujarat	4.15
Himachal Pradesh	5.64
Karnataka	9.60
Madhya Pradesh	5.60
Maharashtra	10.17
Rajasthan	4.56

The Foundation stated (July, 1988) that it was taking up the matter regularly with the authorities of the States and Union Territories concerned for proper implementation of the Foundation's schemes.

7. Account not submitted by Libraries receiving financial assistance

The Foundation rendered financial assistance (paid in the form of Cash grant) to the tune of Rs. 32.45 lakhs during 1987-88 to different Libraries for which Utilisation Certificates and audited statements of Accounts were to be furnished to the Foundation in support of the expenditure incurred out of the grant after the close of the financial year in which the grant was paid. It was observed that most of the libraries receiving cash grants did not furnish such returns and statements of accounts to the Foundation. The position of cash grant

released and the number of defaulting libraries are indicated below :—

Name of the Scheme	Amount paid upto the end of 1987-88 (Rs. in lakhs)	Nos. of Libraries covered	Amount for which Utilisation Certificate and Audited Statement of Accounts not received upto 1987-88 (Rs. in lakhs)	No. of libraries involved
1. Binding and Preservation of rare books	7.74	461	3.32	295
2. Seminars, Workshops, Training courses & Book Exhibitions	4.91	68	1.66	38
3. Storage of Books	9.94	1146	8.04	832
4. Voluntary organisations	52.82	213	52.82	213
5. Children's library	2.57	105	2.52	101
6. TV-cum-VCR & Cassettes	3.38	10	3.38	10
7. Rural Book Deposit Centre & Mobile Library	1.00	11	Not furnished	Not furnished
	82.36	2014	71.74	1489

The Organisation stated (September, 1988) that special efforts were being made to obtain the Utilisation Certificates and Audited Statement of Accounts from the defaulting libraries.

8. Service Rules and Recruitment Rules :

The Administrative Committee in its 37th meeting held on 9th February, 1987 while accepting and approving in principle the Service Rules and Recruitment Rules of the Foundation had commented that the said rules would be submitted to the Government of India, Department of Culture for approval. The Administrative Committee opined (February, 1987) that meanwhile recruitment to vacant posts would be made on the basis of the recruitment rules as prepared by a sub-committee. The above decision of the Administrative Committee was not ratified by the Foundation as yet (July, 1988). When approached the Department of Culture of the Ministry approved the service rules only and not the recruitment rules (July, 1988).

Meanwhile, the Foundation promoted 15 personnel to higher posts and recruited 26 new staff in different capacities on the strength of the above Recruitment Rules which were still to be approved by the Government of India (July, 1988).

Place : Calcutta

Dated : 4th November 1988

Sd/- Smt. M. Chatterjee
Director of Audit (Central),
Calcutta

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and Balance Sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for the year ending 31st March, 1988. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and a fair view of the state of affairs of the Raja Rammohun Roy Library Foundation according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta.

Place : Calcutta
Dated : 4th November 1988

Sd/- Smt. M. Chatterjee
Director of Audit (Central)
Calcutta

FOUNDATION'S COMMENTS ON AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 1987-88

Para 2.1 to 2.3 No comments.

Para 2.4 Foundation has utilised Rs. 39.61 lakhs from State Government contributions on the basis of Ministry's letter of sanction to the tune of Rs. 54.69 lakhs.

Para 2.5 Matching Assistance were granted as per approved provisions and rules.

Para 3.1 No comments.

Para 3.2 Foundation could not transfer the fund as because a sum of Rs. 1,48,700.00 stands invested under long term securities of the Government. However, transfer of balance between the Funds would be effective during 1988-89 with the approval of the General Body. Separate Fund accounts will be maintained from 1988-89.

Para 4 The financial and administrative powers of the Foundation are vested in the Administrative Committee. The Minutes of Administrative Committee meetings are reported to the Foundation and the latter accepts it with or without comments. Acceptance of the Minutes always been treated as ratification of the Minutes though the term "ratified" was not actually used. Execution of two separate deeds was made as per the

demand of the landlord and as per the prevailing practices.

The Guest House of RRRLF is meeting the needs of several institutions and organisations of the Ministry of Human Resource Development. Its utilisation is increasing gradually. Steps are also being taken to increase the lodging rates.

Para 5 to 7

No comments. Some Utilisation Certificates in respect of grants given in 1987-88 were not yet due.

Para 8

Final decision of the Ministry will be shown to the Audit as and when received.

Sd/- B. P. Barua
Director

Sd/- A. K. Banerjee
Accounts Officer

Statement of Number of Libraries assisted during 1987-88

Name of the State/ Union Territory	SCL*	DL*	SDL* & TALUKA	TRL*	NYK*	JBB*	VO*	TOTAL
Andhra Pradesh	1	23	£	£	—	—	2	26(+) £
Arunachal Pradesh	1	11	2	28	—	—	—	42
Assam	1	17	11	100	—	1	—	130
Bihar	1	31	—	214	—	—	5	251
**Goa	1	—	4	35	—	—	—	40
Gujarat	1	18	37	725	—	1	5	787
Haryana	1	11	—	—	—	1	—	13
Himachal Pradesh	1	11	—	150(+) £	—	—	—	162(+) £
Jammu & Kashmir	1	14	—	—	—	—	—	15
Karnataka	1	19	175	—	6	1	—	202
Kerala	1	11	—	544	—	1	19	576
Madhya Pradesh	1	45	—	2,000	—	—	—	2,046
Maharashtra	—	31	—	631	—	1	23	686
Manipur	1	5	—	36	—	—	—	42
Meghalaya	1	4	—	—	2	—	—	7
Mizoram	1	2	—	102	—	—	—	105

<i>Nagaland</i>	1	6	—	91	—	—	—	2	100
<i>Orissa</i>	1	13	—	350	—	1	—	12	377
<i>Punjab</i>	1	11	—	—	—	—	—	—	12
<i>Rajasthan</i>	1	26	—	68	—	—	—	2	97
<i>Sikkim</i>	—	4	—	—	—	—	—	—	4
<i>Tamil Nadu</i>	—	16	—	100	12	1	—	2	131
<i>Tripura</i>	1	3	—	20	—	—	—	—	24
<i>Uttar Pradesh</i>	1	56	—	46	—	1	—	7	111
<i>West Bengal</i>	1	17	—	£	—	1	—	3	22(+) [£]
<i>Andaman & Nicobar</i>	1	—	—	—	—	—	—	2	3
<i>Chandigarh</i>	1	—	—	—	—	1	—	—	2
<i>Dadra & Nagar Haveli</i>	1	1	—	—	1	—	—	—	3
<i>Delhi</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<i>Lakshadweep</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Pondicherry</i>	1	2	—	45	—	—	—	—	48
T O T A L	27	408	229	5,285	21	11	85	6,066(+)[£]	

£-No. of Libraries covered during 1987-88 not known

*SCL-State Central Libraries ; DL-District Libraries ; SDL-Sub-Divisional Libraries ; TRL-Town and Rural Libraries
 NYK-Nehru Yuvak Kendras ; JBB-Jawahar Bal Bhawans ; VO-Voluntary Organisations

**Goa, Daman & Diu have been treated as one unit for the year 1987-88

Statement of Number of Libraries assisted during 1972-73 to 1987-88

Name of the State/ Union Territory	SCL	DL	SDL & TALUKA	TRL	BDC**	NYK	JBB	OTHERS	TOTAL
Andhra Pradesh ¹	1	27	—	852	620	14	1	—	1,515
Arunachal Pradesh	1	11	2	28	—	2	—	—	44
Assam ¹	1	10	11	116	—	4	3	—	145
Bihar ²	1	31	24	1,624	—	13	1	—	1,694
*Goa	1	—	4	95	—	1	—	3	104
Gujarat	1	18	37	2,081	11	5	1	—	2,154
Haryana	1	11	—	44	—	2	6	—	64
Himachal Pradesh ¹	1	11	—	143	—	8	1	5	169
Jammu & Kashmir	1	14	5	2	—	1	1	—	24
Karnataka ¹	1	19	175	1,924	—	8	7	—	2,134
Kerala ²	1	11	—	1,072	—	8	4	—	1,096
Madhya Pradesh	1	45	20	2,005	—	11	2	—	2,084
Maharashtra	1	39	195	1,789	1	2	7	—	2,034
Manipur	1	5	—	87	—	2	—	—	95
Meghalaya	1	4	—	—	—	2	—	—	7


	1	2	—	102	—	1	—	—	106
Mizoram	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	1	6	—	91	—	—	—	—	98
Orissa	1	13	7	1,411	130	10	2	116	1,690
Punjab	1	12	—	—	—	12	—	—	25
Rajasthan	1	29	9	68	—	12	—	—	119
Sikkim	—	4	1	—	—	1	—	—	6
Tamil Nadu ²	—	16	—	1,455	—	12	3	—	1,486
Tripura ⁴	1	3	10	18	10	2	—	—	44
Uttar Pradesh	1	90	—	589	—	28	2	—	710
West Bengal ²	1	22	—	2,295	1	8	6	—	2,333
Andaman & Nicobar ⁴	1	—	—	25	—	1	—	—	27
Chandigarh	1	—	—	1	1	1	1	—	5
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	1	—	—	3
Delhi	—	—	—	1	—	2	—	—	3
Lakshadweep	1	—	—	10	—	—	—	—	11
Pondicherry	1	2	—	51	—	2	1	—	57
T O T A L	28	456	500	17,979	774	176	49	124	20,086

*Goa, Daman & Diu have been treated as one unit for the year 1987-88


1. Figures upto 1986-87 2. Figures upto 1981-82 3. Figures upto 1985-86 4. Figures upto 1983-84

**Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres

Diagram showing year-wise Growth Rate in Expenditure and Manpower during 1972-73 to 1987-88



Pie-chart showing Quantum of Expenditure under Different Heads during 1987-88



Book Assistance under Matching Scheme	(56.65%)
Book Assistance under Non-Matching Scheme	(17.19%)
Financial Grant under Matching Scheme	(3.33%)
Financial Grant under Non-Matching Scheme	(12.06%)
Administration	(9.05%)
Other Promotional Activities	(0.52%)
Capital Expenditure	(1.20%)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिष्ठान

सोलहवाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
1987-1988

ब्लॉक डी० डी०—34, सेक्टर—1
साल्ट लेक सिटी
कलकत्ता-700 064

नवम्बर 1988

प्रकाशनाधिकार :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1,

साल्ट लेक, कलकत्ता-700 064

डा० वी० पी० बरुआ, निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिष्ठान, ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कलकत्ता
द्वारा प्रकाशित तथा मेहता फाईन आर्ट प्रेस, 20, बालमुकुन्द
मक्कर रोड, कलकत्ता-700 007, फोन : 39-1247 द्वारा मुद्रित।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक प्रतिवेदन

1987-88

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय एक : भूमिका	1
अध्याय दो : पुस्तक सहायता	6
अध्याय तीन : वित्तीय सहायता	12
अध्याय चार : प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ	18
अध्याय पांच : प्रशासन	22
अध्याय छः : उपसंहार	28

परिशिष्ट	31
1. प्रतिष्ठान के सदस्य	36
2. प्रशासनिक समिति के सदस्य	39
3. राज्य पुस्तकालय योजना समिति/ राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों की सूची	46
4. संगठन चार्ट	47
5. वर्ष 1987-88 के दौरान दी गई सहायता का विवरण	49
6. वर्ष 1987-88 के दौरान सचल पुस्तकालयों को दिए गए अनुदान का राज्यवार विवरण	

- | | | |
|-----|--|----------|
| 7. | वर्ष 1987-88 के दौरान पुस्तकों के संग्रह हेतु
दिए गए अनुदान का राज्यवार विवरण | 50 |
| 8. | वर्ष 1987-88 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को
दी गई सहायता का विवरण | 57 |
| 9. | वर्ष 1987-88 के दौरान बाल-पुस्तकालयों को
दिये गए अनुदान का राज्यवार विवरण | 68
69 |
| 10. | प्रतिष्ठान के आंचलिक कार्यालय | |
| 11. | वर्ष 1987-88 के दौरान निरीक्षित पुस्तकालयों का
राज्य वार विवरण | 70 |
| 12. | लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा मन्तव्य सहित 1987-88
के परीक्षित लेखा का विवरण | 72 |
| 13. | वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त
पुस्तकालयों का विवरण | 113 |
| 14. | वर्ष 1972-73 से लेकर 1987-88 तक प्रतिष्ठान द्वारा
पुस्तकालयों को दी गई सहायता का विवरण | 115 |
| 15. | वर्ष 1972-73 से लेकर वर्ष 1987-88 तक समस्त व्यय
एवं जन-शक्ति को वर्षरूप में दर्शाने वाला मानचित्र | 117 |
| 16. | वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न मदों पर खर्च की
गई राशि का अनुपात: | 118 |

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

1987-88

अध्याय-एक

भूमिका

यह राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन है। प्रतिष्ठान की स्थापना सन् 1972 में राजा राममोहन राय के द्वितीय जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर हुई। संयोगवश यह वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयंती वर्ष के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष भी था। यह प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित एवं पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है तथा पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्री-करण अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रतिष्ठान की स्थापना का मुख्य लक्ष्य पुस्तकालय आन्दोलन को अपने देश के कोने-कोने तक फैलाना तथा विशेषकर करोड़ों ग्रामवासियों के जीवन से युक्त करना है। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों एवं अन्य संगठनों की सक्रिय सह-भागिता एवं सहयोग से प्रतिष्ठान अपने इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

चूँकि पुस्तकालय सेवा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है अतः प्रतिष्ठान को सांविधानिक उपबन्धों की निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत

कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं की विभिन्न मौलिक संरचना होती है अतः प्रतिष्ठान द्वारा राज्यों को प्रदान की जानेवाली सहायता की सीमा और गुणात्मकता भिन्न-भिन्न होती है। वे राज्य जिन्होंने पुस्तकालय अधिनियम को अपना लिया है, प्रगति के क्षेत्र में दूसरों से बहुत आगे निकल गये हैं तथा उन्होंने पुस्तकालय आन्दोलन के प्रसार को नई दिशा दी है। ऐसे राज्यों में तमिलनाडु (1948), आन्ध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967) तथा पश्चिम बंगाल (1979) हैं। यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि आसाम, गुजरात, केरल, पाण्डिचेरी आदि राज्यों ने पुस्तकालय सेवा विकास के क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण कार्य किया है। यह बड़े चिन्ता का विषय है कि आज भी पुस्तकालय सेवा काफी हद तक व्यक्तिगत स्वैच्छिक संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में है। फिर भी हमारे देश के कुछ राज्य सरकारों ने पुस्तकालय की स्थापना एवं उसका प्रायोजन करना आरम्भ कर दिया है। यह प्रतिष्ठान ऐसे राज्यों को इस क्षेत्र में की गई पहल के लिए पूरा सहयोग प्रदान करता है। अपने सीमित संसाधनों से प्रतिष्ठान ने कतिपय समतुल्य एवं गैर-समतुल्य योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कदम उठाया है।

यह प्रतिष्ठान वित्तपोषक निकाय तो है ही साथ ही यह देश भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित करने, उनका मार्ग दर्शन एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने वाला एक राष्ट्रीय अभिकरण भी है।

इस प्रतिष्ठान को देशभर में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। वस्तुतः पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने का अर्थ अध्ययनशील लोगों की सुविधा के लिए अधिकाधिक पुस्तकालयों की स्थापना करना है। देश में पुस्तकालय की अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान ने कुछ समतुल्य एवं गैर-समतुल्य सहायता योजनाएं आरम्भ की हैं। समतुल्य योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई भी

राज्य पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर अपना अंशदान जमा कर प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। पुस्तकालय की संरचना, उसके आकार एवं उसके द्वारा लाभान्वित होनेवाली जनसंख्या तथा पहले प्राप्त निधि के उपयोग के आधार पर उसे दी जाने वाली सहायता राशि की सीमा 50,000/- रुपये से 5,00,000/- रुपये तक हो सकती है। गैर-समतुल्य सहायता सामान्यतया सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को अंशतः अपने अध्ययन सामग्री के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए तथा अंशतः पुस्तकालयों के बाल-अनुभाग के विकास के लिए दी जाती है। यह सहायता लगभग सभी श्रेणी के पुस्तकालयों जैसे-सरकारी, अर्द्ध सरकारी, सांविधिक, यहां तक की स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक को दी जाती है। चूंकि लोगों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना ही प्रधान प्रयोजन है अतः सहायता का अधिकतम भाग पुस्तकालयों में पुस्तकों का स्टॉक बढ़ाने हेतु दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिष्ठान अपने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों को भवन निर्माण, फर्नीचरों, उपकरणों तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री के क्रय हेतु सहायता प्रदान करता है। सुविधाहीन समुदाय के लोगों के लिए पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुछ वर्ष पूर्व प्रतिष्ठान ने सचल पुस्तकालय सेवा तथा ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्रों के विकास हेतु एक सहायता योजना की शुरुआत की। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता योजना की शुरुआत कर पुस्तकालय सेवाओं के स्तर में सुधार के प्रयत्न किए गए। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान (1) जिला स्तर के नीचे वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों के स्थान विस्तार हेतु, (2) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए टी० वी०-सह-भी० सी० आर० लगाने हेतु तथा (3) बाल पुस्तकालयों अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के विकास के लिए तीन नयी योजनाएं शुरू की गईं। संक्षेप में,

प्रतिष्ठान ने देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के समग्र विकास हेतु अपने सहायता कार्यक्रमों में विविधता उत्पन्न की है, जिसका अन्तिम लक्ष्य जनता में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि उनका जीवन उदात्त एवं परिपूर्ण हो सके। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान ने सातवीं योजना के दौरान अपने कार्य क्षेत्र एवं निगसनी इकाई को और सुदृढ़ करने का फैसला किया। पिछले वर्ष नई दिल्ली में एक आंचलिक कार्यालय खुलने की सूचना दी गई थी। अब तीन और आंचलिक कार्यालयों-पश्चिमांचल, दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए क्रमशः बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में खोले गए हैं।

प्रतिष्ठान का कार्मिक विकास इस साल का उल्लेखनीय पक्ष रहा। अनुसंधान अधिकारी, सहायक क्षेत्राधिकारी (चार), सांख्यिकी अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (दो) जैसे कुछ अधिकारियों के पदों को मिलाकर प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या 27 से बढ़कर 52 हो गई। कर्मचारियों की संख्या में हुई इस वृद्धि स प्रायः सभी विद्यमान कर्मचारी लाभान्वित हुए। इससे प्रतिष्ठान के प्रशासनिक तन्त्र को पुनर्गठित करने में भी सहायता मिली है। एक नए अनुसंधान कक्ष की स्थापना की गई है। अत्याधिक दायित्व को देखते हुए निदेशक के पद को भी उन्नत किया गया है। (वर्ष 1972-73 से लेकर 1987-88 के दौरान जनशक्ति एवं व्यय में वर्षवार हुई वृद्धि-दर को परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है।)

गत वर्ष की तरह अध्यक्ष तथा निदेशक को पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने में अपना योगदान देने के लिए कहा गया। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक अधिकारिक समिति का गठन किया। समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। प्रो० चट्टोपाध्याय केन्द्रीय सरकार के अधीनस्त पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए बनी समीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। प्रतिष्ठान के निदेशक को भी इन समितियों के कार्य से युक्त

किया गया है। उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा विकसित की जा रही पुस्तकालय सांख्यिकी से सम्बन्धित एक उप-समिति, जो संस्कृतिक सांख्यिकी का एक हिस्सा है, को भी अपनी सेवाएं प्रदान की।

'न्यूज लेटर' के अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने "राजा राममोहन राय एण्ड द न्यू लनिंग" नाम से एक नया प्रकाशन निकाला। आंतरिक रूप से संकलित एवं तैयार की गई पुस्तक समीक्षाओं के आधार पर पुस्तकों की केन्द्रीय-चयन प्रणाली में भी सुधार हुआ है। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों की पुस्तकालय सांख्यिकी का संकलन कार्य आरम्भ किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 1987-88 में प्रतिष्ठान के क्रिया-कलापों में काफी विस्तार एवं वैविध्य हुआ है।

अध्याय-दो

पुस्तक एवं पाठक पुस्तकालय सेवा के दो मूल तत्व हैं। अतः प्रतिष्ठान ने सातवी योजना के दौरान "सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता" कार्यक्रम को अपने मुख्य कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया तथा इस कार्यक्रम को "पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य एवं दृश्य सामग्री का पर्याप्त भण्डार बनाने में सहायता योजना" नाम से नामित किया।

पुस्तकालयों की उत्तमता, उनकी संग्रह संख्या तथा पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। पुस्तकालय तभी विकास करता है जब समय-समय पर उसके भण्डार में वृद्धि हो। किन्तु पुस्तकों के बढ़ते मूल्य के अनुरूप कोष पर उसके भण्डार में वृद्धि हो। किन्तु पुस्तकों के बढ़ते मूल्य के अनुरूप कोष उपलब्ध नहीं होने के कारण बढ़ते हुए पाठकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें प्राप्त करने में असुविधा होती है। कुछ राज्यों को छोड़कर विभिन्न स्रोतों से जो कोष प्राप्त होते हैं वे मुख्यतः कर्मचारियों के संपोषण में ही खर्च हो जाते हैं। अतः प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों के पुस्तक भण्डार में वृद्धि करने की मुख्य योजना को जारी रखने पर विशेष ध्यान दिया।

इस योजना के अन्तर्गत सहायता दो स्रोतों से दी जाती है। (क) सम-तुल्य स्रोत एवं (ख) केन्द्रीय (गैर-समतुल्य) स्रोत। जब सहायता समतुल्य स्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन, क्रय तथा वितरण का दायित्व राज्य प्राधिकारियों पर होता है तथा जब सहायता केन्द्रीय स्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन और आपूर्ति का दायित्व प्रतिष्ठान का होता है।

समतुल्य पुस्तक सहायता

इस बृहत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिष्ठान की प्रेरणा से स्थापित राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा राज्य पुस्तकालय समिति सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। यह समिति पुस्तकों की सूची तथा जहां पुस्तकें भेजी जानी हैं, उन पुस्तकालयों की सूची तैयार करती है। इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान ने विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किया है।

जब पुस्तकों की सूची तथा सहायता पानेवाले पुस्तकालयों के नामों का अनुमोदन राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा कर दिया जाता है, तब पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है। कुछ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) अरुणाचल प्रदेश, (3) आसाम, (4) बिहार, (5) चण्डीगढ़, (6) गुजरात, (7) गोवा, दमन एवं द्वीव, (8) हिमाचल प्रदेश, (9) कर्नाटक, (10) केरल, (11) मध्य प्रदेश, (12) महाराष्ट्र, (13) मणिपुर, (14) मिजोरम, (15) उड़ीसा, (16) पाण्डिचेरी, (17) पंजाब, (18) तमिलनाडु, (19) त्रिपुरा, (20) उत्तर प्रदेश तथा (21) पश्चिम बंगाल पुस्तकों के क्रय तथा उनके वितरण का दायित्व संभाले रहे। चूंकि नागालैण्ड, राजस्थान तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों ने समुचित साधन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य करने में अपनी असमर्थता जाहिर की अतः प्रतिष्ठान उनके लिए यह कार्य कर रहा है। सर्व प्रथम जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है उनके बिलों का भुगतान प्रतिष्ठान राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों द्वारा प्रमाणित बिलों, पुस्तकों की अनुमोदित सूची तथा आदेशों के प्रतियों के प्राप्ति के बाद करता है। आर्डर देने के बाद प्रतिष्ठान प्रकाशकों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के 75% राशि का भुगतान उनके द्वारा पुस्तकें भेज दिये जाने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर तथा शेष राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों/संयोजकों

से पावती मिलने पर करता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अधिकतर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने उपलब्ध समतुल्य निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया। परिणामतः 31.03.88 तक सिपूद देयताओं की कुल राशि बढ़कर 82.26 लाख रु० हो गई। वर्ष (1987-88 के दौरान दी गई सहायता की स्थिति को जानने हेतु परिशिष्ट-5 देखें)।

समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों का चयन सम्बन्धित राज्य के राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों द्वारा किया जाता है। पुस्तक सहायता योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसे उन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, क्षेत्रीय/मण्डल पुस्तकालयों, जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों, उप-मण्डलीय पुस्तकालयों, तहसील पुस्तकालयों, नगरपालिका पुस्तकालयों, नगर पुस्तकालयों, ग्रामीण पुस्तकालयों आदि को सहायता दी जाती है, जो सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की देख-रेख में चलते हैं अथवा उनके द्वारा सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त/प्रायोजित हैं।

प्रायः सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा की जाती है। तमिलनाडु के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय अर्थात् कोनेमारा सार्वजनिक टाउन हॉल तथा महाराष्ट्र के एम० एस० टाउन हॉल पुस्तकालय को पुस्तक वितरण अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त होती हैं। कतिपय राज्यों जैसे (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) मध्य प्रदेश, (4) महाराष्ट्र तथा (5) राजस्थान में क्षेत्रीय/मण्डलीय पुस्तकालय भी हैं। अधिकांश जिलों में जिला पुस्तकालय भी स्थापित किए गए हैं। कुछ राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय जिस जिले में स्थित होते हैं, उन जिलों के लिए जिला पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय सामान्यतया सरकारी पुस्तकालय हैं। तथापि बिहार का सिन्हा पुस्तकालय और मध्य प्रदेश का मौलाना आजाद

केन्द्रीय पुस्तकालय इसके अपवाद हैं। इसी तरह कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं और कुछ केवल सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं।

जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक स्वरूप सभी जगह एक जैसा नहीं होता। प्रशासनिक इकाई में भी वे बहुधा विभिन्न स्वरूप के होते हैं। साधारणतः दक्षिण में इन्हें शाखा पुस्तकालय, पश्चिम एवं उत्तर में तालुका अथवा तहसील पुस्तकालय तथा पूर्व में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इससे निम्न स्तर पर प्रखण्ड, नगरपालिका, नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय हैं। जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है वहां उस अधिनियम के अनुसार पुस्तकालयों का नियंत्रण अधिनियम में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। जबकि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की बहुसंख्यक सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने अपनी इस सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग 5847 पुस्तकालयों को 119.99 लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

(ख) गैर-समतुल्य (प्रत्यक्ष) पुस्तक सहायता :

समतुल्य सहायता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने स्रोतों से सीमित पैमाने पर कुछ विशेष कोटि के पुस्तकालयों को प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों जैसे नेहरू युवक केन्द्र तथा विश्वभारती के पल्ली संगठन विभाग के अन्तर्गत सचल इकाईयों तथा (ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों की सहायता—
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने युवा सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में 15 से 35 वर्ष की आयु तक के गैर-विद्यार्थी

युवकों के कल्याण के लिए नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किए हैं। नेहरू युवक केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियों के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अपना सहयोग देंगे तथा ग्रामीण युवा-क्लब के माध्यम से सचल पुस्तकालय सेवा कार्यक्रम को संचालित करेंगे।

प्रतिष्ठान इन केन्द्रों द्वारा संचालित पुस्तकालय सेवाओं की सहायता करता है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अभिशंसित कुछ ख्याति लब्ध स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 23 नेहरू युवक केन्द्रों तथा विश्वभारती के 25 सचल पुस्तकालय इकाईयों को 0.76 लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

(II) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों को सहायता :

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों के लिए सम्बन्धित राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा चयनित मुख्यतः भारतीय भाषाओं के पुस्तकों के अतिरिक्त प्रतिष्ठान स्वयं देश के राज्य एवं जिला पुस्तकालयों के लिए सीमित मात्रा में मुख्यतः अंग्रेजी की पुस्तकों का चयन कर उन्हें उन पुस्तकालयों में वितरित करता है। प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति ने इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शीर्षकों में से पुस्तकों के चुनाव के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग दर्शी सिद्धांत निश्चित किए हैं। इस प्रयोजन के लिए बनाई गई पुस्तक चयन समिति देश भर के विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों का चयन स्वयं जाकर करती है। इस समिति की इस वर्ष तीन बार बैठक हुई तथा उसने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 111, राज्य केन्द्रीय तथा जिला पुस्तकालयों दोनों के लिए 89,

राज्य केन्द्रीय तथा चुने हुए 100 जिला पुस्तकालयों के लिए 135 शीर्षकों का चुनाव किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता राशि 20.98 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने उच्चायोग, मारिसस के कार्यालय के पुस्तकालय को .15 लाख रुपये के मूल्य को बहुभाषिक पुस्तक सहायता प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य मारिसस के भारतीय मूल के नागरिकों को भारतीय भाषाओं की पुस्तकें प्रदान करना था।

अध्याय-तीन

वित्तीय सहायता

प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता सात योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है, जिनमें से प्रथम चार योजनाएं प्रतिष्ठान द्वारा पहले से ही कार्यान्वित की जाती रही हैं तथा शेष तीन को प्रतिवेदित वर्ष के दौरान शुरू किया गया।

1. संगोष्ठियों, कार्यशालाओं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (अभिविन्यास/पुनश्चर्या) तथा पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन हेतु सहायता :

इस योजना का उद्देश्य पुस्तकालयाध्यक्षों को पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि करना और लोगों में अध्ययन रुचि जागृत करना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पुस्तकालय विभाग/निदेशालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, पुस्तकालय संघों तथा पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं को सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत दो स्रोतों से सहायता दी जाती है, जैसे—(1) समतुल्य निधि से तथा (2) प्रतिष्ठान की निजी (गैर-समतुल्य) निधि से। समतुल्य निधि से उन्हीं राज्य स्तरीय संगठनों को सहायता दी जाती है, जिनकी अभिशंसा सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य के प्रशासनों द्वारा की गई होती है। भारतीय पुस्तकालय संघ सरीखे अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ को वित्तीय सहायता गैर-समतुल्य निधि से दी जाती है।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान समतुल्य योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पुस्तकालय इस प्रकार थे :—

- (क) एच. के. मेहताव राज्य पुस्तकालय, उड़ीसा (5,000),
- (ख) गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद (5,000),
- (ग) सुभास इन्स्टीच्यूट, 24 परगना, पश्चिम बंगाल (3,500), (घ) स्टेट कौंसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, सोलन, हिमाचल प्रदेश (10,000), (च) पश्चिम बंगाल पुस्तक मेला, 1986-87 को (50,000),
- (छ) पश्चिम बंगाल के पांच जिलों-वांकुरा बीरभूम, हुगली, मुर्शिदाबाद तथा जलपाईगुड़ी व जिला पुस्तक मेला 1986-87 प्रत्येक को (5,000)
- तथा (ज) मद्रास लाईब्रेरी एमोशिएसन (10,000)। (कोष्ठक में सहायता राशि दर्शायी गयी है)

केन्द्रीय स्रोत से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 33 वाँ अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय पुस्तकालय संघ को 10,000 रुपये की सहायता दी गई।

2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्रों तथा सचल पुस्तकालय सेवाओं के विकासार्थ सहायता :

यदि पुस्तकालय सेवाओं से गांव और शहरों में बसने वाले बहुसंख्यक अर्द्धशिक्षित एवं नवसाक्षरों को लाभान्वित कराना है तो इस तरह के उपाय करने होंगे जिनसे सरल भाषा और शैली में लिखी गई सामान्य अभिरुचि एवं विषय की पुस्तकों को उन तक पहुंचाया जा सके। इस सेवा हेतु प्रतिष्ठान समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुव्यवस्थित पुस्तकालयों तथा ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करता है। इस योजना के अन्तर्गत पुस्तक, साईकिल, रिक्शा, बक्सा, थैला आदि के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के सस्ते साधनों द्वारा अथवा अवैतनिक स्वयं सेवकों

के द्वारा एक पुस्तक संग्रह केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक पुस्तकों का आदान-प्रदान करें। जिन गांवों में पुस्तकालय सेवा नहीं उपलब्ध हो पाई है, वहां पुस्तकालय वितरण केन्द्र स्थापित किए जाने हैं तथा यदि गांव में इस तरह की पुस्तकालय सेवा उपलब्ध हो गई हो तो वहां दरवाजे-दरवाजे तक वितरण की यह सेवा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रत वेतन प्राप्त कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पूरी की जानी है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने कर्नाटक के 10 पुस्तकालयों को तथा महाराष्ट्र के 1 पुस्तकालय को समतुल्य निधि से कुल मिलाकर 1,00,000/ रुपये की सहायता प्रदान की। (वर्ष 1987-88 के दौरान चल पुस्तकालयों को दी गई सहायता के राज्यवार विवरण हेतु परिशिष्ट 6 देखें)

3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता :

तुलनात्मक दृष्टि से यह एक नयी वित्तीय योजना है जो 1979-80 में अपनाई गई। इस योजना का लक्ष्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई पुस्तकों की बढ़ी हुई संख्या को सुरक्षित रखने एवं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए सहायता देना है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संस्तुति प्राप्त पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा एक वर्ष में दो आलमारियों/रैंकों को खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य के 157 पुस्तकालयों को कुल 1.38 लाख रुपये की सहायता प्रदान की। (वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तक संचयन हेतु दी गई सहायता के राज्यवार विवरण हेतु परिशिष्ट-7 देखें)

4. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन के लिए सहायता :

यह स्वैच्छिक संगठनों के लिए समतुल्य आधार पर बनाई गई एक वित्तीय योजना है। सन् 1985-86 तक यह योजना भारत सरकार के

संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जाती थी। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को पुस्तकें, फर्नीचर तथा उपकरणों के क्रय तथा पुस्तकालय भवन के विस्तार/बदलाव तथा उसके निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रतिष्ठान द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित अनुदान समिति की संस्तुति पर यह अनुदान सामान्यतया उन्हीं संगठनों को दिया जाता है जिनकी संस्तुति राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पाँच बार अनुदान समिति की बैठक हुई तथा उसने देशभर के 85 संगठनों के लिए 22 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। (वर्ष 1987-88 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता के विवरण के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

5. जिला स्तर से नीचे के सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थान विस्तार हेतु सहायता :

यह समतुल्य आधार पर बनाई गई वित्तीय योजना है जिसे प्रतिष्ठान के पहली बार प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु अंगीकृत किया। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त जिला स्तर के नीचे के पुस्तकालयों के भवन निर्माण/विस्तार/बदलाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान सम्बन्धित राज्य के राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा किसी तरह का अनुमोदित प्रस्ताव न मिलने के कारण प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया जा सका।

6. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु टी. वी. सह भी. सी. आर. खरीदने के लिए सहायता :

यह प्रतिष्ठान के समुल्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नई वित्तीय योजना है जिसे कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदित वर्ष में अंगीकृत किया गया। इस योजना

का उद्देश्य सम्बन्धित राज्य के राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों की संस्तुति के आधार पर राज्य एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों की सेवाओं को दृश्य-श्रव्य सामग्रियों से युक्त कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति पुस्तकालय एक टी. वी.-सह-भी. सी. आर. के क्रय तथा उसे लगाने के उपकरणों पर पड़ने वाले खर्च के लिए तथा प्रति पुस्तकालय प्रतिवर्ष अधिकतम पांच शैक्षणिक कैसेट खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान केवल महाराष्ट्र राज्य इस योजना का लाभ उठा सका। प्रतिष्ठान ने इस राज्य के 10 पुस्तकालयों को 3.38 लाख रुपये का अनुदान दिया।

7. बाल पुस्तकालयों तथा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के लिए सहायता :

यह देश भर में बाल पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास कर बच्चों में पठन-पाठन की अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई एक गैर-समतुल्य योजना है।

इस योजना के अन्तर्गत बाल पुस्तकालयों को या उन सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता दी जाती है जिनमें बाल अनुभाग हैं, अथवा जो बाल अनुभाग खोलना चाहते हैं। यह सहायता पुस्तकालयों को पाठ्य-सामग्री, श्रव्य सामग्री, रैंकों, आलमारियों तथा अध्ययन की सुविधा के लिए मेजों तथा कुर्सियों के क्रय के लिए दी जाती है।

प्रतिवेदित वर्ष में यह सहायता केवल देश भर के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों तथा जवाहर बाल भवनों को देने का निर्णय किया गया तथा 92 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों एवं 13 जवाहर बाल भवनों को 2.57 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गयी। (इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पुस्तकालयों को राज्यवार दी गई सहायता के लिए परिशिष्ट 9 देखें।

सातवी योजना के दौरान प्रतिष्ठान ने उस योजना को छोड़ दिया जिसके अन्तर्गत दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी एवं उनके रख-रखाव के लिए सहायता दी जाती थी क्योंकि ऐसी ही एक दूसरी योजना संस्कृति विभाग द्वारा लागू की गयी। (अब राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानान्तरित कर दिया गया है।) किन्तु प्रतिष्ठान ने अपने पहले के बचन-बद्धता के निर्वाह के लिए अपनी इस योजना के अन्तर्गत कुछ सहायता राशि देना जारी रखा। प्रतिवेदित वर्ष में प्रतिष्ठान में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों के तीन पुस्तकालयों को 0.23 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी।

अध्याय-चार

प्रोन्नतिकारक गतिविधियां

1. राजा राममोहन राय के 215 वें जन्म दिवस समारोह तथा प्रतिष्ठान के 15 वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय का 215 वां जन्म दिवस समारोह तथा प्रतिष्ठान का 15 वां स्थापना दिवस समारोह 10 अगस्त 1987 को रामकृष्ण मिशन इन्टीच्यूट आफ कल्चर, कलकत्ता में मनाया। इस अवसर पर गोविन्द बल्लभ पंत सोशल साइन्स इन्टीच्यूट, इलाहाबाद के निदेशक प्रो० ए० डी० पंत ने प्रथम "राजा राममोहन राय मेमोरियल लेक्चर 1987" दिया। व्याख्यान का विषय "राजा राममोहन राय और भारतीय उदारतावाद" था। समारोह की अध्यक्षता प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने की।

2. आंकड़ों का संग्रह :

प्रतिष्ठान ने सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा से सम्बन्धित सूचनाओं के संग्रह, संकलन, एकत्रीकरण तथा उसके प्रसार का एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया है। ऐसा इनके सेवाओं को बेहतर बनाने, उनके लिए प्रभावकारी योजना तैयार करने तथा प्रतिष्ठान के डायरेक्टरी आफ इण्डियन पब्लिक लाईब्रेरी में अद्यतन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान ने राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न पुस्तकालयों को एक प्रश्नावली भेजा है ताकि तत्सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।

3. प्रकाशन कार्यक्रम :

देश के विभिन्न भागों में अपने गतिविधियों एवं पुस्तकालय सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी के प्रसार के लिए प्रतिष्ठान (आर० आर० आर० एल० एफ० न्यूजलेटर" नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है।

प्रतिष्ठान के तत्वाधान में मेसर्स ओरिएण्ट लांगमैन, कलकत्ता ने "राजा राममोहन राय एण्ड द न्यू लनिंग" नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका सम्पादन प्रतिष्ठान के निदेशक डा० बी० पी० बरुआ ने किया। इस पुस्तक में प्रतिष्ठान की मेजबानी में सन् 1971 से लेकर अब तक राजा राममोहन राय पर प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा दिए गए वार्षिक व्याख्यानो का संकलन है।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने एक अंग्रेजी अर्द्धवार्षिक जर्नल भी निकालने का निर्णय किया है। आशा है इसका प्रथम अंक सन् 1988 के अंत तक निकल जाएगा। इस जर्नल में पुस्तकालय से सम्बन्धित सामग्री होगी।

प्रतिष्ठान का सूचना मेनुअल "बुक्स फार दी मिलियन्स एट दीयर डोरस्टेप" का चौथा संस्करण प्रकाशित हो गया है। यह मेनुअल कर्मचारियों के लिए तो उपयोगी है ही साथ ही साथ जनसाधारण को प्रतिष्ठान की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी देता है।

4. संस्थागत सदस्यता :

- प्रतिष्ठान (1) इण्डियन लाईब्रेरी एसोशिएसन (आई० एल० ए०),
(2) इण्डियन एसोशिएशन आफ स्पेशल लाईब्रेरीज एण्ड इनफार्मेशन सेन्टरस

तथा (3) इण्टरनल फेडरेशन आफ लाईब्रेरी एसोशिएसन एण्ड इस्टीट्यूशनस (आई० एफ० एल० ए०) आदि संस्थाओं का सदस्य बना रहा ।

5. प्रतिष्ठान का पुस्तकालय :

सन् 1981-82 में प्रतिष्ठान ने अपने कार्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित एक विशेष पुस्तकालय की स्थापना की। प्रतिवेदित वर्ष के अन्त तक इस पुस्तकालय में कुल 659 पुस्तकें थीं। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने 16 जरनलों को चन्दा दिया तथा 4 जरनलों की मानार्थ प्रतियां प्राप्त कीं।

6. अनुसंधान एवं परामर्श कार्य :

मद्रास लाईब्रेरी एसोशिएशन ने प्रतिष्ठान के सहयोग से 4 से लेकर 6 जनवरी के बीच "पब्लिक लाईब्रेरी सर्विसेज एण्ड इन्फर्मेशन नेटवर्क" विषय पर मद्रास में एक संगोष्ठी आयोजित की जिसमें प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा निदेशक ने भाग लिया। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ने इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण दिया तथा निदेशक ने "पब्लिक लाईब्रेरी सिस्टम इन इण्डिया" विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

24 सितम्बर 1987 तथा 3 दिसम्बर 1987 को प्रतिष्ठान के निदेशक ने सांख्यिकी अधिकारी के साथ "पुस्तकालय सांख्यिकी के विकास" विषय पर आयोजित उप-वर्ग (सब-ग्रुप) की बैठक में भाग लिया। इस उपवर्ग का गठन संस्कृति विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सांख्यिकी प्रणाली का निर्माण करने वाली इकाई के रूप में किया गया।

प्रतिष्ठान के निदेशक तथा अनुसंधान अधिकारी ने 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 1988 तक "सोसायटी फार इन्फार्मेशन साइन्स" द्वारा

आई० सी० वी०, कलकत्ता में आयोजित "साइन्टीफिक कम्यूनिकेशन" :
विविलियोमेट्रिक्स/इन्फोरमेट्रिक्स" विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में
भाग लिया। प्रतिष्ठान के निदेशक ने इसके कुछ तकनीकी सत्रों की
सह-अध्यक्षता की। अनुसंधान अधिकारी ने एक पत्र प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग के निदेशक
तथा विभिन्न राज्यों को आवश्यक परामर्श देता है।

अनुसंधान परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक सलाह देने हेतु एक
अनुसंधान समिति को गठित करने का निर्णय किया गया है।

अध्याय-पाँच

प्रशासन :

1. प्रतिष्ठान :

प्रतिष्ठान में 22 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग, भारत सरकार के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की साधारण सभा की तीन बैठकें 23 मई को (विशेष साधारण सभा की बैठक) नई दिल्ली में, 26 जून 1987 को (सामान्य साधारण सभा की बैठक) कलकत्ता में तथा 24 अक्टूबर 1987 को (वार्षिक साधारण सभा की बैठक) नई दिल्ली में हुई। प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट—1 देखें)

2. प्रशासनिक समिति :

प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की देख-भाल करती है। पदेन सदस्यों जैसे-अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार (संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि) तथा सदस्य सचिव को मिलाकर इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 26 जून 1987, 24 अक्टूबर 1987 तथा 7 फरवरी 1987 को इस समिति की तीन बैठकें हुई। (प्रतिष्ठान के प्रशासनिक समिति के सदस्यों के लिए परिशिष्ट—2 देखें)

3. राज्य पुस्तकालय योजना समितियां/राज्य पुस्तकालय समितियां :

राज्य पुस्तकालय योजना समितियां/राज्य पुस्तकालय समितियां ऐसे प्रधान अभिकरण हैं, जिनके माध्यम से प्रतिष्ठान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सहयोग देता है। इन समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बन्धित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार एवं विकास के लिए योजनाएं बनाएं तथा प्रतिष्ठान द्वारा चालू की गई सहायता योजनाओं का निरीक्षण एवं कार्यान्वयन करें। इनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि ये विभिन्न स्तरों पर राज्य पुस्तकालय सेवाओं के विकास में योगदान देनेवाली अन्य संस्थाओं के साथ समन्वयकर्ता निकाय के रूप में कार्य करें। राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति के निम्नलिखित कार्य हैं—

(क) प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में अपने राज्य, विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा की एक सापेक्षिक एवं वार्षिक योजना तैयार करना ;

(ख) इस बात का निश्चय करना कि राज्य सरकार के अंशदान का प्रतिष्ठान को भुगतान हो जाए और प्रतिष्ठान से समतुल्य अनुदान ले लिया जाय ;

(ग) सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर प्रतिष्ठान के पास उसकी संस्तुति करना ;

(घ) समुदायिक आवश्यकतानुसार तथा प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पुस्तकों का चयन करना ;

(च) प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ;

(छ) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जन साधारण में अध्ययन रुचि के विकास का वातावरण तैयार करना ;

(ज) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए अन्य प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करना ।

वर्ष 1987-88 के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्य पुस्तकालय योजना समिति की पांच बैठकें हुईं तथा मिजोरम में उसकी तीन बैठकें हुईं । उड़ीसा तथा महाराष्ट्र दोनों की राज्य पुस्तकालय योजना समिति की दो बैठकें हुईं ।

बहुतेरे राज्य जैसे-असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में इस वर्ष इसकी केवल एक ही बैठक हुई । (राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची के लिए परिशिष्ट—3 देखें)

4. अध्यक्ष :

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर बने रहे ।

5. निदेशक :

डॉ० बी० पी० बरुआ प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के निदेशक एवं पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे ।

6. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी :

श्री आर० भट्टाचार्य क्षेत्राधिकारी अपने पद पर बने रहे ।

श्री पी० पालित कार्यपालक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 29.04.1987 को अपने पूर्व कार्यालय में वापस चले गये) ।

सहायक सचिव श्री के० के० बनर्जी (प्रतिनियुक्ति आधार पर) ने 29.02.88 को कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बी० के० थामस ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में दिनांक 15.10.87 को अपना कार्यभार ग्रहण किया।

सांख्यिकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी (प्रशा०), अनुभाग अधिकारी (कार्या०) तथा सहायक क्षेत्राधिकारी के कुछ नये पदों का सृजन हुआ। इनमें से कुछ सीधी भर्ती के आधार पर तथा कुछ पदोन्नति के आधार पर भरे गये।

वर्ष के अन्त तक कुल कर्मचारियों की संख्या (3 अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़ कर) 52 हो गई। (संगठनात्मक चार्ट के लिए परिशिष्ट—4 देखें।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रतिष्ठान ने सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए तथा हिन्दी के प्रयोग हेतु अपने कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी में प्रशिक्षित कराने का कदम उठाया है। सरकारी काम-काज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान ने 25 सितम्बर 1987 को हिन्दी दिवस मनाया। इस अवसर पर गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों के बीच "राष्ट्रीय एकता और हिन्दी" विषय पर एक वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान सितम्बर 15 से 19 के बीच "कम्प्यूटर सोसायटी आफ इण्डिया" एवं "इण्डियन लाइब्रेरी एसोशिएशन" द्वारा रांची में "एप्लिकेशन आफ कम्प्यूटर टू लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन एक्टिविटीज"

विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठान ने पुस्तकालय सहायक श्री एस० के० दत्ता को नामित किया ।

प्रतिष्ठान की तरफ से श्री आर० के० तिवारी को राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, कलकत्ता में जनवरी 1988 से मार्च 1988 तक तीन महीने का अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित किया गया ।

इसके अतिरिक्त सांख्यिकी सहायक श्री सोमेन सरकार को प्रतिष्ठान ने "स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता द्वारा "प्रोग्रामिंग एण्ड एप्लिकेशन ग्राफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर्स" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 25 जनवरी 1988 से 31 मार्च 1988 तक के लिए नामित किया गया ।

8. आंचलिक कार्यालय :

सहायक क्षेत्राधिकारी के नियुक्ति के बाद प्रतिष्ठान के चारो आंचलिक कार्यालयों में कार्य होना शुरू हो गया । पूर्वांचल कार्यालय प्रतिष्ठान के मुख्यालय में ही स्थित है । (अंचल कार्यालयों के पत्ते के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

9. निरीक्षण :

प्रतिष्ठान की सहायता योजनाओं के समुचित रूप में कार्यान्वयन तथा प्रदत्त सहायता राशि के समुचित उपयोग पर नजर रखने के लिए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार प्रतिष्ठान ने वर्ष के दौरान अपने अंचल कार्यालयों में सहायक क्षेत्राधिकारियों की नियुक्ति कर अपने निरीक्षण इकाई को मजबूत किया । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इन इकाईयों ने विभिन्न कोटियों के 451 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया । इसके अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी ने 9 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया । इससे पुस्तकालयों द्वारा

की जा रही सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी ।
(निरीक्षण किए गये पुस्तकालयों के राज्यवार विवरण के लिए परिशिष्ट-11
देखें)

10 वित्त :

प्रतिष्ठान सम्पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान भारत सरकार ने प्रतिष्ठान को 149.86 लाख रुपये (10.13 लाख रुपये गैर-योजना के अन्तर्गत तथा 139.73 लाख रुपये योजना के अन्तर्गत) का अनुदान प्रदान किया । इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से भी प्रतिष्ठान को अंशदान प्राप्त होता है । यह अंशदान वे प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उससे समतुल्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से देते हैं । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान को कुल 59.31 लाख रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ । (विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गयी सहायता के विवरण के लिए परिशिष्ट—5 देखें)

11. लेखा :

प्रतिष्ठान के वर्ष 1987-88 के लेखा की परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) कलकत्ता द्वारा किया गया जिसका अनुमोदन प्रतिष्ठान ने अक्टूबर 1988 को हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक में किया । (वर्ष 1987-88 के लेखा परीक्षा विवरण तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि को दर्शाने वाले मिलेजुले चार्ट के लिए क्रमशः परिशिष्ट-12 तथा 16 देखें)

अध्याय-छः

निष्कर्ष :

1. समस्याएं एवं बाधाएं

प्रतिष्ठान को अपने कार्यक्रमों के निष्पादन में जिन समस्याओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ा, वे मुख्यतः तीन प्रकार की थीं—(क) कुछ राज्यों द्वारा सहायता का प्रस्ताव देर से प्रस्तुत किया जाना अथवा न प्रस्तुत किया जाना ; (ख) आवश्यकता की तुलना में कर्मचारियों की संख्या में कमी, तथा (ग) प्रतिष्ठान के भवन विस्तार के लिए स्वीकृति मिलने में विलम्ब ।

प्रतिष्ठान को अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान अवस्था में राज्य सरकारों के मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है । प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादित किया गया कार्य एक ऐसा सम्पूर्ण निष्पादन है, जिसके अन्तर्गत भाग लेने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यों की प्रतिछवि भी सम्मिलित होती है । कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रतिष्ठान अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता है । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अनेक राज्यों से सहायता हेतु प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त हुए तथा कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश एवं बिहार अपने हिस्से की सहायता लेने में असफल रहे ।

कुछ वर्षों से प्रतिष्ठान के ऊपर कार्यभार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1986-87 के दौरान संस्कृति विभाग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" नामक नई योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रतिष्ठान को सौंप दिया। यद्यपि प्रतिष्ठान में नई नियुक्तियों की गईं किन्तु कार्यभार में हुए वृद्धि के कारण कुछ और कर्मचारियों की आवश्यकता बनी रही। अतः कुछ नए पदों के सृजन हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

साल्ट लेक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने में हुई देरी के कारण तथा प्रतिष्ठान की पहुंच से बाहर की कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के कार्यालय भवन का प्रस्तावित विस्तार नहीं किया जा सका।

जिला पुस्तकालय प्राधिकारियों के माध्यम से वितरण के विकेन्द्रीकरण के कारण प्रतिष्ठान के समतुल्य कार्यक्रम के अधीन पुस्तक सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों के सम्बन्ध में कुछ राज्यों से समय पर सूचना प्राप्त करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। आंध्रप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का इस दृष्टि से उल्लेख किया जा सकता है।

2. उपलब्धियां :

विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के बावजूद प्रतिष्ठान ने देश भर में पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अपने प्रतिष्ठापना वर्ष 1972 से लेकर मार्च 1988 तक प्रतिष्ठान ने अनुदान एवं अंशदान स्वरूप कुल 928.33 लाख रुपये प्राप्त किए जिसमें से 580.87 लाख रुपये भारत सरकार से तथा शेष 347.46 लाख रुपये विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए। वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को कुल 189.00 लाख रुपये की सहायता दी और इस प्रकार पिछले 16 वर्ष के दौरान कुल 794.99 लाख रुपये की सहायता दी गई। (राशि पूर्णांक में दी गई है)


प्रतिष्ठान ने प्रतिवेदित वर्ष में आन्ध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर 6066 पुस्तकालयों को सहायता दी।

पिछले 16 वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने निम्नवत विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों को सहायता दी—

राज्य पुस्तकालय	—	28
जिला पुस्तकालय	—	456
अनुमण्डलीय/तालुका/तहसील पुस्तकालय	—	500
नेहरू युवक केन्द्र	—	176
शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	—	17,979
संचल पुस्तकालय एवं ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र	—	774
एन० एस० एस० केन्द्र एवं अन्यान्य	—	173
	कुल योग—	<u>20,086</u>

(वर्ष 1972-73 से लेकर 1987-88 तक के दौरान प्रतिष्ठान की योजनाओं से लाभान्वित हुए विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों की संख्या के लिए क्रमशः परिशिष्ट 13 एवं 14 देखें)

निष्कर्षतः प्रतिष्ठान का सोलहवाँ वर्ष एक वैविध्यपूर्ण एवं संतोषप्रद कार्यों का वर्ष रहा। अब तक प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त अनुदान एवं अंशदान की राशि में लगातार वृद्धि हुई है। साथ ही कुछ राज्यों से सहायता प्रस्ताव के न प्राप्त होने पर भी प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता राशि में प्रयत्न वृद्धि हुई है। निरीक्षण एवं अनुप्रवर्तन कक्ष का विकास करके दी गई सहायता राशि के समुचित उपयोग पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त तीन नई योजनाओं को शुरू करके प्रतिष्ठान ने देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये हैं।



प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह के अवसर पर "राजा राममोहन राय एण्ड न्यू लर्निंग" विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रो० भवतोश दत्त ।




केन्द्र सरकार के अधीनस्त पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए वनी समीक्षा समिति में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा निदेशक ।

राजा रावगोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित)
हिन्दी दिवस समारोह

“हिन्दी हम
अभिव्यक्ति



प्रतिष्ठान में 25 सितम्बर 1987 को आयोजित, हिन्दी दिवस समारोह'
का एक दृश्य ।



के० आर० वी० के पुस्तकालय काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश का एक्सटेंसन हॉल जिसे प्रतिष्ठान
द्वारा प्रदत्त सहायता से निर्मित किया गया ।

प्रतिष्ठान की सदस्य-सूची

1. प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय
अध्यक्ष, आर० आर० आर० एल० एफ०
25 पार्क मेन्सन,
पार्क स्ट्रीट
कलकत्ता-700 016.
2. श्री एम० बर्दराजन,
सचिव, भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, संस्कृति विभाग,
नई दिल्ली ।
3. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता,
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता ।
4. डॉ० निमाई साधन बोस,
उप-कुलपति, विश्वभारती,
शान्तिनिकेतन ।

5. प्राध्यापक आर० सी० दास,
217 केदार गौरी रोड,
भुवनेश्वर-751002.
उड़ीसा ।
6. डॉ० एस० आर० के० चोपड़ा,
उप-कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र-132 119.
7. डॉ० सुरजीत चन्द्र सिन्हा,
निदेशक,
समाज विज्ञान अध्ययन केन्द्र,
10 लेक टेरस,
कलकत्ता-700 029.
8. डॉ० सुरेश दलाल,
निदेशक,
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग,
पटकार हॉल भवन, छठी मंजिल,
1, नयीबाई टाकेरसी रोड,
बम्बई-400 020.
9. श्री बीरेन भट्टाचार्य,
सभापति, साहित्य अकादमी,
खरघुली, गोहाटी,-4.

10. प्राध्यापक ए० के० जलालुद्दीन,
संयुक्त निदेशक,
एन० सी० ई० आर० टी०,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110016.
11. प्राध्यापक के० ए० आइजक,
टी० सी० 17-24, जगथी,
त्रिवेन्द्रम-695 014.
12. प्राध्यापक रजनीकांत पांचोली,
बी-1 नील टेरेस,
सेण्ट जेम्स चर्च के सामने
फतेहगंज
बरोदा-390002.
13. श्री जे० डी० गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पुस्तक विकास)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।
14. श्रीमती सी० पी० सुजया,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
महिला और समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

15.(i) श्री जयलाल,
लेखा नियन्त्रक,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।
(फरवरी 88 तक)

ii) श्री आर० सी० बतरा
उप-लेखा नियंत्रक
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।
(फरवरी 88 से)

16. प्राध्यापक आई० एन० चौधरी,
सचिव, साहित्य अकादमी,
रवीन्द्र भवन,
35 फिरोज शाह रोड,
नई दिल्ली-110001.

17. डॉ० सैयद आसद अली,
संयुक्त निदेशक,
नेशनल बुक ट्रस्ट,
4-5 ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली-110616.

18. श्री टी० एस० राजगोपालन,
प्लैट नं०-115, ब्लाक-बी० ई०,
डी० डी० सेल्फ फिनेन्सिंग स्कीम,
जनकपुरी, नई दिल्ली ।
19. श्री सुभाष चन्द्र विश्वास,
निदेशक,
केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
20. डॉ० आर० एस० पी० सिंह,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
सिन्हा पुस्तकालय,
पटना,
बिहार ।
21. डॉ० बी० पी बरुआ,
निदेशक,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता ।

प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

1. प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय,
अध्यक्ष, आर० आर० आर० एल० एफ०,
25 पार्क मेन्सन, पार्कस्ट्रीट
कलकत्ता-700016.
2. श्री आर० सी० त्रिपाठी,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
संस्कृति विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।
3. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता,
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
बेलभेडर, कलकत्ता ।
- 4.(i) श्री जयलाल,
लेखा नियंत्रक,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
कमरा नं०—210, "सी" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

- (ii) श्री आर० सी० बात्रा,
उप-लेखा नियंत्रक,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली (फरवरी 88 से)
5. प्राध्यापक आर० सी० दास,
217 केदार गौरी रोड,
मुवनेश्वर-751 002,
उड़ीसा ।
6. डॉ० एस० आर० के० चोपड़ा,
उप-कुलपति,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र-137 119.
7. श्री बीरेन भट्टाचार्य,
अध्यक्ष,
साहित्य अकादेमी, खारधुली,
गौहाटी-781 004.
8. श्री टी० एस० राजगोपालन,
फ्लैट सं०—115, ब्लाक : बी० ई०,
डि० डि० ए० सेल्फ फिनान्सिंग स्कीम,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058.
9. प्राध्यापक के० ए० आईजक,
टी० सी० 17-24, जगाथी,
त्रिवेन्द्रम-695 014.

10. डॉ० सुरेश दलाल,
निदेशक, एस० एन० डी० टी०—
महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन एवं—
अनुसंधान विभाग, पटकार हॉल—
भवन, 6 वां तल,
1 नयीबाई थाकरजी रोड,
बम्बई-400 020.

11. डॉ० बी० पी० बरुआ,
निदेशक, राजा राममोहन—
राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ।
कलकत्ता-700 064.

राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के
संयोजकों की सूची

1. आंध्र प्रदेश ;
सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक,
आंध्र प्रदेश, अफजल गंज,
हैदराबाद-500 012.
2. अरुणाचल प्रदेश ;
उप-मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
इटानगर-791 111.
3. आसाम ;
पुस्तकालय सेवाओं के निदेशक,
आसाम,
गौहाटी-781 001.
4. बिहार ;
पुस्तकालयों के अधीक्षक, बिहार
सिन्हा पुस्तकालय मार्ग,
पटना-800 001.

5. गोवा ;
क्यूरेटर,
गोवा सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय,
पणजी,
गोवा-403 001.
6. गुजरात ;
पुस्तकालयों के निदेशक,
गुजरात राज्य सरकार,
पुराना एसेम्बली भवन,
सेक्टर-9, नम्बर-17.
गांधीनगर ।
7. हरियाणा ;
निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा
चण्डीगढ़-160 001.
8. हिमाचल प्रदेश ;
सहायक निदेशक, शिक्षा, (स),
शिक्षा निदेशालय,
शिमला-1.
9. जम्मू एवं काश्मीर ;
पुस्तकालयों के निदेशक,
पुस्तकालय निदेशालय,
शिक्षा विभाग,
जम्मू-काश्मीर सरकार,
नया मीनी सचिवालय,
जम्मू/श्रीनगर ।

10. कर्नाटक ;
निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार,
विश्वेश्वरैया केन्द्र, चौथा तल,
डॉ० अम्बेदकर वीथी,
बंगलोर ।
11. केरल ;
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-659 001.
12. मध्य प्रदेश ;
आयुक्त,
आदिवासी कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
सतपुरा भवन,
भोपाल ।
13. महाराष्ट्र ;
पुस्तकालयों के निदेशक,
टाउन हॉल,
शहीद भगत सिंह मार्ग, बम्बई-400 023.
14. मणिपुर ;
मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इम्फाल, मणिपुर ।

15. मेघालय ;
लोकशिक्षा निदेशक,
मेघालय,
सचिवालय भवन,
शिलांग, मेघालय-793 001.
16. मिजोरम ;
उप-निदेशक, शिक्षा,
शिक्षा निदेशालय,
मिजोरम सरकार,
एजोल, मिजोरम ।
17. नागालैण्ड ;
निदेशक,
कला एवं संस्कृति,
कोहिमा, नागालैण्ड ।
18. उड़ीसा ;
उप-सचिव,
उड़ीसा सरकार,
पर्यटन, खेल-कूद एवं संस्कृति विभाग,
भुवनेश्वर-751 001.
19. पंजाब ;
सहायक निदेशक (सांस्कृतिक कार्यक्रम),
लोक शिक्षा (महाविद्यालय) के निदेशक, पंजाब
एस० सी० प्रो० संख्या : 66-67,
सेक्टर-17 बी,
चण्डीगढ़-160 017.

20. राजस्थान ;
उप निदेशक,
समाज शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान ।
21. सिक्किम ;
सिक्किम सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग,
गंगटोक,
सिक्किम-737 101.
22. तमिलनाडु ;
सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक,
एगमोर,
मद्रास-600 008.
23. त्रिपुरा ;
मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
बीरचन्द्र राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
अगरतला, त्रिपुरा-799 001.
24. उत्तर प्रदेश ;
विशेषाधिकारी, (पुस्तकालय)
उत्तर प्रदेश सरकार,
38 दरबारी लाल शर्मा मार्ग,
सेक्रेटरीएट एनेक्स,
विधान भवन,
लखनऊ-226 001.

25. पश्चिम बंगाल ;
पुस्तकालय सेवाओं के निदेशक,
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स विल्डिंग,
कलकत्ता-700 001.
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप ;
शिक्षा निदेशक,
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर अण्डमान ।
27. चण्डीगढ़ ;
पुस्तकालयाध्यक्ष,
टी० ए० केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय,
चण्डीगढ़,
सेक्टर-17.
चण्डीगढ़ ।
28. दादरा एवं नगर हवेली ;
शिक्षा निदेशक,
दादरा एवं नगर हवेली,
सिलवासा ।
29. दिल्ली ;
शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली ।


30. लक्षद्वीप ;
समाज कल्याण पदाधिकारी,
संघशासित राज्य (लक्षद्वीप),
समाज कल्याण विभाग,
कावरती,
वाया एच० पी० ओ०,
कोचीन-682555.

31. पाण्डिचेरी ;
शिक्षा निदेशक,
पाण्डिचेरी प्रशासन,
पाण्डिचेरी-605001.

संगठन चार्ट

अध्यक्ष
निदेशक

परिशिष्ट-IV



कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक सचिव ने प्रशासन का तथा अक्टूबर 1987 में अनुसंधान अधिकारी के कार्यभार ग्रहण से पूर्व क्षेत्राधिकारी के वर्ष के काफी समय तक अनुसंधान अनुभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण किया।

परिशिष्ट—V
(अंक हजार में)

वर्ष 1987-88 के दौरान दी गई सहायता का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अंशदान	समतुल्य सहायता	कुल उपलब्ध निधि	प्रदत्त सहायता	शेष, यदि कोई हो
आन्ध्र प्रदेश	1834	—	—	1834	651	1183
अरुणाचल प्रदेश	30	50	50	130	22	108
आसाम	110	100	100	310	102	208
बिहार	421	500	1500	1421	288	1133
गोवा	10	—	(—)10	—	12	(—)12
गुजरात	478	375	375	1228	813	415
हरियाणा	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	631	400	400	1431	807	564
जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	796	400	400	1596	636	960
केरल	694	—	—	694	655	39
मध्य प्रदेश	273	516	516	1305	745	560
महाराष्ट्र	1025	1000	1000	3025	2008	1017
मणिपुर	(—)1	40	40	79	30	49
मेघालय	50	70	70	190	—	190
मिजोरम	5	100	100	205	200	5

नागालैण्ड	152	50	50	252	88	164
उड़ीसा	(-)-552	550	550	548	943	(-)-395
पंजाब	129	200	200	529	459	70
राजस्थान	(-)-358	785	785	1212	756	456
सिक्किम	14	—	—	14	—	14
तमिलनाडु	1083	—	—	1083	901	182
त्रिपुरा	201	70	70	341	144	197
उत्तर प्रदेश	1186	650	650	2486	1212	1274
पश्चिम बंगाल	867	—	—	867	1200	-333
अण्डमान-निकोबार						
चण्डीगढ़	8	—	—	8	—	8
दादर एवं नगर—	13	50	50	113	2	111
हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	59	25	25	109	50	59
कुलयोग	9158	5931	5921	21010	12784	8226

वर्ष 1987-88 के दौरान गोवा-दमन एवं दीव को एक इकाई के रूप में माना गया।

वर्ष 1987-88 के दौरान सचल पुस्तकालयों को
दिए गए अनुदान का राज्यवार विवरण ।

क्रमांक	राज्य का नाम	पुस्तकालयों की संख्या	रुपये
1.	कर्नाटक	10	94,484.00
2.	महाराष्ट्र	1	5,500.00
3.	गैर-समतुल्य पश्चिम बंगाल	25	31,812.60
		कुलयोग	1,31,796.60

(x) पत्नी संगठन विभाग, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल को पुस्तकों एवं पुस्तकालय समग्री के क्रय हेतु 31,812.60 रु० का अनुदान प्रदान किया गया ।

वर्ष 1987-88 के दौरान पुस्तक संचयन हेतु
दिए गए अनुदान का राज्यवार विवरण ।

क्रमांक	राज्य का नाम	पुस्तकालयों की संख्या	रुपये
1.	महाराष्ट्र	70	94,425.00
2.	उड़ीसा	29	14,300.00
3.	पश्चिम बंगाल	58	29,000 00
		<u>157</u>	<u>1,37,725.00</u>

वर्ष 1987-88 के दौरान स्वच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का विवरण ।

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
आन्ध्र प्रदेश				
1.	आनन्द ग्रन्थालय, आनन्द नगर, हैदराबाद ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	18,000	
2.	मराठी ग्रन्थ संग्रहालय, 4-6-458, इसामिया बाजार, हैदराबाद ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>24,000</u>	42,000
बिहार				
3.	आर० के० मिशन आश्रम, स्वामी विशुद्धानन्द रोड, मोराबादी, रांची-834 008	पुस्तक तथा फर्नीचर	15,000	
4.	इन्कलाब पुस्तकालय, पोस्ट : रहीका, जिला : मधुबनी	पुस्तक तथा फर्नीचर	21,600	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
5.	श्री देव कुमार जैन श्रीरियन्टल पुस्तकालय, श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा ।	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	12,000 38,000	
6.	श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान तथा सचिवालय, सिन्हा पुस्तकालय, पटना-1	भवन	50,000	
7.	कमला देवी पुस्तकालय तथा वाचनालय, खेही रोड, हरनौत, नालन्दा ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>12,000</u>	1,48,600

गुजरात

8.

श्री तख्त सिंहजी सार्वजनिक
पुस्तकालय, बोटाद,
बिलो टावर,
दूरभा-364 710

पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर 10,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
9.	जे० बी० पेट्टीट निःशुल्क रिडिंग रूम, पुस्तकालय तथा सार्वजनिक हॉल, हिलिमोरा, बुलशर I कांजी भाई देसाई समाजशिक्षण भवन ट्रस्ट, सूरत	पुस्तक, तथा फर्नीचर	5,000	
10.	श्री हरनारायण भुदरजी रावल सार्वजनिक पुस्तकालय मण्डल उनावा-384160	पुस्तक फर्नीचर तथा उपस्कर	14,000 15,000	
11.	सार्वजनिक पुस्तकालय, स्टेशन रोड, आनन्द-388 001	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर	12,000	
12.		पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>30,000</u>	86,000
केरल				
13.	पी० के० मेमरियल ग्रंथशाला आम्बालापुजा-688561	भवन	36,500	
14.	रोहिणी आर्ट्स क्लब एवं पुस्तकालय, किदानगुर, दक्षिण जिला : कोट्टायम-686 583	पुस्तक तथा फर्नीचर	20,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
15.	देशबन्धु व्यायामशाला, वाया मंगाटिडम, कुथुपाराम्बा जिला : कान्नानोर 670 643	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
16.	वाई० एम० ए० पुस्तकालय, बोरामाना, भुट्टपूजा	पुस्तक तथा फर्नीचर	28,000	
17.	ईरनाकुलम सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय भवन, कानभेन्ट रोड, कोचीन-682 035	पुस्तक तथा फर्नीचर	40,000	
18.	महात्मा ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय पोस्ट : आयामकुदी, जिला : कोट्टायम-686 613	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर	40,000	
19.	कंचन स्मारक व्यायामशाला, क्विलक्कुलुस्सि मंगलम, पोस्ट : लक्किडी, जिला : पालघाट-579 301	भवन	40,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
20.	देशसेविनी पुस्तकालय एवं वाचनालय भदास्सेरिकोनम पोस्ट : भारकाला, जिला : त्रिवेन्द्रम-695 143 पाराप्पुर युवाजन संघम, पुस्तकालय एवं वाचनालय पोस्ट : पाराप्पुर, वाया कोट्टाक्कल-676 503 टैगोर पुस्तकालय खेल-कूद एवं आर्टक्लब पोस्ट : कुराक्काडा, वाया किजुभिलम जिला : त्रिवेन्द्रम-695 104 यंग मेन्स प्रोग्रेसिव आर्ट्स क्लब, पोस्ट: मुनकन्पु, जिला : एलेप्पे-688 502 1125, सर्विस को-आपरेटिव सोसाइटी ग्रन्थशाला, भायालार, पश्चिम पोस्ट : शेरतल्ले-688 529	भवन पुस्तकें पुस्तक तथा फर्नीचर पुस्तक तथा फर्नीचर पुस्तक तथा फर्नीचर	40,000 20,000 8,000 10,000 40,000	
21.				
22.				
23.				
24.				

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
25.	बापूजी वाचनालय एवं युवाकेन्द्र, बापूजी जंक्शन, पोस्ट : आथी रामपूजा, जिला : कोट्टयम ।	भवन	40,000	
26.	टैगोर पुस्तकालय एवं वाचनालय टैगोर रोड, कोचीन-682 005	पुस्तक तथा फर्नीचर	6,000	
27.	युवाजन पुस्तकालय एवं वाचनालय थेरु, लक्ष्मीनगर पोस्ट : कनहंगद जिला : कनहंगद-670 315	पुस्तक तथा फर्नीचर	15,000	
28.	श्री अभिसम थिरुनल भेमोरियल पुस्तकालय, पोस्ट-पुनजार 686 581	पुस्तक तथा फर्नीचर	8,000	
29.	इरनाकुलम विमेंस एसोसिएशन एवं क्लब, देवान्स रोड, इरनाकुलम, कोचीन-682 016	भवन	50,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
30.	फ्रेन्ड्स एसोशिएशन पुस्तकालय, कोलामपूजा, पोस्ट : अट्टिनंगल, जिला : त्रिवेन्द्रम ।	भवन	50,000	
31.	सरस्वती विलाशम व्यायामशाला, पो०-एडाक्कोले, चक्कपुजा, पालाई, जिला : कोट्टयम-686 574	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	<u>84,000</u>	5,85,500
32.	अप्ते वाचन मन्दिर ताल : वाचनालय, ईचालकारांजी, जिला : कोल्हापुर-416 115	पुस्तक तथा फर्नीचर	50,000	
33.	लोकमान्य वाचनालय, पोस्ट : आरवी, जिला : वरधा, 442 201	पुरतक तथा फर्नीचर	40,000	
34.	आर० जी खटखटे ग्रन्थालय, शिमोदा, पोस्ट : शिमोदा, जिला : सिन्धुदुर्गा ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	12,000	

महाराष्ट्र

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
35.	तरुण मित्र मण्डल (तालुका), वाचनालय, शिराल, ताल : शिराला, जिला : सांगली, 415 408	पुस्तक तथा फर्नीचर	40,000	
36.	सरस्वती वाचनालय, पातुर्दा, संग्रामपुर, जिला : बुल्दाना-444 201	पुस्तक तथा फर्नीचर	30,000	
37.	श्री साईबाबा सार्वजनिक वाचनालय, पिम्पल गांव, काले, ताल : जलगांव, जिला : बुल्दान ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	7,500	
38.	श्री साई सार्वजनिक वाचनालय, परसेवनी, जिला : नागपुर-441 105	फर्नीचर	8,000	
39.	जीवन विकास ग्रन्थालय, 9, राधामोहन कालोनी, श्रीरंगाबाद-431 001	फर्नीचर	8,500	
40.	नगर वाचनालय, यश्टमल, डी० डी० यश्टमल ।	भवन	40,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
41.	गंगानगर सार्वजनिक वाचनालय, गंगानगर, इच्छालकारांजी, कोल्हापुर-416116	पुस्तक तथा फर्नीचर	50,000	
42.	हुतात्मा भौगिर वाचनालय, चन्द्रूर रेलवे, जिला : अमरावती ।	भवन	50,000	
43.	लोकमान्य तिलक वाचन मन्दिर, चिपलान, जिला : रतनगिरि ।	भवन	50,000	
44.	लोक वाचनालय लोहारा, वमेरगा, जिला : ओसमानाबाद, 431 608	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	27,500	
45.	साने गुरुजी वाचनालय, गांधी चौक, हदपसर, पूना-411 028	भवन	50,000	
46.	दादर सार्वजनिक वाचनालय, 3. छविलदास मार्ग, दादर, बम्बई ।	फर्नीचर	15,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
47.	शहीद भगत सिंह सार्वजनिक वाचनालय, कुराह, तेवसा, जिला : अमरावति 444 909	भवन	50,000	
48.	सांगली नगर वाचनालय, राजवादा चौक, सांगली	भवन	50,000	
49.	शिवलाल रामचन्द्र वाचनालय, तालुक पुस्तकालय, माधा जिला : शोलापुर-413 209	भवन	50 000	
50.	श्री सापु वाचनालय, गारगोती, ताल : भुदरगद, जिला : कोल्हापुर-416 209	पुस्तकें	25,000	
51.	राजश्री साहु नगर वाचन मन्दिर, शिरोल ता. शिरोल, जिला : कोल्हापुर	पुस्तकें	₹7,500	
52.	सरस्वती सभा पुस्तकालय, छोटी दस्तोली, नागपुर, 440 012	भवन	50,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
53.	ग्रामीण विकास वाचनालय, मानेगांव (बाजार) तालुका भन्दारा, जिला : भन्दारा ।	भवन	39,750	
54.	श्री गणपतराव कृष्णाराव मने विद्यार्थी बोर्डिंग, जनरल मोफत वाचनालय, खानापूर, जिला : सांगली ।	भवन	<u>50,000</u>	8,30,750
नागालैण्ड				
55.	नोकसेन छात्र संघ पुस्तकालय, बी० पी० ओ० श्री०-नोकसेन, जिला : त्युनसंग ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	4,500	
56.	कंगसंग छात्र संघ पुस्तकालय पुस्तकें, बी० पी० ओ०-नकसेन, जिला : त्युनसंग	पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>3,500</u>	8,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
उड़ीसा				
57.	चक्रधारी ग्रामीण कल्याण क्लब, ग्राम : शियारी मल्ला, पोस्ट : मुन्दुरी बेदा, बाया खामार जिला : डंकानल-759 118	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
58.	जागेश्वरी पाठागार, जंगल-बोरी, पोस्ट : नया हाट, जिला : पुरी ।	भवन	25,000	
59.	प्रियदर्जिनी स्मृति संसद, मण्डीगुडा, पोस्ट : बोरीगम, जिला : कोरापुट ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	12,000	
60.	संजय स्मृति शिक्षा संस्कृतिक, परिषद, अंधंग शासन, पोस्ट : अनाखिया, जिला : कटक ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
61.	कल्याण समिति पोस्ट : मुन्दिलों, वाया मन्दाशाही, जिला : कटक ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	14,000	
62.	आंचलिक बहुमुखी ग्रामोद्योग, समवाय समिति, राबानागुदा, पोस्ट-हरिदापुत, आम्बागुदा, पोस्ट-हरिदापुत, जिला : कोरापुट ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
63.	प्रांतीय उत्कल सेवा समिति, पोस्ट-ग्रामपानी, जिला : कालाहाण्डी ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	8,000	
64.	आदिवासी उन्नयन समिति, पोस्ट-आम्बागुडा । जिला : कोरापुट ।	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	40,000	
65.	नीलचक्र पाठागार, पोस्ट-पुराना बारीपाढ़, जिला : मयूरभंज ।	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	45,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
66.	माधेश्वर युवक संघ, धर्मगातपुर, पोस्ट-मिरजापुर वाया सुंगरा, कटक-754 221	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
67.	मो क्लब; पोस्ट-कान्ताबाद, बाया बाघमारी, जिला : पुरी-752 061	पुस्तक तथा फर्नीचर	16,000	
68.	गोपीनाथ क्लब, पोस्ट-मेन्धाशल, बाया जानला, जिला : पुरी ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	12,000	2,12,000
राजस्थान				
69.	श्री ओसवाल पुस्तकालय, लांडनू-341 306	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
70.	राजस्थान महिला परिषद्, शान्तिनिकेतन, गांधी मैदान उदयपुर।	भवन	50,000	60,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
तमिल नाडु				
71.	गोपाल राव सार्वजनिक पुस्तकालय, टाउन हॉल रोड, कुम्बकानाम,—612 001.	पुस्तक तथा फर्नीचर	11,000	
72.	अद्वयार पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अद्वयार, मद्रास ।	पुस्तक तथा उपस्कर	<u>18,500</u>	29,500
उत्तर प्रदेश				
73.	भारती भवन पुस्तकालय, भारती भवन मार्ग, इलाहाबाद ।	पुस्तक, फर्नीचर तथा भवन	25,000	
74.	गया प्रसाद पुस्तकालय एवं वाचनालय, सरस्वती मन्दिर, मेस्तन रोड, कानपुर ।	पुस्तक तथा भवन	25,000	
75.	शिराजा हिन्दी शिक्षण समिति, मुरकी, जौनपुर ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	1,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
76.	उर्दु पुस्तकालय, पोस्ट-खाईराबाद, जिला : आजमगढ़ ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	2,500	
77.	इण्डियन लिटरेरी बोर्ड, लिटरेरी हाउस, पोस्ट-आलमबाग, लखनऊ—226 005.	भवन	50,000	
78.	कार्माइकल पुस्तकालय संघ, ज्ञानवापी, वाराणसी । 221 001.	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
79.	पीलीभीत युवक संघ, पुस्तकालय, जन मन्दिर, तहसील के सामने, पीलीभीत—262 001.	पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>10,000</u>	1,23,500

पश्चिम बंगाल

80. संतोष नगर साधारण पाठशाला,
गौन व पोस्ट-संतोष नगर,
जिला : हावड़ा ।

पुस्तक तथा फर्नीचर 24,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	किस उद्देश्य (क्रय/निर्माण) के लिए सहायता दी गई	राशि रुपये	कुल रुपये
81.	ईरान सोसाइटी, 12, डॉ० एम० इशाक रोड, कलकत्ता ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
82.	दुईला मिलन मन्दिर, पोस्ट—दुईला, जिला : हावड़ा ।	भवन	<u>37,000</u>	71,000
अण्डमान-निकोबार				
83.	अतुल स्मृति समिति, पोट ब्लेयर—744 101.	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर ।	32,000	
84.	हिन्दी साहित्य कला परिषद्, हिन्दी भवन, पोट ब्लेयर ।	पुस्तकें	<u>2,500</u>	34,500
दिल्ली				
85.	भाई वीरसिंह साहित्य सदन, भाई वीरसिंह मार्ग, नई दिल्ली ।	फर्नीचर	9,000	9,000
			कुल योग—	<u>22,40,350</u>

वर्ष 1987-88 के दौरान बाल पुस्तकालयों को
दिए गए अनुदान का राज्यवार विवरण ।

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	पुस्तकालयों की संख्या	राशि रुपये
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	50,000.00
2.	आसाम	9	22,500.00
		1 x	1,800.00
3.	गुजरात	8	20,000.00
		1 x	2,500.00
4.	हरियाणा	1 x	2,500.00
5.	कर्नाटक	1 x	30,000 00
		12	2,500 00
6.	केरल	1 x	2,500.00
7.	महाराष्ट्र	1 x	32,500 00
		13	2,342 00
8.	मिजोरम	2 x	2,500.00
9.	उड़ीसा	1	50,000 00
		20	2,500.00
10.	तमिलनाडु	1 x	3,319.00
11.	त्रिपुरा	2 x	10,000 00
12.	उत्तर प्रदेश	4	2,500 00
13.	पश्चिम बंगाल	1 x	12,500.00
		5	2,500.00
14.	चण्डीगढ़	1 x	2,500.00
		1 x	2,500.00
		105	2,57,461.00

x जवाहर बाल भवन

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
के आंचलिक कार्यालय :

1. पूर्वी अंचल कार्यालय :—
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
ब्लॉक-डीडी-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक,
कलकत्ता-700 064.
दूरभाष : 37-3463-65.
2. उत्तरी अंचल कार्यालय-सह-अतिथिशाला :—
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
बी-13, ग्रेटर कैलाश, इनक्लेव-1,
नई दिल्ली-110 048.
दूरभाष : 641 5508.
3. दक्षिणांचल कार्यालय :—
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय,
कमरा नं०-6, नया भवन, एगमोर,
मद्रास-600 008.
4. पश्चिमी अंचल कार्यालय :—
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
पुस्तकालयों का निदेशालय,
टाउन हॉल,
5, भगत सिंह मार्ग,
बम्बई-400 023.

वर्ष 1987-88 के दौरान निरोक्षित पुस्तकालयों का विवरण

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय से निम्न स्तर	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर वाल भवन	कुल
आन्ध्र प्रदेश	1	11	29	—	—	41
अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	1	—	3
आसाम	1	3	7	1	—	12
बिहार	1	1	10	2	—	14
*गोआ	1	—	3	—	—	4
गुजरात	—	8	19	—	—	27
हरियाणा	—	4	6	1	—	11
हिमाचल प्रदेश	1	1	6	—	—	8
जम्मू एवं कश्मीर	—	5	—	—	—	5
कर्नाटक	1	10	—	1	—	44
केरल	1	3	13	—	—	17
मध्य प्रदेश	1	5	4	—	—	10

महाराष्ट्र	—	15	21	—	—	—	36
मसिपुर	1	2	8	—	—	—	13
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	1	4	9	—	—	—	14
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	—	14	12	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	5	—	—	31
तमिलनाडु	—	12	46	—	—	—	—
त्रिपुरा	1	2	5	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	6	11	—	1	—	9
पश्चिम बंगाल	—	10	28	—	3	—	20
अन्द्मान निकोबार	—	—	—	—	—	—	38
चण्डीगढ़	1	2	10	—	—	—	—
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	2	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	1	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	—	—	28	—	—	—	—
	13	120	308	—	17	—	—
							460

* वर्ष 1987-88 में गोवा, दमन एवं दीव को एक इकाई के रूप में लिया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा मन्तव्य सहित
01.04.87 से 31.03.88 तक की

आय	रु०		पै०	
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रारम्भिक शेष :				
हाथ रोकड़		1,758.05		
बैंक रोकड़		95,545.10		97,303.15
स्थायी अग्रिम (पेशगी दिया हुआ)				1,000.00
II. राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान :				
आसाम		1,00,000.00		
विहार		5,00,000.00		
गुजरात		3,75,000.00		
हिमाचल प्रदेश		4,00,000.00		
कर्नाटक		4,00,000.00		
मध्य प्रदेश		5,15,850.00		
महाराष्ट्र		10,00,000.00		
मणिपुर		40,000.00		
मेघालय		70,000.00		
नागालैंड		50,000.00		
उड़ीसा		5,50,000.00		
पंजाब		8,00,000.00		
राजस्थान		7,85,000.00		
त्रिपुरा		70,000.00		
उत्तर प्रदेश		6,50,000.00		
अरुणाचल प्रदेश		50,000.00		
चण्डीगढ़		50,000.00		
मिजोरम		1,00,000.00		
पाण्डिचेरी		25,000.00		
				59,30,850.00
III. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान :				
गैर-योजना योजना		10,12,819.00		
		1,39,73,200.00		1,49,86,019.00

वर्ष 1987-88 के परीक्षित लेखा का विवरण
अवधि का आय एवं व्यय लेखा

	व्यय			
	रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्राशासन :				
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता घटायें, आयकर जमा	9,54,496.50	21,157 00		
	<u>9,33,339.50</u>			
घटायें, व्यवसायिक कर जमा	7,201.00		9,26,138.50	
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता			1,03,067.15	
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ता			9,190.85	
4. प्रतिष्ठान के प्रशासनिक समिति की बैठकों से सम्बन्धित गैर-कार्यालय सदस्यों का यात्रा भत्ता			91,738.90	
5. अन्य शुल्क			2,77,158.01	
6. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान			22,113.00	
7. कर्मचारी बाहन के रख-रखाव			48,758.26	
8. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान			7,152.00	
9. अंशदायी भविष्य निधि पर व्याज			3,420.71	
10. साधारण भविष्य निधि पर व्याज			28,212.63	
11. कर्मचारी कल्याण			1,000.00	
12. लेखा परीक्षा शुल्क	28,426.40		42,080.00	
13. विभागीय कैंटीन घटायें, व्यवसायिक कर	168.00		28,258.40	

आय

रु० प० रु० प०

IV. विविध प्राप्तियां :

1. व्याज दर	3,53,467.27	
2. यात्रा भत्ता की वापसी (कर्मचारी)	10,139.50	
3. अवकाश वेतन की वापसी	4,027.00	
4. मंत्रालय से प्राप्त ऐच्छिक दान तथा पेंशन	17,663.00	
5. विक्री से प्राप्त	300.00	
6. कर्मचारी वाहन का निजी उपयोग	119.00	
7. स्वत्व: शुल्क	19,577.25	
8. यात्रा भत्ता की वापसी (सदस्य गण)	778.60	
9. अवकाश वेतन अंशदान	5,122.50	
10. अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	4,761.00	
11. लाभांश की वापसी	1,187.10	
12. दिल्ली अतिथिशाला में ठहरने का शुल्क	6,909.00	
13. अन्य शुल्क	9,535.58	4,33,586.80

V. आर० आर० आर० एल० एफ० कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि खाता :

I. प्रारम्भिक शेष— रोकड़ हाथ में रोकड़ बैंक में (विनियोग सहित)	— 2,43,305.00	2,43,305.00
---	------------------	-------------

II. अंशदान आदि :

i. कर्मचारी अंशदान	1,383.00
ii. अग्रिम की वापसी	—
iii. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	7,152.00

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
14. अग्रिम :				
(i) त्योहार			16,400.00	
(ii) साईकिल			2,000.00	
(iii) आवास भवन			30,000.00	
15. व्यवसायिक कर जमा			7,201.00	
16. कॅन्टीन का व्यवसायिक कर जमा			168.00	
17. लाभांश का भुगतान			20,578.00	
18. आयकर जमा			21,157.00	
19. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता			604.00	
20. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता			40,432.90	
21. दिल्ली अतिथिशाला भवन का किराया			66,605.00	
22. दिल्ली अतिथिशाला के मकान मालिक को भुगतान की गई राशि			—	
23. दिल्ली अतिथिशाला के अन्य शुल्क			7,254.55	
24. दिल्ली अतिथिशाला के लिए पोस्टल विभागकोजमा			—	
25. गैस सिलिण्डर तथा रेगुलेटर के लिए काशनमनी जमा			950.00	
26. दिल्ली आंचलिक कार्यालय में वेतन एवं भत्ता			25,100.00	
27. दिल्ली आंचलिक कार्यालय में अन्य शुल्क			1,004.10	
28. दिल्ली आंचलिक कार्यालय में यात्रा भत्ता			15,829.55	

आय		रु०	पै०	रु०	पै०
iv)	व्याज के भुगतान में प्रतिष्ठान का अंशदान	3,420.71		16,161.00	
v)	बैंक से प्राप्त व्याज (वचत खाता)	4,205.29			
VI. आर० आर० आर० एल० एफ० (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता :					
I. प्रारम्भिक शेष रोकड़ हाथ में रोकड़ बैंक में		—		1,38,490.00	
II. अभिदान आदि :					
i) कर्मचारी अभिदान		85,179.00			
ii) अग्रिम की वापसी		22,877.00			
iii) व्याज का भुगतान		28,212.63			
iv) बैंक से प्राप्त व्याज		7,065.37		1,43,334.00	

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
29. बम्बई आंचलिक कार्यालय में वेतन एवं भत्ता			23,112.00	
30. बम्बई आंचलिक कार्यालय का अन्य शुल्क			1,456.30	
31. बम्बई आंचलिक कार्यालय में यात्रा भत्ता			13,264.50	
32. मद्रास आंचलिक कार्यालय का वेतन एवं भत्ता			15,508.30	
33. मद्रास आंचलिक कार्यालय में अन्य शुल्क			456.00	
34. मद्रास आंचलिक कार्यालय में यात्रा भत्ता			11,604.50	
35. अंशदायी भविष्य निधि में स्थानान्तरित राष्ट्रीय बचत पत्र का मूल्य			9,000.00	
II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार : (अविच्छिन्न योजनाएं)				
1. पठनीय पुस्तकों एवं दृष्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता—				
i. जिला, उपमण्डलीय एवं ग्रामीण पुस्तकालयों का सुदृढीकरण			1,19,98,733.18	
ii. केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता			75,612.39	
iii. पुस्तकों के केन्द्रीय चयन द्वारा राज्य एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता			35,65,682.71	
2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र तथा चल पुस्तकालयों के विकास हेतु सहायता			1,31,796.60	

आय

रु० पै० रु० पै०

2,19,90,048.95

व्यय

रु० पै० रु० पै०

3.	पुराने तथा भलीभाँति व्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया सूचीकरण तथा वर्गीकरण हेतु सहायता तथा अप्राप्त पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्दबन्दी तथा परिरक्षण के लिए सहायता ।	22,500.00
4.	पुस्तकालयों को पुस्तक संचयन के लिए सहायता	1,36,462.00
5.	संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता	1,18,500.00
6.	सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	22,40,350.00
7.	नयी योजनाएं—	
i.	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला पुस्तकालयों को शिक्षा के उद्देश्य से टी० भी०-सह-भी० सी० श्रार० के लिए दी गई सहायता	3,37,880.00
ii.	मारिसस के उच्चायोग कार्यालय के पुस्तकालय को दी गई सहायता	15,328.52
iii.	बाल पुस्तकालयों और सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल-अनुभाग के लिए सहायता	2,57,461.00

आय

रु०

पै०

रु०

पै०

कुलयोग

2,19,90,048.95

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
III. अन्य प्रोत्साहक क्रियाएं :				
1. बैठक	15,848.70			
2. विशेष पुस्तकालय	41,767.31			
3. प्रकाशन	53,032.20		1,10,648.21	
IV. पूंजीगत खर्च :				
उपस्कर एवं आसबाब	1,81,080.73			
दिल्ली अतिथिशाला के लिए	24,231.34			
उपस्कर एवं आसबाब	34,380.00			
कार्यालय भवन का निर्माण	4,648.00			
विसेडेक्स केबिनेट के क्रय हेतु अग्रिम	8,635.44		2,52,975.51	
बम्बई आंचलिक कार्यालय के लिए उपस्कर एवं आसबाब				
V. अन्त शेष :				
1. रोकड़ हाथ में	80.00			
2. रोकड़ बैंक में	2,65,774.72		2,65,854.72	
3. स्थायी अग्रिम (अग्रधन)				1,000.00
VI. आर० आर० आर० एल० एफ० :				
कर्मचारी भविष्य निधि खाता (अंशदायी)				
1. कर्मचारियों को अग्रिम	58,889.00		58,889.00	
2. स्थायी व्यवस्थापन के लिए भुगतान				
3. अन्त शेष :—				
रोकड़ हाथ में	51,877.00			
रोकड़ बैंक में	1,48,700.00		2,00,577.00	
विनियोग				
VII. आर० आर० आर० एल० एफ० :				
कर्मचारी भविष्य निधि खाता (साधारण)				
1. कर्मचारियों को अग्रिम	49,156.00		49,156.00	
2. स्थायी व्यवस्थापन के लिए भुगतान				
3. अन्तशेष :—				
रोकड़ हाथ में	32,668.00			
रोकड़ बैंक में	2,00,000.00		2,32,668.00	
विनियोग				
कुलयोग			2,19,90,048.95	

व्यय	रु०		पै०		रु०		पै०	
I. प्रशासन :								
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता								9,70,347.50
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता								92,927.65
3. कर्मचारियों को चिकित्सा एवं अन्य भत्ता								9,190.85
4. प्रतिष्ठान एवं प्रशासनिक समिति के गैर-कार्यालयीय सदस्यों को यात्रा भत्ता								91,688.30
5. अन्य शुल्क								2,78,791 01
6. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान								16,990.50
7. कर्मचारी वाहन के रख-रखाव								48,758.26
8. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान								1,032.00
9. साधारण भविष्य निधि पर व्याज का भुगतान								28,212.63
10. अंशदायी भविष्य निधि पर व्याज का भुगतान								3,420.71
11. कर्मचारी कल्याण								1,000.00
12. विभागीय कैंटीन								28,426.40
13. लाभांश का भुगतान								19,390.90
14. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता								41,750.90
15. दिल्ली अतिथिशाला का किराया								93,500.00

का आय एवं व्यय खाता

	आय	
	₹	₹
I. सरकार से प्राप्त अंशदान :		
(क) राज्य सरकार से		59,30,850.00
(ख) केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत खर्च के लिए खर्च का घटाव	1,49,86,019.00	
	<u>2,90,094.82</u>	
	1,46,95,924.18	
जोड़े, गत वर्ष के पूंजीगत खर्च में वृद्धि	<u>10,00,234.30</u>	
		1,56,96,158.48
II. विविध प्राप्तियां :—		
1. साईकिल अग्रिम पर ब्याज		90.00
2. मंत्रालय से प्राप्त ग्रेच्युईटी तथा पेंशन		17,663.00
3. विक्रय से प्राप्ति		300.00
4. कर्मचारी बाहन का व्यक्तिगत उपयोग		119.00
5. स्वत्व शुल्क :		
(I) नया प्रकाश से	13,496.00	
(II) ऑरियन्ट लौगमैन से	<u>6,181.25</u>	19,677.25
6. बैंक से प्राप्त राष्ट्रीय बचत-पत्र के मूल्य		9,000.00

	व्यय		रु०	पै०
	रु०	पै०		
16. दिल्ली अतिथिशाला पर अन्य खर्च			7,254.55	
17. अंशदायी भविष्य निधि में स्थानान्तरित राष्ट्रीयवचत- पत्र का मूल्य			9,000.00	42,080.00
18. लेखा-परीक्षा शुल्क			604.00	
19. दिल्ली अतिथिशाला में यात्रा भत्ता			25,100.00	
20. दिल्ली अंचल कार्यालय में वेतन एवं भत्ता			1,004.10	
21. दिल्ली अंचल कार्यालय के लिए अन्य खर्च			15,829.55	
22. दिल्ली अंचल कार्यालय के लिए यात्रा भत्ता			13,264.50	
23. बम्बई अंचल कार्यालय के लिए यात्रा भत्ता			1,456.30	
24. बम्बई अंचल कार्यालय के लिए अन्य खर्च			23,112.00	
25. बम्बई अंचल कार्यालय के लिए वेतन एवं भत्ता			15,508.30	
26. मद्रास अंचल कार्यालय के लिए वेतन एवं भत्ता			466.00	
27. मद्रास अंचल कार्यालय के लिए अन्य खर्च			11,604.50	
28. मद्रास अंचल कार्यालय के लिए यात्रा भत्ता				

II पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार (जारीयोजना) :

1. पुस्तक क्रय एवं वितरण
के माध्यम से ग्रामीण,
केन्द्रीय चयन एवं केन्द्र-
पोषित (जिला योजनाओं)
पुस्तकालयों को सहायता 1,56,39,492.70

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
III. बैंक से प्राप्त ब्याज			3,53,467.27	
1. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों से सेवा व्यय की वसूली			1,318.00	
V. दिल्ली अतिथिशाला में खान-पान तथा ठहरने का शुल्क			6,909.00	

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की देयताओं की निकासी को घटाएं		4,81,193.44		
		<u>1,51,58,299.26</u>		
वर्ष के दौरान वकाया देयताओं को जोड़ें			7,20,825.68	
				<u>1,58,79,124.94</u>

2. पुराने तथा भली-भांति व्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया (सूचीकरण तथा वर्गीकरण) सहायता तथा अप्राप्य पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्द-साजी तथा परीरक्षण के लिए सहायता

22,500.00

3. पुस्तकालयों को पुस्तक संचयन हेतु सहायता

1,35,962.00

4. संगोष्ठियों कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता

1,18,500.00

5. सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

22,27,350.00

6. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सहायता

1,44,796.60

आय

रु०

पै०

रु०

पै०

व्यय

रु० पै० रु० पै०

नयी योजनाएं :

1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु से टी० वी०-सह-भी० सी० आर० खरीदने के लिए सहायता 3,37,880.00

2. मारिसस में उच्चायोग कार्यालय के पुस्तकालय को सहायता 15,328.52

3. बाल पुस्तकालयों तथा सार्वजनिक पुस्तकालय के बाल अनुभाग को सहायता 2,57,461.00

III. अन्य प्रोन्नतिकारक क्रियाएं :

1. बैठक 15,120.70

2. प्रकाशन 53,032.20

3. व्यय से अधिक आय

68,152.90

9,36,794.63

कुलयोग

2,20,35,552.00

आय

रु० पै० रु० पै०

कुलयोग 2,20,35,552.00

देयताएं

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. पूँजीगत निधि :				
पिछले लेखानुसार	43,94,889.52			
श्राय से अधिक व्यय, जोड़े	<u>9,36,794.63</u>			
	53,31,684.15			
पूँजीगत निधि जोड़े	<u>2,90,094.82</u>			
	56,21,778.97			
पिछले वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में हुई वृद्धि की राशि घटाएं	<u>10,00,234.30</u>			
			46,21,544.67	
II. बकाया देयताएं :				
पिछले लेखानुसार	6,63,655.47			
वर्ष के दौरान वापस की गयी राशि घटाएं	<u>4,81,193.44</u>			
	1,82,462.03			
वर्ष के दौरान बकाया देयताएं	<u>7,20,825.68</u>			
			9,03,287.71	
III. अंशदायी भविष्य निधि प्राप्त हुए पर समायोजन नहीं हुआ (पिछले लेखानुसार)				
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	1,369.00			
	<u>1,359.00</u>			
IV. रायल्टी अग्रिम :				
पिछले लेखानुसार	100.00			
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	100.00			

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. उपस्कर एवं आसबाब :				
पिछले लेखानुसार	7,33,490.32			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>1,81,080.73</u>		9,14,571.05	
II. भूमि एवं भवन :				
भूमि—				
पिछले लेखानुसार	80,768.45			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>—</u>		80,768.45	
भवन—				
पिछले लेखानुसार	1,36,364.38			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>27,31,996.30</u>		28,68,360.68	
III. कर्मचारी वाहन :				
पिछले लेखानुसार	1,16,886.61			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>—</u>		1,16,886.61	
IV. विशेष पुस्तकालय :				
पिछले लेखानुसार	54,759.91			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>41,767.31</u>		96,527.22	
V. जमा (डाक एवं तार विभाग) :				
पिछले लेखानुसार	15,384.00			
वर्ष के दौरान संयोजित की गई राशि को घटाएं	<u>1,633.00</u>		13,751.00	
VI. दिल्ली अतिथिशाला :				
(क) उपस्कर एवं आसबाब—				
पिछले लेखानुसार	69,412.57			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>24,231.34</u>		93,643.91	

		देयताएं		
		रु०	पै०	रु० पै०
V. सुरक्षा जमा :				
पिछले लेखानुसार		2,300.00		
वर्ष के दौरान जोड़े		—		
		<u>2,300.00</u>		
वर्ष में समायोजन किया गया		<u>500.00</u>		1,800.00
VI. प्रतिष्ठान का (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि खाता :				
पिछले लेखानुसार		2,43,305.00		
वर्ष के दौरान जोड़े		<u>16,161.00</u>		
		<u>2,59,466.00</u>		
वर्ष के दौरान आहरित राशि को घटाएं		<u>58,889.00</u>		2,00,577.00
VII. प्रतिष्ठान का (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता :				
पिछले लेखानुसार		1,38,490.00		
वर्ष के दौरान जोड़े		<u>1,43,334.00</u>		
		<u>2,81,824.00</u>		
वर्ष के दौरान आहरित राशि को घटाएं		<u>49,156.00</u>		2,32,668.00
				<u>59,59,877.38</u>

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
(ख) मकानमालिक (मकान का किराया) :				
पिछले लेखानुसार	36,330.00			
वर्ष के दौरान जमा	—			
	<u>36,330.00</u>			
वर्ष के दौरान संयोजित की गई राशि को घटाएं			9,435.00	
		<u>26,895.00</u>		
(ग) जमा (डाक व तार विभाग) :				
पिछले लेखानुसार	8,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	—			
	<u>8,000.00</u>		8,000.00	
(घ) गैस-सिलिण्डर के लिए काशनमनी :				
पिछले लेखानुसार	—			
वर्ष के दौरान जोड़े	950.00			
	<u>950.00</u>		950.00	
VII. बम्बई अंचल कार्यालय :				
उपस्कर एवं आसबाब :				
पिछले लेखानुसार	—			
वर्ष के दौरान जोड़े	8,635.44			
	<u>8,635.44</u>		8,635.44	
VIII. धर्मिम :				
त्योहार—				
पिछले लेखानुसार	4,600.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	16,400.00			
	<u>21,000.00</u>			
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि को घटाएं			7,680.00	
		<u>13,320.00</u>		

देयताएं

रु०

पै०

रु०

पै०

59,59,877.38

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
साईकिल—				
पिछले लेखानुसार	1,376.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>2,000.00</u>			
	3,376.00			
वर्ष के दौरान वापसी	<u>1,680.00</u>		1,696.00	
वाह —				
पिछले लेखानुसार	8,778.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>—</u>			
	8,778.00			
वर्ष के दौरान वापसी घटायें	<u>4,788.00</u>		3,990.00	
श्रावसीय भवन —				
पिछले लेखानुसार	<u>30,000.00</u>			
वर्ष के दौरान जोड़े	30,000.00			
वर्ष के दौरान वापसी को घटाएं	<u>—</u>		30,000.00	
IX. अग्रिम :				
कार्यालय भवन निर्माण के लिए एम० डी० विभाग को अग्रिम —				
पिछले लेखानुसार	26,97,616.30			
घटायें, वर्ष में समायोजन	<u>26,97,616.30</u>			
एन० बी० सी० सी० को कार्यालय भवन-निर्माण के लिए अग्रिम —				
पिछले लेखानुसार	10,00,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>—</u>		10,00,000.00	

देयताएं

रु०

पै०

रु०

पै०

कुल योग 59,59,877.38

ह/- अस्पष्ट
ए० के० बनर्जी
लेखा अधिकारी

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
(ख) विशेष पुस्तकालय के लिए युनेस्को प्रकाशन के खरीद के लिए अग्रिम : पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान समायोजन	234.30	—	234.30	—
(ग) विजडेक्स के केबिनेट के खरीद के लिए दिया गया अग्रिम : पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़े	—	4,648.00	4,648.00	—
X. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि खाता : अंतशेष —	—	—	—	—
रोकड़ हाथ में	51,877.00	—	51,877.00	—
रोकड़ बैंक में	1,48,700.00	—	1,48,700.00	—
विनियोग	—	—	—	—
XI. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता : अंतशेष —	—	—	—	—
रोकड़ हाथ में	32,668.00	—	32,668.00	—
रोकड़ बैंक में	2,00,000.00	—	2,00,000.00	—
विनियोग	—	—	—	—
XII. अंतशेष :	—	—	—	—
रोकड़ हाथ में	80.00	—	80.00	—
रोकड़ बैंक में	2,65,774.72	—	2,65,774.72	—
स्थायी अग्रिम (अग्रधन)	—	—	—	1,000.00
कुल योग	—	—	59,59,877.38	—

ह/- अस्पष्ट
बी० पी० बरुआ
निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता
का वर्ष 1987-88 के लिए लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

1. भूमिका :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना भारत सरकार द्वारा मई 1972 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन पंजीकृत किया गया। इसका लक्ष्य देश भर में और खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पुस्तकालय सेवा प्रदान कर सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को विकसित करना तथा जन सामान्य में पठन-पाठन के प्रति अभिरूचि जागृत करना है। प्रतिष्ठान मुख्यतः भारत सरकार से वित्त प्राप्त कर पूरे देश के पुस्तकालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

2. अनुदान एवं अंशदान का उपयोग :

2.1 वर्ष 1987-88 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अंशदान के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है—

(राशि लाख रुपये में)
0.97

(क) 1 अप्रैल 1987 तक अथशेष—

(ख) भारत सरकार से वर्ष 1987-88 के दौरान प्राप्त अनुदान :

(i) गैर-योजनाधीन

10.13

(ii) योजनाधीन

139.73

149.86

150.83

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान प्राप्त अंशदान :

(i) 17 राज्यों से 58.56

(ii) 2 संघ राज्य क्षेत्रों से 0.75

59.31

210.14

(घ) विविध प्राप्तियां 3.90

कुल (क + ख + ग + घ) 214.04

घटायें, वर्ष 1987-88 के दौरान हुए खर्च 211.38

इति शेष 2.66

2.2 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 के लिए 10.13 लाख रुपये योजनाधीन अनुदान दिया गया जिसमें पिछले वर्ष के खर्च से बची हुई 0.07 लाख रुपये की राशि समायोजित है। वर्ष 1987-88 के दौरान योजना के तहत खर्च हेतु प्राप्त 139.73 लाख रुपये की राशि में 63.17 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है, जो 1987-88 में स्वीकृत की गयी थी। परन्तु यह मंत्रालय द्वारा 1987-88 में प्रदान की गयी और प्रतिष्ठान को 1987-88 में ही प्राप्त हुई।

2.3 31 मार्च 1988 तक 9.03 लाख रुपये की बकया देयताएं थीं जबकि खर्च से बची हुई राशि केवल 2.66 लाख रुपये थी। हाँलाकि प्रतिष्ठान ने कहा (जुलाई 1988) की खर्च से बची हुई 2.66 लाख रुपये की पूरी राशि राज्य सरकार के अंशदान की बची हुई राशि है अतः वह सहायता योजना के अधीन बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती और उसे अगले योजना बजट से पूरा किया जाएगा।

2.4 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अंशदान के कुल 42.27 लाख रुपये (कुल समतुल्य अंशदान 84.54 लाख रुपये का 50%) में से प्रतिष्ठान के पास खर्च से बची हुई राशि केवल 2.66 लाख रुपये है जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंशदान के 39.61 लाख रुपये प्रतिष्ठान द्वारा उपयोग में लाए गए। 31 मार्च 1988 तक बकाया देयताओं की स्थिति (9.03 लाख रुपये) से पता चलता है कि प्रतिष्ठान ने राज्य के अंशदान का उपयोग करने में खर्च किए हैं।

2.5 प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को सामान्यतः समतुल्य आधार पर समान अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है और समतुल्य आधार पर दी जानेवाली इस सहायता राशि को 7 वीं योजना में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है जो राज्यों के आकार, उनकी जनसंख्या, उसके द्वारा किए गए विगत उपयोग एवं उनके संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। यद्यपि राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र अपना अंशदान प्रतिवर्ष नहीं देते, किन्तु योजना का लाभ उठाने के लिए सम्बन्धित वर्ष की बकाया राशि का भुगतान बाद में कर देते हैं।

राज्य पहले की तरह अनेक वर्षों के लिए एक साथ पुस्तकें खरीदने हेतु अपना प्रस्ताव भेजने का रिवाज अभी भी बनाए हुए हैं। हालांकि लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष के लिए कितने-कितने अंशदान प्राप्त हुए हैं।

लेखे पर टिप्पणी :

प्रतिष्ठान के पास 31 मार्च 1988 तक 9.03 लाख रुपये की बकाया देयताएं थीं। उसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1985-86 से पूर्व	1.02
1985-86	0.12
1986-87	0.68
1987-88	7.21
	<hr/>
	9.03

1985-86 से पूर्व की बकाया देयताओं का विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया है। प्रतिष्ठान ने कहा (अक्टूबर 1988 में) कि 1985-86 से पूर्व की बकाया देयताओं को इसलिए चुकाया नहीं जा सका क्योंकि सम्बन्धित पुस्तकालयों से पावती प्राप्त नहीं हो सकी। उसने पुनः बताया कि बकाया देयताओं को चुकाने के लिए विशेष कार्यवाही की गई है।

3.2 सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित प्रतिष्ठान की देयताएं, जो वर्ष 1987-88 के लेखे में दिखाई गई हैं, उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	लेखे के अनुसार बड़ेचिट्ठे/लेजर के अनुसार		अंतर
सामान्य भविष्यनिधि	2,32,668.00	3,45,253.00	1,12,585.00
अंशदायी भविष्यनिधि	2,00,577.00	12,491.00	1,88,086.00

यह अंतर इसलिए आया कि जिन लोगों ने पेंशन योजना को अपनाया उनकी अंशदायी भविष्य निधि की राशि को सामान्य भविष्य निधि में अंतरित कर उसे उनके व्यक्तिगत लेजर के लेखे में तो चढ़ा दिया गया परन्तु उसे प्रतिष्ठान के सामान्य लेखे में नहीं चढ़ाया जा सका। परिणामतः 1987-88 के वार्षिक लेखे में सामान्य भविष्य निधि 1,12,585 रुपये कम बतायी गयी और अंशदायी भविष्य निधि 1,88,086 रुपये अधिक बताई गई। तुलन-पत्र में अंशदायी भविष्य निधि के रूप में दर्शाई गई 1,88,086 रुपये की अधिक राशि में अंशदान के नियोजक के अंश एवं उसपर अनेक वर्षों के संचित ब्याज के 75,501 रुपये भी शामिल हैं जिसे राजस्व में जमा किया जाना चाहिए था। यदि यह राशि राजस्व में जमा कर दी जाती तो उसके लेखे का अधिशेष 9.37 लाख रुपये की जगह 10.12 लाख रुपये होता। प्रतिष्ठान ने बताया (सितम्बर 1988) कि इन दोनों निधियों की राशि का अंतरण 1988-89 के दौरान कर लिया जाएगा।

नियोजक के अंश के 75,501 रुपया (व्याज सहित) भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त अनुदान से दिए गए। सामान्य भविष्य निधि सह पेंशन योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने इस बात की सहमति (जुलाई 1985) दी कि पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ आवश्यकतानुसार सरकारी अनुदान से दिए जाएंगे। अतः 75,501 रुपये की राशि भावी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।

वर्ष 1987-88 के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के लिए अलग से प्राप्त एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र नहीं तैयार किया गया यद्यपि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 3.5 में इसका उल्लेख किया गया था। प्रतिष्ठान ने बताया (सितम्बर 1988 में) कि वर्ष 1988-89 से सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि के लिए अलग से लेखा तैयार करने हेतु कार्यवाही की गई।

4. दिल्ली में अतिथि गृह :

प्रतिष्ठान की सामान्य सभा ने 3 सितम्बर 1985 को हुई अपनी 23 वीं बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में एक अंचल कार्यालय खोला जाए जिसमें थोड़े कर्मचारी हों। यह कार्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयोजित अन्य स्वायत्त निकायों जैसे-इंडियन काउंसिल आफ फिलासोफिकल रिसर्च एवं इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज के साथ मिलकर एक ही भवन में खोला जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक समिति ने दिल्ली में एक अंचल कार्यालय-सह-अतिथि गृह खोलने का निर्णय मई 1986 में किया और तदनुसार प्रतिष्ठान ने नई दिल्ली में 8,500/- रुपये पर (जैसा कि मकान मालिक द्वारा प्रारंभ में मांगा गया था) 2200 वर्ग फुट का एक मकान (1 नवम्बर 1986) भाड़े पर लिया। प्रशासनिक समिति के निर्णय को प्रतिष्ठान ने अपनी किसी भी बैठक में अनुसमर्थित नहीं किया है और

न ही भारत सरकार ने ही इसे अभी तक (जुलाई 1988) अनुमोदित किया है। हालांकि प्रबंधक वर्ग ने बताया (सितम्बर 1988) कि यह मामला अनुसमर्थन हेतु प्रतिष्ठान द्वारा अगली बैठक में रखा जाएगा।

दो अलग-अलग विलेख निष्पादित किए गए (26 नवम्बर 1986) — एक निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान एवं मकान मालिक के बीच मकान के लिए, जिसका मासिक किराया 7000/- रुपया तय किया गया और दूसरा निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान एवं एक महिला के बीच मकान में, जुड़नार एवं साज-सामान लगाने के लिए, जिसका मासिक किराया 1500/- रुपया तय किया गया। महिला का उस मकान पर कोई स्वामित्व नहीं था। उक्त करार या विलेख के अनुसार प्रतिष्ठान ने छः महीने के अग्रिम किराये के रूप में 51,000/- रुपये का भुगतान किया।

प्रतिष्ठान ने बताया (सितम्बर 1988) कि दो अलग-अलग करार करने एवं किराये की राशि को दो भागों (7000/- एवं 1500/-) में बांटने की आवश्यकता इसलिए हुई कि मकान मालिक ने ऐसी ही मांग की थी।

प्रतिष्ठान ने नियमित आधार पर इस अंचल कार्यालय सह एक अतिथि भूह के लिए एक केयरटेकर-सह-लिपिक, एक फर्श-सह-चौकीदार, एक रसोइया-सह-परिचारक और अंशकालिक आधार पर एक भाड़ूकश की नियुक्ति की और इस प्रकार जून 1988 के अंत तक किराए (1.70 लाख रु०) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (3.66 लाख रु०) पूंजीगत व्यय सहित अन्य खर्चों (1.20 लाख रु०) के रूप में कुल 3.55 लाख रुपये व्यय किए।

एक सहायक क्षेत्र अधिकारी केवल अंचल कार्यालय के लिए 2 जून, 1987 को नियुक्त किया गया। भाड़े के कुल 2200 वर्गफुट जगह में से लगभग 450 वर्गफुट का क्षेत्र अंचल कार्यालय के लिए उपयोग में लाया जा

रहा है। केयरटेकर-सह-लिपिक तथा फर्राश-सह-चौकीदार कार्यालय के लिए भी लिपिक एवं फर्राश के रूप में काम करते हैं। प्रतिष्ठान ने बताया (अक्टूबर 1988) कि यद्यपि इन दोनों कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का 50% अंचल कार्यालय के लेखे में जाना चाहिए था लेकिन उनके सम्पूर्ण वेतन एवं भत्ते अतिथि गृह के अधीन दिए गए हैं।

अतिथि गृह दिसम्बर 1988 में खोला गया। जून, 1988 तक अतिथि गृह की जगह का 10% ही उपयोग में लाया जा रहा था (जिसका 6 प्रतिशत अनाधिकारिक प्रयोग में था) और प्रतिष्ठान ने आवास एवं भोजन प्रभार के रूप में अब तक (जुलाई 1988) 6,909/- रुपया प्राप्त किए हैं। ये प्रभार प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार (फरवरी 1987) लिए गए जिसका आधार पर इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज के शिमला स्थित अतिथि गृह की दर तथा बाजार दर थी। प्राप्त किए गए आवास एवं भोजन प्रभार के समर्थन में मूल कागजात दिल्ली में रखे गए हैं और उन्हें लेखा-परीक्षा में नहीं दिखाया गया। लेखा-परीक्षा द्वारा यह परिकलित किया गया कि यद्यपि अतिथि गृह के सभी विस्तार वर्ष भर भरे रहे, फिर भी प्रतिष्ठान को अतिथि गृह से प्रभार के रूप में 0.43 लाख रुपये ही प्राप्त हुए, जबकि भवन के अनुपातिक किराए एवं अतिथि गृह के विद्यमान कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर वार्षिक खर्च 1.06 लाख रुपये हुए (अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के 50 प्रतिशत को छोड़कर)। अतिथि गृह के आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग (केवल 4 प्रतिशत दखल) हेतु प्रतिष्ठान जैसे छोटे संगठन द्वारा उसके रख-रखाव पर 0.63 लाख रुपये का शुद्ध वार्षिक खर्च करना न्यायोचित नहीं लगता। प्रतिष्ठान ने स्वयं स्वीकार किया (सितम्बर 1988) कि अतिथि गृह पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 0.60 लाख रुपये का अनुचित खर्च होगा।

5. पुस्तकालय का परीक्षण —

वर्ष 1986-87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 7 में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों का निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठान के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि प्रतिष्ठान के अधीन विभिन्न स्तर के 19,436 नए पुस्तकालय हैं और उन्हें 1986-87 तक 605.99 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिष्ठान ने 6086 पुस्तकालयों को अपनी योजना में शामिल किया और उन्हें 189 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस प्रकार पिछले 16 वर्ष में शामिल की गई पुस्तकालयों की कुल संख्या 25,522 एवं उन्हें दी गई कुल वित्तीय सहायता राशि 794.99 लाख रुपये है। वर्ष 1977-88 के पूर्व समय का ब्यौरा लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया है।

1977-78 से लेकर 1987-88 तक का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

वर्ष :	पुस्तकालयों की संख्या :	वित्तीय सहायता की राशि (लाख में) :	विस्तृत निरीक्षण किए गए पुस्तकालयों की संख्या :
1977-78	3090	31.43	उपलब्ध नहीं है।
1978-79	6113	37.97	" "
1979-80	5787	31.98	" "
1980-81	4998	37.12	10
1981-82	6676	32.98	9
1982-83	1957	49.12	10
1983-84	3369	39.70	18
1984-85	2961	51.28	26
1985-86	2224	55.54	20
1986-87	4387	133.35	12
1987-88	6086	189.00	460

यद्यपि 1987-88 के दौरान निरीक्षण किए गए पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और वह 1986-87 के 12 से बढ़कर 1987-88 में 460 हो गई है परन्तु निरीक्षण कार्य में अभी और तेजी लाने की आवश्यकता है।

6 प्रतिबद्ध देयताएं :

प्रतिष्ठान की विभिन्न सहायता योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध देयताएं निम्नप्रकार से थीं —

	राशि (लाख रुपया में)	
	1985-86	1986-87
	45.21	91.58
		1987-88
		82.28

प्रतिबद्ध देयताओं में वह सहायता राशि शामिल है जो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होनेवाले अंशदान के रूप में बकाया थी लेकिन उनका खर्च विभिन्न कारणों से नहीं हो सका। जैसे— हिताधिकारी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया गया और पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समायोजन त्रिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही कुछ राज्यों के खर्च जो अन्य राज्यों से प्राप्त अंशदान से किए गए, उन्हें चूककर्ता राज्यों से प्राप्त होनेवाले भावी अंशदान से समायोजित किया जाना बाकी है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अंशदान में से बची राशि 31 मार्च 1988 तक 42.27 लाख रुपये थी जिसमें से 39.61 लाख रुपये प्रतिष्ठान द्वारा चूककर्ता राज्यों संघराज्य क्षेत्रों पर खर्च किए गए। यद्यपि वर्ष 1986-87 के दौरान उड़ीसा पर 5.52 लाख रुपये, राजस्थान पर 3.58 लाख रुपये एवं मणिपुर पर 1000/- रुपये अधिक खर्च किए गए परन्तु उन्हें 1987-88 में समायोजित कर लिया गया। इसी प्रकार उड़ीसा,

गोवा, दमन एवं दीव तथा पश्चिम बंगाल के लिए क्रमशः 3.95 लाख रुपये, 0.12 लाख रुपये तथा 3.33 लाख रुपये का अधिक खर्च 1987-88 के अंत तक समायोजित नहीं किया जा सका। कुल 82.28 लाख रुपये की प्रतिबद्ध देयताओं में से निम्नलिखित राज्यों की देयताएं 4 लाख रुपया से अधिक थीं :—

(राशि लाख रुपया में)

आंध्र प्रदेश	11.83
बिहार	11.33
गुजरात	4.15
हिमाचल प्रदेश	5.64
कर्नाटक	9.60
मध्य प्रदेश	5.60
महाराष्ट्र	10.17
राजस्थान	4.56

प्रतिष्ठान ने बताया (जुलाई 1988) की वह संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों से लगातार इस मामले पर बातचीत कर रहा है ताकि प्रतिष्ठान की योजनाओं का उचित कार्यान्वयन हो सके।

7. वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले पुस्तकालयों द्वारा लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाना :

प्रतिष्ठान ने 1987-88 के दौरान विभिन्न पुस्तकालयों को 32.45 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में (नकद अनुदान के रूप में प्रदान किया गया) प्रदान की जिसके लिए प्रतिष्ठान को उपयोग प्रमाणपत्र तथा जिस वर्ष अनुदान दिया गया उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अनुदान से हुए खर्च के समर्थन में लेखों का परीक्षित विवरण प्रस्तुत किया

जाना था। यह पाया गया है कि नकद अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकांश पुस्तकालयों ने प्रतिष्ठान को इस प्रकार की विवरणी एवं लेखों का विवरण नहीं भेजा है। प्रदान किए गए नकद अनुदान की स्थिति तथा चूककर्ता पुस्तकालयों की संख्या नीचे दी गई है—

1	2	3	4	5
योजनाओं का नाम	1987-88 के अन्त तक दी गई राशि (लाख में)	पुस्तकालयों की संख्या	वह राशि जिसके लिए उपयोग प्रमाण-पत्र एवं लेखों के परीक्षित विवरण 1987-88 के अंत तक प्राप्त नहीं हुए	शामिल पुस्तकालयों की संख्या
1. दुर्लभ पुस्तकों पर जिल्द लगाना एवं उनका परिरक्षण	7.74	461	3.32	295
2. सेमिनार, कार्यशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पुस्तक प्रदर्शनी	4.91	68	1.66	38
3. पुस्तक संग्रह	9.94	1146	8.04	832
4. स्वैच्छिक संगठन	52.82	213	52.82	213
5. बाल पुस्तकालय	2.57	105	2.52	101
6. टी. वी. सह भी. सी. आर. तथा कैसेट	3.38	10	3.38	10

7. ग्रामीण पुस्तक संग्रह केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय	1.00	11	अप्राप्त	अप्राप्त
	<u>82.36</u>	<u>2014</u>	<u>71.74</u>	<u>1489</u>

प्रतिष्ठान ने बताया (सितम्बर 1988) कि च्ककर्ता पुस्तकालयों से उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षित विवरण प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए गए ।

8. सेवा नियम तथा भर्ती नियम :

प्रशासनिक समिति ने 9 फरवरी 1987 को सम्पन्न अपनी 37 वीं बैठक में प्रतिष्ठान के नियमों एवं भर्ती नियमों को सिद्धांततः स्वीकारते हुए एवं अनुमोदित करते हुए यह कहा कि उक्त नियमों को अनुमोदन के लिए भारत सरकार के संस्कृति विभाग के पास प्रस्तुत किया जाएगा । प्रशासनिक समिति का विचार था (फरवरी 1987 में) कि इस बीच खाली पदों पर भर्ती उप-समिति द्वारा तैयार किए गए भर्ती के नियमों के आधार पर की जाएगी । प्रशासनिक समिति के उक्त निर्णय को अभी तक (जुलाई 1988) प्रतिष्ठान द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया गया है । जब मंत्रालय के संस्कृति विभाग से कहा गया तो उसने केवल सेवा नियमों को ही अनुमोदित किया भर्ती नियमों को नहीं (जुलाई 1988) ।

इस बीच प्रतिष्ठान ने 15 कामिकों को ऊंचे पदों पर पदोन्नति किया एवं 26 नए कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर उक्त भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती किया यद्यपि ये नियम अभी भी (जुलाई 1988) भारत सरकार के अनुमोदनाधीन हैं ।

हस्ताक्षर
(श्रीमती एम. चटर्जी)
निदेशक
लेखा-परीक्षा

कलकत्ता
4.11.1988

वर्ष 1987-88 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रतिष्ठान की टिप्पणी

परिच्छेद 2.1 से लेकर 2.3 तक
कोई टिप्पणी नहीं ।

परिच्छेद 2.4

पत्र द्वारा मन्त्रालय से 54.69 लाख रुपये का उपयोग करने की अनुमति मिलने पर प्रतिष्ठान ने 39.61 लाख रुपये राज्य सरकार के अंशदान का उपयोग किया ।

परिच्छेद 2.5

अनुमोदित उपबन्धों एवं नियमों के अनुसार ही समतुल्य सहायता प्रदान की गई ।

परिच्छेद 3.1

कोई टिप्पणी नहीं ।

परिच्छेद 3.2

1,48,700 रुपये लम्बे अन्तराल तक सरकार के पास जमानत राशि के रूप में जमा रहने के कारण प्रतिष्ठान निधि का अन्तरण नहीं कर सका । तथापि निधि के शेष राशि का अन्तरण वर्ष 1988-89 में साधारण सभा से अनुमोदन मिलने पर कर लिया जाएगा । वर्ष 1988-89 से निधि का अलग हिसाब रखा जाएगा ।

परिच्छेद 4

प्रतिष्ठान की प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्ति प्रशासनिक समिति के हाथ में रहती है। प्रशासनिक समिति के बैठकों का कार्य विवरण प्रतिष्ठान के पास भेज दिया जाता है जिसे वह बिना किसी टिप्पणी के अथवा टिप्पणी के साथ स्वीकार कर लेता है। प्रतिष्ठान द्वारा बिना किसी टिप्पणी के कार्य विवरण को स्वीकार करने का तात्पर्य उसका अनुसमर्थन है यद्यपि 'अनुसमर्थित' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। दो अलग-अलग विलेखों का निष्पादन प्रचलित रीति के अनुसार मकान मालिक के इच्छानुसार किया गया।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का अतिथिशाला मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसकी उपयोगिता धीरे-धीरे बढ़ रही है। अतिथिशाला में ठहरने के किराये की दर बढ़ाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

परिच्छेद 5 से 7 तक

कोई टिप्पणी नहीं।

वर्ष 1987-88 में प्रदत्त अनुदान के उपयोग के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं।

परिच्छेद 8

मन्त्रालय का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर तदनुसार लेखा परीक्षा में दर्शाया जाएगा।

लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लेखे एवं तुलन-पत्र की जांच की है। मुझे वे सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं जिनकी मुझे आवश्यकता थी। और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणीओं के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि मेरे विचार से ये लेखे एवं तुलन-पत्र समुचित ढंग से तैयार किए गए हैं और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की खाता बहियों में प्रदर्शित तथा मुझे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वे राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की कार्य दशाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

कलकत्ता
04.11.88.

(श्रीमती एम० चटर्जी)
लेखा-परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय)
कलकत्ता

वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.
	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.	क्र. सं.
आंध्र प्रदेश	1	23	£	2	28	£	—	—	—	—	—	26+£
अरुणाचल प्रदेश	1	11	£	11	100	—	—	—	—	—	—	42
आसाम	1	17	—	—	214	—	—	—	—	—	—	130
बिहार	1	31	—	4	35	—	—	—	—	—	—	251
गोवा	1	—	—	37	725	—	—	—	—	—	—	40
गुजरात	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	787
हरियाणा	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	—	150+£	—	—	—	—	—	—	162+£
जम्मू-कश्मीर	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
कर्नाटक	1	19	£	175	—	—	—	—	—	—	—	202
केरल	1	11	—	—	544	—	—	—	—	—	—	576
मध्य प्रदेश	1	45	—	—	2000	—	—	—	—	—	—	2046
महाराष्ट्र	—	31	—	—	631	—	—	—	—	—	—	686
मणिपुर	1	5	—	—	36	—	—	—	—	—	—	42
मेघालय	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7

वर्ष 1972-73 से लेकर 1987-88 तक के दौरान सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का विवरण


राज्यों का नाम	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.
आंध्र प्रदेश 1	1	27	—	—	852	620	14	1	—	—	1515	—	—
अरुणाचल प्रदेश	1	11	2	—	28	—	2	—	—	—	44	—	—
आसाम 1	1	10	11	—	116	—	4	3	—	—	105	—	—
बिहार 2	1	31	24	—	1624	—	13	1	—	—	1694	—	—
गोवा	1	—	4	—	95	—	1	—	—	—	104	3	—
गुजरात	1	18	37	—	2081	11	5	1	—	—	2154	—	—
हरियाणा	1	11	—	—	44	—	2	6	—	—	64	—	—
हिमाचल प्रदेश 1	1	11	—	—	143	—	8	1	—	—	169	5	—
जम्मू-कश्मीर	1	14	—	5	2	—	1	1	—	—	24	—	—
कर्नाटक 1	1	19	175	—	1924	—	8	7	—	—	2134	—	—
केरल 3	1	11	—	—	1072	—	8	4	—	—	1096	—	—
मध्य प्रदेश	1	45	20	—	2005	—	11	2	—	—	2084	—	—
महाराष्ट्र	1	39	195	—	1789	1	2	7	—	—	2034	—	—
मणिपुर	1	5	—	—	87	—	2	—	—	—	95	—	—
मेघालय	1	4	—	—	—	—	2	—	—	—	07	—	—

मिजोरम	1	2	—	102	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
नागालैण्ड	1	6	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
उड़ीसा	1	13	7	1411	—	—	—	130	—	10	2	116	—	—	—	—	—	—	1690
पंजाब	1	12	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	25
राजस्थान	1	29	9	68	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	119
सिक्किम	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	06
तमिलनाडु 2	—	16	—	1455	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	1486
त्रिपुरा 4	1	3	10	18	—	—	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	44
उत्तर प्रदेश	1	90	—	589	—	—	—	—	—	28	2	—	—	—	—	—	—	—	710
पश्चिम बंगाल 2	1	22	—	2295	—	—	—	1	—	8	6	—	—	—	—	—	—	—	2333
अण्डमान नोकोबार 4	1	—	—	25	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27
चण्डीगढ़	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	05
दादरा और नगर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	03
दिल्ली	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	03
लक्षद्वीप	1	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
पाण्डिचेरी	1	2	—	51	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	57
कुल योग	28	456	500	17,979	774	176	49	124	20,086										


वर्ष 1987-88 में गोबा-दमन एवं द्वीव को एक इकाई माना गया।

1. अंकों का सम्बन्ध वर्ष 1986-87 तक है।
2. अंकों का सम्बन्ध वर्ष 1981-82 तक है।
3. अंकों का सम्बन्ध वर्ष 1985-86 तक है।
4. अंकों का सम्बन्ध वर्ष 1983-84 तक है।

वर्ष 1972-73 से लेकर वर्ष 1987-88 तक वर्षवार खर्च एवं जन-शक्ति का मानचित्र



वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्ययगत राशि का अनुपात



समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत
पुस्तक सहायता

(56.65%)



गैर-समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत
पुस्तक सहायता

(17.19%)



समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत
वित्तीय अनुदान

(3.33%)



गैर समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत
वित्तीय अनुदान

(12.06%)



प्रशासन

(9.05%)



अन्य प्रोत्तिकारक क्रियाएँ

(.52%)



पूँजीगत व्यय

(1.20%)